खण्ड-474, अंक-2
सोमवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1932
(09 अगस्त, 2010 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2010)

(खण्ड 474 में 6 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग (जारी)	7
प्रश्नोत्तर	7-98
विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री अशोक कुमार सिंह, प्रकाश नारायण अवस्थी, मोहम्मद हसन, अजीत सिंह सेठी, छोटे लाल, राम नाथ, शारदा नन्द अंचल, केशरी प्रसाद, श्रीराम द्विवेदी, दूध नाथ, मिठाई लाल शास्त्री, हुकुम सिंह, मुहम्मद अबरार अहमद, कपिल देव यादव, दुर्ग विजय सिंह, राधेश्याम शर्मा, राम सागर, अशोक कुमार तथा लाल प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार	98-105
भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा प्रसिद्ध समाजसेवी श्री नानाजी देशमुख के निधन पर शोकोद्गार	105-107
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हुकुम सिंह की पत्नी की नृशंस हत्या पर पीठ से शोक-संवेदना व्यक्त किये जाने का आग्रह	107-108
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग	108-119
नियम-301 एवं नियम-300 की सूचनाओं को न लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था	119
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर	119
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश	120
जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश	121-122
इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश	122-123
उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश	123-124
राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षाबल विधेयक, 2010 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश	124-125
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	125

विषय	पृष्ठ-संख्या
जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	125
इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	126
उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 (सदन के पटल पर रखा गया)	126
राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षाबल विधेयक, 2010 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	126
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	126
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	126
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	127
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	127
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग पर प्रतिषेध विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	127
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	127
उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	128
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	128
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	128
उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	128
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	129
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	129
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	129
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	129

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	130
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	130
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	130
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	130
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	131
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	131
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग पर प्रतिषेध विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	131
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	131-132
उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	132
उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	132
उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	132-133
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित) ...	133-134
उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित) ...	134
श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित) ...	134
बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित) ...	135
नोएडा इन्टरनेशनल यूनवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित) ...	135
मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	135-136
आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित) ...	136
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	136
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	136-138
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य... ...	138-140
नत्थियां	141-146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 9 अगस्त, 2010

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता से आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-352

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
7. अजय यादव, श्री — एटा
8. अजय सिंह, श्री — जालौन
9. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
15. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
20. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
22. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
23. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
24. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
25. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
26. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
29. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
30. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
31. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
32. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
33. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
34. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
35. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
36. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
37. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
40. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
41. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
42. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
43. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
44. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
45. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
46. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
47. आर0 ए0 उस्मानी (डा0), श्री — लखीमपुर खीरी
48. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
49. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
50. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
51. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी

52. आसिफ, श्री हरदोई
53. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
56. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
57. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
58. उदयराज, श्री उन्नाव
59. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
62. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
63. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
64. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
65. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
66. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
67. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
68. काशीराम, श्री रामपुर
69. कुवेर सिंह, श्री एटा
70. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
71. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
72. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
73. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
74. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
75. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
76. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
77. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
78. कैलाश साहू, श्री झांसी
79. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
80. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
81. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
82. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
83. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
84. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
85. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
86. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
87. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
88. घूराराम, श्री बलिया
89. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
90. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
91. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
92. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
93. छोटे सिंह, श्री जालौन
94. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
95. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
96. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
97. जगपाल, श्री सहारनपुर
98. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
99. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
100. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
101. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
102. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
103. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
104. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
105. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
106. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
107. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
108. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
109. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
110. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
111. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
112. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
113. दयाराम, श्री कौशाम्बी
114. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
115. दाउद अहमद, श्री हरदोई

116. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
117. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
118. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
119. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
120. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
121. दूधराम, श्री बस्ती
122. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
123. धर्मपाल यादव
डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
124. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
125. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
126. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
127. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
128. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
129. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
130. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
131. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
132. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
133. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
134. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
135. नारायण सिंह, श्री आगरा
136. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
137. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
138. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
139. पशुपति, श्री गाजीपुर
140. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
141. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
142. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
143. प्रजापालन, श्री एटा
144. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
145. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
146. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
147. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
148. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
149. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
150. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
151. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
152. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
153. फसीहा बशीर चौधरी
(गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
154. फागू चौहान, श्री मऊ
155. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
156. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
157. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
158. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
159. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
160. बिरजू राम, श्री जौनपुर
161. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
162. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
163. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
164. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
165. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
166. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
167. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
168. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
169. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
170. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
171. मंजू, श्रीमती बलिया
172. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
173. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
174. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
175. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
176. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
177. ममतेश शाक्य, श्री एटा
178. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
179. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
180. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
181. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर
182. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
183. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा

184. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
185. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
186. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
187. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
188. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
189. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
190. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
191. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
192. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
193. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
194. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
195. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
196. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
197. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
198. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
199. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
200. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
201. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
202. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
203. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
204. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
205. याकूब हाजी, श्री मेरठ
206. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
207. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
208. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
209. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
210. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
211. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
212. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
213. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
214. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
215. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
216. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
217. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
218. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
219. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
220. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
221. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
222. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
223. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
224. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
225. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
226. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
227. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
228. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
229. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
230. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
231. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
232. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
233. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
234. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
235. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
236. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
237. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
238. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
239. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
240. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
241. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
242. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
243. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
244. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
245. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
246. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
247. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
248. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद

249. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
250. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
251. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
252. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
253. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
254. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
255. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
256. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
257. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
258. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
259. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
260. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
261. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
262. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
263. लखीराम नागर, श्री मेरठ
264. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
265. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
266. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
267. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
268. वारिस अली, श्री बहराइच
269. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
270. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
271. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
272. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
273. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
274. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
275. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
276. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
277. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
278. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
279. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
280. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
281. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
282. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
283. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
284. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
285. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
286. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
287. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
288. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
289. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
290. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
291. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
292. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
293. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
294. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
295. शिवशंकर, श्री बलिया
296. शीशराम, श्री बिजनौर
297. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
298. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
299. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
300. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
301. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
302. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
303. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
304. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
305. संजय कपूर, श्री रामपुर
306. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
307. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
308. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
309. संध्या, कुमारी मैनपुरी
310. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
311. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
312. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
313. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
314. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
315. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
316. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
317. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया

318. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
319. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
320. सिद्धार्थ शंकर, डा0 — लखनऊ
321. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
322. सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
323. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
324. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
325. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
326. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
327. सुखलाल, श्री — पीलीभीत
328. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
329. सुनील शर्मा, श्री — गाजियाबाद
330. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
331. सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
332. सुभाष, श्री — बलिया
333. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती — ललितपुर
334. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
335. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
336. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
337. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
338. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
339. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
340. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
341. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
342. सुशील कुमार, श्री — चन्दौली
343. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री — आगरा
344. सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
345. सूर्यभान, श्री — मिर्जापुर
346. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
347. सोबरन सिंह, श्री — मैनपुरी
348. हरगोविन्द भार्गव, डा0 — सीतापुर
349. हरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
350. हरिओम, श्री — जालौन
351. हसरत उल्ला, श्री — एटा
352. होराम सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर

नोटः-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भू-तत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, अवस्थापना विकास विभाग एवं संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवथा के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता विरोधी दल सहित समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय लोकदल के अनेक सदस्य खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे तथा कुछ सदस्य नारे लगाने लगे। श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल व कुछ अन्य सदस्य अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे। समाजवादी पार्टी के श्री अम्बिका चौधरी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद हाथ में कोई कागज लिए अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत जर्जर हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। खन्ना साहब, आप बैठ जायें, ऊपर चढ़ने से ऊंचाई नहीं बढ़ पायेगी, डा0 साहब, ऊपर चढ़ने से ऊंचाई नहीं बढ़ती है, नीचे रहिए, ऊंचाई बढ़ेगी। आप पढ़े-लिखे हैं, ऊपर चढ़कर आप ऊंचाई नहीं बढ़ा पायेंगे, नीचे आइए। डा0 साहब, आप नीचे आइए। खन्ना साहब, आप नीचे आ जाइये, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। हम आप लोगों की बात सुनेंगे। आप नीचे आ जाइए। आपको बहुत ऊंचे जाना है। यह तरीका ठीक नहीं है। खन्ना साहब, आप विद्वान आदमी हैं, आप नीचे आ जाइए। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी भी खड़े हैं, आप बैठ जाइये। ठीक है, मैं विपक्ष का पूरा सम्मान कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष जी का सम्मान कर रहा हूं, जो बात हो बताइये, उस हिसाब से हाउस चलाया जाए, यदि आप हाउस चलाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार हूं।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार अपनी बात रखने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

तो ठीक है, हम 11.30 बजे तक के लिए उठते हैं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 02 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 12 बजे मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति अन्य भत्ते दिये जाने की मांग

**1-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता, शिशु शिक्षा भत्ता तथा परिवहन भत्ता दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी नहीं।

महंगाई भत्ते को छोड़कर अन्य भत्ते एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से समकक्षता की नीति कभी नहीं रही है।

प्रदेश में वस्तुओं पर वैट एवं प्रवेश कर से प्राप्त राजस्व तथा विभिन्न करों को घटाये जाने की मांग

**2-श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री हुकुम सिंह तथा श्री जोखू लाल यादव-

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस पर कितने प्रतिशत प्रवेश शुल्क, सीमा/उत्पाद शुल्क या वैट लगा है तथा इससे पिछले वर्ष कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? क्या सरकार मंहगाई का बोझ आम आदमी पर घटाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाये गये विभिन्न प्रकार के करों को घटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

प्रदेश में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत मिट्टी के तेल पर 12.5 प्रतिशत कर एवं 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर, किन्तु डी0पी0एस0 के माध्यम से बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल पर 4 प्रतिशत कर एवं 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर, पेट्रोल पर 26.55 प्रतिशत कर तथा डीजल पर 17.23 प्रतिशत कर लगा है। घरेलू उपयोग की लिक्विड पेट्रोलियम गैस करमुक्त है। उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत डीजल पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है, परन्तु मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर देय होने पर प्रवेश कर की देयता से छूट है। सीमा/उत्पाद शुल्क राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में उपर्युक्त वस्तुओं पर वैट के रूप में रु0 5,335.56 करोड़ तथा प्रवेश कर के रूप में रु0 76.05 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है।

महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में डीजल एवं पी0डी0एस0 के माध्यम से बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल पर वैट की दरें घटायी गयी है तथा घरेलू उपयोग की लिक्विड पेट्रोलियम गैस को करमुक्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से कर की दरें निर्धारित की जाती है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में महानगर योजना समिति के गठन की मांग

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ई के अनुपालन में क्या सरकार महानगर योजना समिति का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश के महानगर क्षेत्रों हेतु उ0 प्र0 महानगर योजना समिति (प्रक्रिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का क्रियान्वयन) नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसमें महानगर योजना समिति के गठन की व्यवस्था है।

उक्त नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त महानगर योजना समिति का गठन यथा प्रक्रिया किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बजेटरी कमेटी के गठन की मांग

*2-श्री उदयभान करवरिया-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोई बजेटरी कमेटी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार अगले बजट सत्र के पूर्व बजेटरी कमेटी की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश की वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त मांग पर विचार किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[विस्तीर्णता एवं गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के नियंत्रण हेतु नीति बनाने की मांग

*4-श्री जोखू लाल यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों की रोकथाम/नियंत्रण हेतु सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार बढ़ते हुये अपराधों पर नियंत्रण हेतु कोई ठोस/कारगर नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त समाज की स्थापना के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण शासन की प्रमुख वरीयताओं में से एक है। वर्तमान सरकार द्वारा सरकार गठन के प्रारम्भ से ही अपराध नियंत्रण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अपराधों का सहज पंजीकरण एवं पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही, समाज के संगठित अपराधियों, माफियाओं, गुण्डा तत्वों, कुख्यात, पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की नीति अपनायी गयी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रदेशवार प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में अपराध दर की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में 34वें स्थान पर है तथा इससे कई गुना अपराध दर अन्य प्रदेशों में है। यह स्थिति सरकार की अपराधों पर अंकुश लगाये जाने की दशा में विशेष संवेदनशीलता बरतने एवं कटुबद्धता तथा कठोर कार्यवाही के कारण ही सम्भव हो सकी है।

इसके अतिरिक्त अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के स्तर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है तथा बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त अपराधों के नियंत्रण हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिले तथा इस समस्या के निराकरण हेतु योजना

*5-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में नक्सल समस्या से कौन-कौन से जिले प्रभावित हैं ? क्या सरकार द्वारा नक्सल समस्या से निपटने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश में नक्सल समस्या से प्रभावित जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चन्दौली है।

जी हां। प्रदेश में नक्सलवाद के नियंत्रण हेतु सुविचारित कार्ययोजना बनाई गई है। नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए जहां एक ओर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गयी है वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में समग्र विकास की रणनीति अपनाई गई है।

सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के सन्दर्भ में आसूचना एकत्रीकरण, सुरक्षा ग्रिड की स्थापना, सुरक्षा बलों का व्यवस्थापन, प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा प्रबन्धन एवं अन्तर-प्रदेशीय समन्वय तथा एरिया डॉमिनेशन की कार्यवाही प्रमुख रूप से की गयी है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में समग्र विकास की रणनीति के तहत क्षेत्रीय निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है और वहां के लोगों को विकास परक योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया है।

कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से आम जनता में पैठ बनाई गयी है।

नक्सल प्रभावित जनपदों में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय, मार्गों का निर्माण ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं प्रान्तीय चिकित्सा सेवा के प्रतिबद्ध छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिलाये जाने की मांग

*6-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मेडिकल कालेजों एवं प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिये शत-प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा देने की नीति पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रदेश सरकार की अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए राजकीय मेडिकल कालेजों एवं प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिये शत-प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा देने की नीति पर सम्प्रति विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ बनाये जाने की मांग

*7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वादकारियों को सस्ता न्याय दिलाने के लिये पश्चिमी, उ0 प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ बनाने हेतु क्या भारत सरकार को अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रदेश सरकार के द्वारा भेजा गया है ? यदि हां, तो उसकी अभी तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार पश्चिमी उ0 प्र0 में हाई कोर्ट की बेंच बनने तक रुहेलखण्ड मण्डल व पश्चिमी उ0 प्र0 के जिलों को न्यायिक प्रक्रिया के लिये लखनऊ खण्डपीठ से जोड़ने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रकरण दिनांक 5-9-1995 को भारत सरकार को संदर्भित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है। परिणामस्वरूप भारत सरकार से इस विषय में आवश्यक निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

प्रदेश के व्यावसायिक टैक्स व वैट से आमदनी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*8-श्री प्रदीप माथुर-

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में व्यवसायियों द्वारा विक्रय की रसीदें न देने से सरकार को वास्तविक व्यवसायिक टैक्स व वैट नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

व्यवसाइयों द्वारा कतिपय विक्रय से सम्बन्धित बीजक (इनवाईस) नहीं दिये जाने से सरकार को वास्तविक राजस्व से कम राजस्व की प्राप्ति संभावित होती है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 22 सपठित नियम-44 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक कर योग्य व्यापारी 250 रुपये से अधिक के माल की बिक्री के सम्बन्ध में क्रेता को विक्रय बीजक जारी करेगा। व्यापारी द्वारा उक्त प्राविधान के अनुसार विक्रय बीजक जारी न किये जाने पर धारा 54 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उस पर माल के मूल्य का 40 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय है। बिक्री के बीजक जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विभाग की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा माल एवं उसके साथ भेजे जा रहे प्रपत्रों की जांच की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों के प्रदूषण को रोकने हेतु कार्य योजना

*9-श्री सुखलाल तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नदियों के जल प्रदूषण को रोकने हेतु क्या सरकार नदियों में विषैले रसायनों को छोड़ने पर रोक लगाये जाने हेतु कोई कारगर तथा ठोस नीति/कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नदी, सरिता, सतही जल में उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं जिसमें टॉक्सिक रसायनों यथा हैवी मैटल्स, पेस्टीसाइड्स इत्यादि के भी मानक निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश में स्थित जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गई है जिनका अनुश्रवण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है तथा मानकों के अनुसार उत्प्रवाह निस्तारित न करने वाले औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय आयोग (एन0सी0पी0सी0आर0) की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों एवं महिलाओं के साथ कतिपय घटनाओं की रोक-थाम के उपाय

*10-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग (एन0 सी0 पी0 सी0 आर0) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में बच्चों एवं महिलाओं के साथ दुराचार तथा बलात्कार की सर्वाधिक घटनायें उत्तर प्रदेश में हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 2009 एवं 2010 में प्रश्नगत अपराधों की संख्या में कोई कमी आई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

निहित व्यवस्था के अनुसार एन0सी0पी0सी0आर0 द्वारा केन्द्र सरकार को ही अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की वर्ष 2008 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के सापेक्ष बच्चों के साथ दुराचार तथा बलात्कार की घटित घटनाओं का विवरण निम्नवत् है:--

राज्य का नाम	बलात्कार की घटनाओं की संख्या	अपराध दर
उत्तर प्रदेश	900	0.5
मध्य प्रदेश	892	1.3
महाराष्ट्र	690	0.6
आन्ध्र प्रदेश	412	0.5
राजस्थान	420	0.6

2-उक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में महिलाओं के साथ दुराचार/बलात्कार की 1871 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जो मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल से कम है। इन राज्यों के सापेक्ष घटित अपराधों का विवरण निम्नवत् है:--

राज्य का नाम	बलात्कार	अपराध दर	छेड़खानी	अपराध दर	सेक्सुअल उत्पीड़न	अपराध दर
उ0 प्र0	1871	1.0	2955	1.5	3374	1.8
मध्य प्रदेश	2937	4.2	6445	9.2	758	1.1
पश्चिम बंगाल	2263	2.6	2396	2.7	94	0.1

3-उक्त रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के साथ बलात्कार/दुराचार की अपराध दर उ0प्र0 में 0.5 है, जबकि भारत वर्ष की सम्पूर्ण औसत अपराध दर 0.5 है तथा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ दुराचार/बलात्कार की अपराध दर 1.0 है, जबकि सभी राज्यों की औसत दर 1.8 तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की औसत अपराध दर 1.9 है।

बच्चों एवं महिलाओं के साथ दुराचार एवं बलात्कार की घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्न प्रभावी कार्यवाही की गयी है-

1-प्रदेश के जनपदों में महिला शिकायत प्रकोष्ठ एवं महिला हेल्प लाइन/चाइल्ड हेल्प लाइन की व्यवस्था की गयी है।

2-प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों में महिला थाना की स्थापना की गयी है।

3-प्रदेश स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हुए अपराधों के विश्लेषण हेतु सी.बी.सी.आई.डी. मुख्यालय पर महिला अधिकारी के अधीन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों का गहन अनुश्रवण करता है।

4-गुमशुदा बच्चों की तलाश एवं बरामदगी हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों/रेलवे अनुभागों में गुमशुदा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके द्वारा जनपद पुलिस द्वारा बरामद किये गये बच्चों को अभिभावकों को सुपुर्द किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है।

5-प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बच्चों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु विशेष किशोर इकाइयों की स्थापना की गयी है।

6-गम्भीर घटनाओं में अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका, गैंगस्टर ऐक्ट एवं गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाया जा सका है।

वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2009 एवं 2010 में प्रश्नगत अपराधों में कमी आयी है।

प्रदेश में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम हेतु निगरानी एवं सुरक्षा नीति बनाये जाने की मांग

*11-श्री कुवेर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों की नियमित जांच, निगरानी एवं सुरक्षा हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश के धार्मिक स्थलों की निगरानी एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में यथोचित कदम उठाये गये हैं:--

(1) प्रदेश के 43 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जनपदवार चिन्हित किया गया है जिनकी सुरक्षा योजनायें जनपद स्तर पर सृजित/कार्यान्वित की जा रही हैं।

(2) अयोध्या, वाराणसी तथा मथुरा स्थित तीनों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों एवं ताजमहल परिसर, आगरा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु शासन द्वारा स्थायी समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तथा पर्वों/त्योहारों व अन्य कार्यक्रमों/आन्दोलनों/आतंकवाद के दृष्टिगत समीक्षोपरान्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

(3) अवशेष धार्मिक स्थलों की निगरानी भी जनपदीय पुलिस व्यवस्था/बीट सिस्टम के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाती है। विशिष्ट अभिसूचना प्राप्त होने पर अथवा कानून व्यवस्था की विषमताओं के दृष्टिगत आवश्यकतानुरूप समय-समय पर इन व्यवस्थाओं को अग्रेतर सुदृढ़ किया जाता है।

(4) विभिन्न निजी संस्थाओं द्वारा संचालित धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय पुलिस के माध्यम से उनको आवश्यक सुरक्षा परामर्श भी प्रदान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ में बच्चों के अपहरण व गुमशुदगी की जांच हेतु सेल का गठन

*12-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में लगातार छोटे बच्चों का अपहरण हो रहा है और यह संख्या 232 तक पहुंच गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस का अलग से कोई सेल बनाकर अपहृत बच्चों को ढूंढने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद-लखनऊ में छोटे बच्चों के अपहरण नहीं हो रहे हैं, बल्कि कतिपय कारणों से नाराज/खिन्न होकर, जैसे पढ़ाई में असफल होने के कारण/प्रेम प्रसंग आदि में पड़कर मां-बाप व अन्य परिजनों की डांट-डपट के कारण घर से चले जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में सूचना प्राप्त होने पर धारा-364 भा0दं0वि0 (गुमशुदगी) का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना गुमशुदा की तलाश/बरामदगी की जाती है। इसके लिए पुलिस कार्यालय लखनऊ में अलग से गुमशुदगी सेल खुला हुआ है। दिनांक 01-01-10 से 30-06-10 तक जनपद लखनऊ में कुल 172 बच्चों के गुमशुदा होने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें से 119 बच्चों को बरामद किया जा चुका है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सुधार हेतु कार्य योजना

*13-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ एवं नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए समय-समय पर मा0 मुख्य मंत्री जी, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करके कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में समीक्षायें करके आवश्यक दिशा-निर्देश उनके स्तर पर भी जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों के नकदीकरण की व्यवस्था पुनः बहाल किये जाने की मांग

*14-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के नकदीकरण की व्यवस्था को पुनः बहाल किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक उक्त शासनादेश जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को केवल सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों तक देय अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त नकदीकरण सम्बन्धी अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए यह संभव नहीं है।

प्रदेश में वादों के निस्तारण हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेन्च स्थापित करने की संस्तुति भेजने सम्बन्धी जानकारी

*15-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने हेतु केन्द्र को संस्तुति भेजी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रकरण दिनांक 5-9-95 को भारत सरकार को संदर्भित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है। परिणामस्वरूप भारत सरकार से गठन व स्थान के बावत आवश्यक निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को (ए0सी0पी0) का लाभ दिलाये जाने की मांग

*16-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विनियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश सं0 15/18/86-87-का0-1-2001, दिनांक 20-12-2001 का लाभ विलम्ब से देने के कारण प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ भी विलम्ब से प्राप्त होने से उन्हें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) में आर्थिक क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पात्रता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ शासनादेश जारी होने की तिथि से दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

जी नहीं।

उक्त शासनादेश दिनांक 20-12-2001, तदर्थ पदोन्नतियों के विनियमितीकरण से सम्बन्धित है, जो सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की गयी स्थानापन्न पदोन्नतियों के विनियमितीकरण पर लागू नहीं होता है।

अतारांकित

प्रदेश में सार्वजनिक अवकाशों को कम करने की मांग

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुये सार्वजनिक अवकाशों को दृष्टिगत रखते हुये सभी अवकाशों की समीक्षा करते हुये सार्वजनिक अवकाशों को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में जितने सार्वजनिक अवकाश घोषित हुए हैं वह पर्याप्त समीक्षा के पश्चात् किये गये हैं तथा उनकी संख्या उचित है।

उपरोक्तानुसार।

मान्यवर काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत भवन के मापदण्ड का आधार

2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत किन-किन शहरों में वर्ष 2009-10 में उक्त योजना लागू की गई है तथा कितने लोगों को भवन आवंटित किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि भवन आवंटन में पात्रता का मापदण्ड क्या है ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2008-09 में लागू की गयी है। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में निर्धारित लक्ष्य 1,01,000 आवासों के सापेक्ष पूर्ण रूप से निर्मित किये गये 98338 आवासों में से अब तक 86759 आवासों का आवंटन पात्र व्यक्तियों को किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में योजना का द्वितीय चरण प्रदेश के समस्त शहरों में प्रारम्भ किया गया है।

वर्तमान नीति के अनुसार योजनान्तर्गत भवन आवंटन में पात्रता मापदण्ड निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-

1-सभी श्रेणी के लाभार्थी उ0 प्र0 राज्य के मूल निवासी हो।

2-आवेदक सम्बन्धित निकाय/शहरी क्षेत्र का स्थायी निवासी हो। इसके प्रमाण के रूप में मतदाता सूची, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र अथवा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र में से कोई एक साक्ष्य होना अनिवार्य है तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला प्रत्येक परिवार इस योजना हेतु पात्र होगा। परिवार के पास बी0पी0एल0 कार्ड होना अनिवार्य नहीं है, केवल आय प्रमाण-पत्र ही समुचित होगा।

3-ऐसे आवेदक जिनके पास अपनी 30 वर्ग मीटर तक आवासीय भूमि सम्बन्धित शहरी निकाय में है, परन्तु वह कच्चे मकान अर्थात् जिसके पास पक्की छत का मकान न हो में निवास कर रहे हैं, तो वह पात्रता श्रेणी में आयेंगे।

4-बी0पी0एल0 रेखा के नीचे रहने वाले आवेदक जिन्हें मालिकाना हक योजना के अन्तर्गत उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण मालिकाना हक नहीं दिया जा सका है, ऐसे लाभार्थियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। यदि कोई गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला परिवार सम्बन्धित शहरी निकाय में किराये पर रह रहा है और उपरिलिखित कोई भी एक प्रमाण-पत्र उपलब्ध है तो वह इस योजना के अन्तर्गत आवास हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसके पास शहरी निकाय में अपना कोई मकान अथवा आवासीय भूमि 30 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

5-सम्बन्धित शहरी निकाय के अन्दर निवास करने वाले प्रति परिवार के हिस्से में 30 वर्ग मीटर अधिकतम आवासीय भूमि जिस पर चाहे पक्का मकान (एक मंजिला) क्यों न बना हो, को मानक मानते हुए यदि किसी संयुक्त परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, में एक से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं, तो उन्हें भी

योजनान्तर्गत पात्रता की सूची में सम्मिलित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी शहरी गरीब परिवार के पास 100 वर्ग मीटर का आवासीय भूमि उपलब्ध हो, किन्तु उस संयुक्त परिवार में पांच परिवार निवास कर रहे हैं, तो प्रति परिवार 30 वर्ग मीटर को मानक मानते हुए शेष दो परिवारों को इस आधार पर योजनान्तर्गत आवास आवंटित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6-आवंटन में आरक्षण का प्राविधान है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को वरीयता क्रम में आवंटन किया जायेगा।

7-पात्र लाभार्थियों में से सर्वप्रथम विधवा तथा उसके पश्चात विकलांग श्रेणी के लाभार्थियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। इस श्रेणी के लाभार्थी के पास यदि बी0पी0एल0 कार्ड नहीं है, तो उसके लिए गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त होगा परन्तु ऐसे सभी लाभार्थियों के बारे में जिलाधिकारी द्वारा आय प्रमाण-पत्र का शत-प्रतिशत सत्यापन के उपरान्त ही विचार किया जायेगा।

योजना में विकलांगों, तत्पश्चात विधवाओं को भूतल पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। विकलांग लाभार्थियों के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र होना चाहिए जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।

जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड मोहम्मदी में इन्दिरा आवास की धनराशि के दुरुपयोग की जांच की मांग

3-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा, शाहपुर जागीर के मजरा बेलहरा, विकास खण्ड मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर में पुष्पा देवी, पत्नी सत्यवीर, शारदा देवी, पत्नी गोकरन, मीरा देवी, पत्नी तिरखा के इन्द्रा आवास का धन निकाल कर दुरुपयोग/गबन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार लाभार्थियों के लिये इन्द्रा आवास समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी नहीं। आवास निर्माण हेतु प्रत्येक लाभार्थी को रु0 25,000 स्वीकृत किया गया था, जिसमें से रु0 18,750.00 प्रथम किश्त के रूप में तथा रु0 6,250.00 द्वितीय किश्त के रूप में बैंक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में स्थानान्तरित किया जा चुका है। लाभार्थीगण द्वारा आवास निर्माण हेतु स्वयं बैंक से धन आहरित किया गया है।

उपरोक्तानुसार कोई औचित्य नहीं है।

अपूर्ण आवास पूर्ण करने हेतु लाभार्थियों को नोटिस जारी की गई है तथा आवास अपूर्ण रहने के सही कारणों की जांच कराई जा रही है।

नगर निगम वाराणसी को विधायक/पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि का विवरण

4-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी को प्रेषित पत्र संख्या 122/मु0अ0/09-10 दि0 19-8-2009 द्वारा सूचित किया गया कि विधायक/पूर्वान्चल विकास निधि के अन्तर्गत जो धनराशि नगर निगम, वाराणसी को प्राप्त हुई थी उस धनराशि पर अर्जित रु0 2062593.00 (बीस लाख बासठ हजार पांच सौ तिरानबे) चेक संख्या 501889 दिनांक 24-7-2009 द्वारा वापस कर दी गयी ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी को प्रेषित पत्र दिनांक 23-9-2009 द्वारा यह जानकारी मांगी गयी थी कि वर्ष 1989 में पहली बार विधायक निर्वाचित होने के बाद से अब तक उक्त दोनों निधियों के अन्तर्गत सभी विकास कार्य उनके द्वारा केवल वाराणसी नगर निगम द्वारा ही कराया जाता रहा है ? उक्त दृष्टि से मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी को जो ब्याज की धनराशि वापस प्राप्त हुई है, उसमें प्रश्नकर्ता द्वारा कराये गये सभी कार्यों के सापेक्ष ब्याज की धनराशि कितनी है ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। नगर निगम वाराणसी का विधायक/पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत संचालित खाते पर दिनांक 29-12-99 से 31-7-2009 तक रु0 30,62,593.00 (तीस लाख बासठ हजार पांच सौ तिरान्वे मात्र) ब्याज अर्जित हुआ है जिसे चेक संख्या-501889 दिनांक 24-7-2009 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी को वापस किया जा चुका है।

पूर्वकाल से दिनांक 29-12-99 तक मा0 विधायक जी के कोटे की धनराशि नगर निगम अनुदान निधि में रखी जाती थी उस खाते पर कोई ब्याज अर्जित नहीं हुआ है।

जनपद वाराणसी के राजेन्द्र प्रसाद घाट व चितरंजन पार्क निकट सुलभ शौचालय को दो मंजिल बनवाने की मांग

5-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में राजेन्द्र प्रसाद घाट के समीप चितरंजन पार्क के सामने निर्मित एक मात्र सुलभ शौचालय में समय-समय पर एकत्रित होने वाले तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुये उक्त शौचालय के ऊपर एक अथवा दो मंजिल का शौचालय बनाये जाने और उक्त निर्माण पर खर्च होने वाले धन को प्रश्नकर्ता द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत उपलब्ध कराने सम्बन्धी वाराणसी नगर निगम एवं जिला प्रशासन को आगणन बनाने एवं आवश्यक स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-2009, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

उक्त के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा कार्य योजना धनांक 36,15,000.00 की बनायी गयी है। मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी को पत्र संख्या-144/सा0अ0/2010-11, दिनांक 21-01-2010 के माध्यम से विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृति एवं धन अवमुक्त करते हैं। पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर धोबियों हेतु घाट का निर्माण कराये जाने की मांग

6-श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में गंगा नदी में धोबियों द्वारा कपड़ा धोने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा चिन्हित स्थानों पर कपड़ा धोने हेतु धोबी घाट का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी जिला धोबी घाट बचाओ संघर्ष समिति का पत्र संलग्नकों सहित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-12-2009 जिसमें भूलवश 17-12-2008 अंकित था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। इस संदर्भ में नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी की अध्यक्षता में क्रमशः दिनांक 20-01-2010 तथा 6-2-2010 को जिला धोबी घाट बनाओ संघर्ष समिति राष्ट्रीय गंगा सेवा अभियान, वाराणसी के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित अधिकारीगण की बैठक आहूत की गयी थी। दिनांक 20-01-2010 की बैठक में उक्त समिति द्वारा क्षेत्रवार 09 जगहों पर धोबी घाट बनाये जाने की मांग की गयी थी। उनका कहना था कि अगर इन्हें उक्त धोबी घाट बनाकर दे दिया जाये तो धोबी समाज पूर्ण रूप से गंगा में कपड़ा धोना बन्द कर देंगे। इस संदर्भ में प्रस्तावित धोबी घाटों पर धोबियों की संख्या क्षेत्रवार मांगे जाने पर समिति द्वारा 15 दिनों का समय मांगा गया था। पुनः दिनांक 06-02-2010 की बैठक में भी जिला धोबी घाट बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 10 दिनों का समय मांगा गया था। लेकिन निर्धारित समय के भीतर वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। अब इनके द्वारा क्षेत्रवार धोबियों की संख्या बता दी गयी है जिसके आधार पर धोबी घाट की डिजाइन व ड्राइंग नगर निगम वाराणसी द्वारा तैयार करायी जा रही है।

जनपद मथुरा में रायफल क्लब में विगत कई वर्षों में प्राप्त धनराशि व व्यय का विवरण

7-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में राइफल क्लब क्या अस्तित्व में है ? यदि हां, तो वर्ष 2007-08, 2008-2009 एवं 2009-2010 में इस क्लब की कुल जमा पूंजी एवं प्राप्तियों/खर्चों का वर्षवार विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जनपद मथुरा के रायफल क्लब में वर्ष 2007-08 में रु0 99,124 प्राप्त हुआ तथा रु0 45,050 व्यय किया गया, वर्ष 2008-09 में रु0 1,76,750 प्राप्त हुआ तथा रु0 20,000 व्यय किया गया एवं वर्ष 2009-10 में रु0 27,000 प्राप्त हुआ तथा व्यय शून्य रहा।

जनपद इलाहाबाद तहसील बारा के नगर पंचायत शंकरगढ़ के विकास से सम्बन्धित कथित-पत्र

8-श्री उदयभान करवरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत शंकरगढ़, तहसील बारा, जनपद इलाहाबाद के विकास से सम्बन्धित संलग्न प्रस्ताव सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/106395 दिनांक 14-9-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा बुढ़ावा में फायर स्टेशन की स्थापना की मांग

9-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बुढ़ावा, विकास खण्ड जसरा, तह0 बारा, जनपद इलाहाबाद में फायर स्टेशन (अग्नि शमन केन्द्र) की स्थापना हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा जमीन का चिन्हीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां, ग्राम बुढ़ावा, विकास खण्ड जसरा, तहसील बारा, जनपद इलाहाबाद में भूमि का चिन्हीकरण कर दिया गया है तथा इस हेतु शासनादेश संख्या-576/छः-पु0-8-09-02 (स्थापना)/07, दिनांक 24-2-2009 द्वारा तहसील बारा, जनपद इलाहाबाद में 02 यूनिट के फायर स्टेशन के स्थापना की स्वीकृति दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की कोरांव मेजा, बारा तहसीलों में कतिपय योजनाओं की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

10-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में कोरांव मेजा, बारा तहसीलों में इन्दिरा आवास योजना महामाया आवास योजना तथा हैण्डपम्प अधिष्ठापन के मद में आवंटित धन बुन्देलखण्ड के मानक से बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्रों के विकास के लिये बुन्देलखण्ड के अनुरूप धनराशि बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

इन्दिरा आवास योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। भारत सरकार द्वारा सीधे जनपदों को दिये जाने वाले केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जाती है।

हैण्डपम्प अधिष्ठापन के मद में इन क्षेत्रों में भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अनुरूप ही लागत जारी की जाती है।

महामाया आवास योजना हेतु प्रश्नगत तहसीलों के लिये आवंटित धनराशि, तहसील के आवासविहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या व सभी जनपदों को दी जाने वाली धनराशि के अनुपात में आवंटित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री उदयभान करवरिया-

[विस्तीर्णता एवं एक से अधिक विभाग से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

लखनऊ में शहीद पार्क के निर्माण की मांग

12-श्री जोखू लाल यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश की आजादी के शहीदों की यादगार में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ''शहीद पार्क'' का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। देश की आजादी के शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक पार्क का निर्माण गोमती तटबन्ध पर राजधानी लखनऊ में पूर्व में ही किया जा चुका है, जिसका रख-रखाव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स के रिकार्डों को पूर्ण डाटाबेस तैयार करने के निर्देश

13-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स से सम्बन्धित रिकार्ड की धोखाधड़ी को रोकने के लिए समस्त जिलों के रिकार्डों को कम्प्यूटराइज्ड कर आनलाइन जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

भारत सरकार के शासनादेश संख्या-बी-11016/16/2009-आर्म्स, दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा लाइसेन्सिंग प्राधिकारी को व्यापक एवं पूर्ण डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्सों की तरफ गनहाउसों का नवीनीकरण कराये जाने की मांग

14-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन हाउसों का नवीनीकरण प्रति वर्ष किया जाता है। क्या सरकार शस्त्र लाइसेन्सों की तरह गन हाउसों को भी नवीनीकरण का लाइसेन्स तीन वर्ष के लिए दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

शस्त्र व्यवसाय एक अत्यन्त संवेदनशील, कानून व्यवस्था व लोक शांति तथा जनसुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला व्यवसाय होने के दृष्टिगत शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसों का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

पंजाब प्रान्त की तर्ज पर प्रदेश में एक ही बुक पर शस्त्रों की प्रविष्टि किये जाने की मांग

15-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब प्रान्त की तर्ज पर क्या सरकार प्रदेश में एक ही बुक पर बन्दूक, रायफल, रिवाल्वर की प्रविष्टि किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासन के संज्ञान में आया है कि लाइसेसिंग प्राधिकारियों द्वारा एक लाइसेन्स पर एक से अधिक शस्त्र अंकित कर दिये जाते हैं और अतिरिक्त शस्त्रों का पूर्व में जारी लाइसेन्सों पर अंकित करने से पूर्व पुलिस रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की जाती है। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 के अनुसार प्रत्येक मामले में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। आयुध अधिनियम/नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, जिसके अन्तर्गत एक शस्त्र के लिये जारी लाइसेन्स पर ही अन्य शस्त्रों को अंकित किया जा सके। उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3197 आर/छ-पु-5-90, दिनांक 25 अगस्त, 1990 द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को एक लाइसेन्स पर एक से अधिक शस्त्र अंकित न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

16-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रियदर्शिनी शान्ति समिति 215/266 सुभाष मार्ग, लखनऊ के केन्द्रीय अध्यक्ष, जी0एस0 श्रीवास्तव का पत्र दिनांक 28-5-07 तथा 6-09-09 जो लखनऊ शहर के नगर मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जांच कराये जाने तथा उनके द्वारा किये गये अशोभनीय कृत्यों के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 श्री हरमिन्दर राज सिंह प्रमुख सचिव आवास का आत्महत्या के कारणों की जांच

17-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वरिष्ठ आई0ए0एस0, आवास सचिव श्री हरमिन्दर राज सिंह ने विगत दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने आत्महत्या के कारणों की जांच की है ? यदि हां, तो क्या तथ्य सामने आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 29-11-09 को श्री हरमिन्दर राज सिंह, प्रमुख सचिव, आवास द्वारा की गयी आत्महत्या में लाश का पोस्टमार्टम कराया गया तथा जिस रिवाल्वर/कारतूस से आत्महत्या की गयी थी, उसको पुलिस कब्जे में लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच करायी गयी। प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं पुलिस द्वारा की गयी जांच में आत्महत्या के अलावा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद बुलन्दशहर के नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत टेलीकाम कम्पनियों के निर्मित टावरों की संख्या एवं उसके रेडियेशन के सम्बन्ध में जानकारी

18-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न टेलीकाम कम्पनियों द्वारा उनके टावर कितनी संख्या में लगे हैं तथा क्या यह टावर मानकों के अनुसार लगाये गये हैं ? क्या टावरों से निकलने वाले रेडियेशन (तरंग) के कारण तरह-तरह के रोग पैदा हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर की सीमा के अन्तर्गत 56 टावर स्थापित हैं तथा उक्त टावर मानकों के अनुरूप लगाये गये हैं।

जी नहीं। रेडियेशन के कारण उत्पन्न रोगों के बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरों/नगरों में समान विज्ञापन नीति बनाये जाने पर विचार

19-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के शहरों/नगरों में समान विज्ञापन नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश के महानगरों इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में कितना-कितना रुपया वर्षवार विज्ञापन से प्राप्त हुआ है ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। वर्तमान में प्रदेश के नगर निगमों में एक समान विधि सम्मत नियमावली उ0 प्र0 नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2009 अधिसूचना दिनांक 24-12-2009 द्वारा प्रकाशित की गयी है।

उक्त प्रकाशित नियमावली में विज्ञापन नीति का विस्तृत विवरण अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापन मद में प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(रु0 लाख में)

जनपद	*2005-06*	*2006-07*	*2007-08*	*2008-09*	*2009-10*
इलाहाबाद	5.34	4.86	0.53	2.53	5.13
लखनऊ	323.96	269.22	285.21	243.86	340.67
आगरा	101.02	90.88	112.33	181.94	207.20
मेरठ	182.50	75.38	85.80	42.80	78.76
वाराणसी	54.58	64.11	114.37	95.96	119.35
गोरखपुर	7.13	16.48	21.99	68.70	61.66

प्रदेश के सचिवालय के अधिकारियों/समीक्षा अधिकारियों की भांति सहायक समीक्षा अधिकारियों को सी0यू0जी0 मोबाइल सिम सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

20-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/समीक्षा अधिकारियों को सी0यू0जी0 मोबाइल सिम की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधा सहायक समीक्षा अधिकारियों को भी उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2630/बीस-8-वि-2008-टी-26 (79)/2008, दिनांक 26-8-2008, उ0 प्र0 सिविल सचिवालय में तैनात विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव, अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव, अपर निजी सचिव एवं इनके समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत संचार निगम लि0 की क्लोज यूजर्स ग्रुप (सी0यू0जी0) मोबाइल कनेक्शन योजना के अन्तर्गत मोबाइल सिम की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश निर्गत किये गये। अतः उक्त आदेश के अनुसार सहायक समीक्षा अधिकारियों को मोबाइल सिम देने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश सविचालय के सहायक समीक्षा अधिकारी कम्प्यूटर को समीक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति करने की मांग

21-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी (कम्प्यूटर) के पद सृजित हैं ? यदि हां, तो सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की भांति क्या सहायक समीक्षा अधिकारी (कम्प्यूटर) को भी समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जा सकती है ? यदि हां, तो सेवा नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को समस्त भत्तों का भुगतान कराये जाने की मांग

22-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता एवं शिक्षा भत्ता दिये जाने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति माह जनवरी, 2010 से देय मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान राजकीय कर्मचारियों को कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

भत्तों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से समकक्षता की राज्य सरकार की नीति कभी नहीं रही है। इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 19 जुलाई, 2010 को निर्गत किया जा चुका है।

लखनऊ के हरदोई रोड स्थित बरावन कलां व अन्य शहरी सीमा पर पेयजल व सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

23-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ हरदोई रोड स्थित ग्राम बरावन कलां व अन्य गांव शहरी सीमा में ढाई दशक पूर्व सम्मिलित होने के बाद भी सीवर लाइन/वाटर लाइन की मूलभूत सुविधाएं अभी तक उपलब्ध न होने के कारण वहां के लोग खुले में शौच हेतु विवश हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिहायशी कालोनियों में सीवर लाइन/जलापूर्ति हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। शहरी सीमा में सम्मिलित किये गये ग्राम बरावन कलां आदि अभी तक पाईप्ड पेयजल एवं सीवर योजना से लाभान्वित नहीं है।

जी हां। संसाधनों की उपलब्धता पर योजना विरचित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के रिवर बैंक कालोनी के सार्वजनिक रास्ते पर क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को ठीक कराने की मांग

24-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ स्थित रिवर बैंक कालोनी में आवास संख्या ''सी'' 1/4 के बगल में सार्वजनिक रास्ते में पानी की कई पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त एवं जर्जर होने के कारण विगत छः माह से पानी सड़क पर बह रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पाइप लाइन को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। 6 माह से कोई पाइप लाइन लीक नहीं कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम व पोस्ट रामगंज, तहसील पट्टी के अनेकों ग्रामवासियों का विवेकाधीन कोष से चिकित्सा कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

25-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रीता उपाध्याय निवासी ग्राम व पोस्ट रामगंज, तहसील पट्टी एवं श्री रामहित यादव बनपुरवा प्रतापगढ़ एवं श्री घनश्याम तिवारी, भाऊपुर पट्टी तथा श्रीमती जयन्ती देवी पत्नी श्री उदयराज मिश्र, ग्राम सुन्दरपुर तहसील पट्टी एवं श्रीमती नीतू सिंह, ग्राम महरूपुर, तहसील पट्टी तथा श्री खुशीराम, निवासी तहसील पट्टी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क्रमशः 1058/आ0सं0/09, दिनांक 21-7-09, 378/08, दिनांक 23-9-08, 408/08, दिनांक 24-9-08, 1243/09, 333/08, दिनांक 18-9-08, 232/08, दिनांक 28-8-08, विवेकाधीन कोष से चिकित्सा कराये जाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ की आख्या/संस्तुति के आधार पर श्रीमती रीता उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो0 रामगंज, श्रीमती नीतू सिंह तथा श्री घनश्याम तिवारी, निवासी भाऊपुर पट्टी को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया।

श्री रामहित यादव बनपुरवा, (पुत्री के उपचार हेतु), श्री खुशीराम निवासी तह0 पट्टी को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है तथा श्रीमती जयन्ती देवी पत्नी श्री उदयराज मिश्र ग्राम-सुन्दरपुर, तह0-पट्टी, प्रतापगढ़ को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप निरीक्षक कैडैट सुश्री अनुभा वर्मा द्वारा गलत विकलांग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की जांच

26-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-619/आ0सं0/08, दिनांक 17-12-08 श्री हरवीर सिंह के संलग्न शिकायती-पत्र जो अभिसूचना विभाग में अनुभा वर्मा द्वारा गलत विकलांग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर जनपद गाजियाबाद के वर्ष 2005 में घोषित उप निरीक्षक परिणाम में चयनित किये जाने के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 को उक्त पत्र के साथ अन्य और पांच पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। अभिसूचना विभाग से प्राप्त सूचनानुसार शिकायती-पत्रों में लगाये आरोप के दृष्टिगत उप निरीक्षक कैडेट अनुभा वर्मा का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्साधीक्षक बी0आर0डी0 संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ के माध्यम से अस्थि रोग विभाग, छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से कराये जाने पर उ0 नि0 कैडेट अनुभा वर्मा को कोई फिजिकल डिसएबिलिटी नहीं पायी गयी। उप निरीक्षक कैडैट अनुभा वर्मा का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् लखनऊ से भी कराया गया जिनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद् लखनऊ द्वारा प्रो0/विभागाध्यक्ष, अस्थिरोग विभाग सी0एस0एम0 चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की संस्तुति दिनांक 13-09-07 एवं 26-09-07 पर सहमति व्यक्त की गयी जिसके आधार पर उप निरीक्षक कैडैट अनुभा वर्मा को अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ में आगमन करा लिया गया था।

उप निरीक्षक व्यवहारिक प्रशिक्षणाधीन सुश्री अनुभा वर्मा द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं राजकीय कार्य के प्रति संवेदनशील न होने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाने, घोर लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता व राजकीय कर्तव्य के प्रति अवहेलना के कारण पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-537 एवं उ0 प्र0 अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 10-5-10 द्वारा उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कलेक्टर पुरवा मजरा बेलवई में पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी-पत्र

27-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-12-09 जो अधिशासी अभियन्ता जल निगम 16वीं शाखा बांदा को सम्बोधित है तथा जो ग्राम कलेक्टर पुरवा मजरा बेलवई में पाइप लाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम के मजरा में पाइप लाइन द्वारा पूर्व से ही पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित मायानगर मोहल्ले में ट्यूबवेलों से जलापूर्ति कराये जाने की मांग

28-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में स्थित मायानगर मोहल्ले के समीप मोहल्लों में चार ट्यूबवेलों से जलापूर्ति की जा रही है ? क्या मायानगर मोहल्ले में टंकी से जलापूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मायानगर मोहल्ले में भी ट्यूबवेलों से जलापूर्ति कराये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

उक्त क्षेत्र में 04 ट्यूबवेल से जलाशय को भरकर पानी की आपूर्ति की जाती है।

जी हां।

जी नहीं। माया नगर में वर्तमान में टंकी से पर्याप्त पेयजलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

ग्राम कछबन्ध, विकास खण्ड डोभी जनपद-जौनपुर को अम्बेडकर ग्राम घोषित करने पर अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

29-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कछबन्ध, विकास खण्ड डोभी जनपद-जौनपुर को अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांव में अनुमन्य सुविधाओं का लाभ मुहैय्या कराया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त ग्राम को कब तक अनुमन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रतन लाल अहिरवार)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत उक्त ग्राम के चयनित होने पर अनुमन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाना सम्भव है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत गतवर्षों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का विवरण

30-श्री लाल जी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं, और किस-किस व्यक्ति के नाम/दरवाजे और किस-किस ग्राम सभा में लगाये गये हैं ?

क्या सरकार सभी लगे इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में कुल 269 एवं वर्ष 2009-10 में कुल 422 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं जिनका स्थलवार विवरण†मा0 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत विकास खण्ड अगौता में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

31-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत विकास खण्ड अगौता में पदवार स्टाफ की कितनी कमी है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विकास खण्ड अगौता, नवसृजित विकास खण्ड है। इसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का अभी सृजन नहीं हुआ है। पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है।

विभिन्न विकास खण्डों से आवश्यकता के अनुसार निम्न अधिकारी/कर्मचारियों को सम्बद्ध करके विकास खण्ड का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित कराया जा रहा है :-

क्र0सं0	पद नाम	संख्या
1	2	3
1	खण्ड विकास अधिकारी	01
2	अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	01
3	अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई	01
4	सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	01
5	सहायक विकास अधिकारी (कृषिरक्षा)	01
6	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	01
7	सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय)	01
8	सहायक विकास अधिकारी (आई0 एस0 बी0)	01
9	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	01
10	सहायक विकास अधिकारी (स0 क0)	01
11	ब्लाक संगठक	01
12	सहायक लेखाकार	01
13	स्थापना लिपिक	01
14	सामान्य लिपिक	01
15	पत्रवाहक	02

† छापा नहीं गया।

क्र0सं0	पद नाम	संख्या
16	ग्राम विकास अधिकारी	06
17	ग्राम पंचायत अधिकारी	06

पदों का सृजन हो जाने के उपरान्त यथासमय नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में लगे स्प्लिट ए0सी0 को ऊपर करवाने की मांग

32-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय मुख्य भवन स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में लगे स्प्लिट ए0सी0 की गरम हवा आने-जाने वालों के ऊपर सीधे पड़ती है ? यदि हां, तो क्या निकलने वाली उक्त गरम हवा के पंखों को दस फिट ऊपर लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में लगे स्प्लिट ए0सी0 के पंखों (यूनिटों) को भूमि से दस फिट ऊपर लगवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

33-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

[पहले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-लखनऊ के प्रभातपुरम् कालोनी, पारा रोड राजाजीपुरम् में नाली, सीवर, सड़क की सुविधा दिये जाने की मांग

34-श्री जोखू लाल यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के प्रभातपुरम कालोनी, पारा रोड राजाजीपुरम् में नाली, सीवर, सड़क की व्यवस्था न होने के कारण वहां के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी वासियों को उक्त सुविधा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट कालोनाईजर द्वारा भू-खण्ड का विक्रय कर बसाई गई अविकसित कालोनी है जिसमें विकास कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर अथवा विकास शुल्क जमा कराकर लखनऊ विकास प्राधिकरण का है।

उपोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायनगर के ग्राम जारऊ व कजोली में सी0 सी0 का कार्य कराने विषयक-पत्र

35-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जारऊ में सोरन सिंह के घर के सामने से हरविलास के यहां तक व ग्राम कजौली में नगीना के घर से सहदेव के घर तक सी0सी0 कार्य कराये जाने विषयक मुख्य विकास अधिकारी, महामायानगर का अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अलीगढ़/महामायानगर को सम्बोधित पत्रांक 1729/अम्बे, सहा0/सा0पत्रा0/2009-10 दि0 30-11-09 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी हां।

जी नहीं।

1-ग्राम जारऊ में सेंरन सिंह के घर के सामने से हरविलास के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य स्थानीय व्यक्तियों में गम्भीर विवाद होने एवं शान्ति व्यवस्था भंग होने की स्थिति को देखते हुए नहीं कराया जा सका है।

2-ग्राम कजौली वर्ष 2010-11 की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

36-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[गोपनीयता एवं राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के आधार पर निरस्त]

जनपद हाथरस की ग्राम तहसील सादाबाद के ग्राम गढ़ी के लापता पाकिस्तानी नागरिक नन्नू खां एवं हामिद बेग को खोजने के सम्बन्ध में कार्यवाही

37-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी नागरिक नन्नू पुत्र वली मुहम्मद ग्राम-गढ़ी रत्ती, तहसील सादाबाद से, हामिद बेग पुत्र बिसमिल्लाह बेग मोहल्ला तबेला हाथरस से एवं कयूम अली पुत्र मंजूर अली मोहल्ला पत्थर बाजार हाथरस से लगभग 50 वर्ष से लापता है ? क्या जनपद महामायानगर पुलिस को बीजा पर आये इन पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में जानकारी है ? यदि हां, तो वर्तमान में ये पाकिस्तानी नागरिक कहां निवास कर रहे हैं ? क्या सरकार इन लापता पाकिस्तानी नागरिकों को खोजने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पाक राष्ट्रिक नन्नू खां पुत्र वली मुहम्मद दिनांक 17-11-1960 से हामिद बेग पुत्र बिसमिल्लाह वर्ष 1963 से व कयूम अली पुत्र मंजूर अली दिनांक 2-4-1962 से विलुप्त हैं।

जी हां।

जिला पुलिस, स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं विशेष शाखा की संयुक्त टीम द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाए गये हैं किन्तु इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वर्तमान में भी उपरोक्त तीनों पाक राष्ट्रिकों की खोज जारी है एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई जिला पुलिस द्वारा विलुप्त पाक राष्ट्रिकों की खोज हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद महामायानगर के विकास खण्डों में रिमोट सेन्सिग सर्वे का कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी जानकारी

38-डा0 अनिल चौधरी-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के सादाबाद एवं सहपऊ विकास खण्ड में ''रिमोट सेन्सिग सर्वे'' कार्य क्या पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे के परिणामों को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

जी हां।

सदन के आदेशानुसार पटल पर रखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर के विकास खण्ड सादाबाद में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों को पूर्ण कराने सम्बन्धी-पत्र

39-डा0 अनिल चौधरी-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मनस्याँ कलाँ विकास खण्ड सादाबाद, जनपद-महामायानगर में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराये गये अधूरे सी0सी0 कार्य को पूर्ण कराये जाने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, महामायानगर को सम्बोधित पत्र दि0 9-12-09 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा सम्बन्धी जानकारी

40-श्री जर्नादन प्रसाद ओझा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 से राजकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो उनकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन के बदले प्रतिपूर्ति हेतु क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का दायित्व क्षेत्र के थानाध्यक्षों को निर्धारित करने की मांग

41-श्री जर्नादन प्रसाद ओझा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सरकार उक्त क्षेत्र के थानाध्यक्षों का दायित्व निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सरकार जमीन पर अवैध कब्जा करने के विरुद्ध कार्यवाही का दायित्व उस थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष का तब निर्धारित किया जायेगा जब सम्बन्धित विभाग/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा अवैध कब्जा प्रमाणित कर सम्बन्धित के विरुद्ध थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जायेगी तथा थानाध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रकरणों में विधिक कार्यवाही न की जाय अथवा थानाध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रकरणों में लापरवाही बरती जाय।

प्रदेश में इस प्रकार का कोई प्रकरण अभी तक प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय व्यक्तियों को विवेकाधीन कोष से चिकित्सा हेतु अनुदान दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

42-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की श्रीमती लीलावती देवी, ग्राम पचौरी, श्री रामगोपाल ग्राम पूरे पाण्डेय, श्रीमती उर्मिला प्रजापति ग्राम परसनी एवं श्रीमती रोमा सिंह, ग्राम साल्हीपुर कंजास, के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 क्रमशः 1177/09, दिनांक 01-09-09, 1188/09, दिनांक 1-9-09, 939/09, दिनांक 12-6-09, 471/06, दिनांक 17-10-2008 जो विवेकाधीन कोष से चिकित्सा कराये जाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ-91/मुमका-4/09, दिनांक 9-12-09 द्वारा श्री राम गोपाल पुत्र श्री श्याम शंकर गुप्ता को रु0 50,000/- (पचास हजार) एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-63/मु0म0का0-4/09, दिनांक 01-10-09 द्वारा श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री राम मिलन को रु0 30,000/- (तीस हजार) की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

श्रीमती लीलावती देवी ग्राम-पचौरी एवं श्रीमती रोमा सिंह, ग्राम-साल्हीपुर के मामले में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से प्राप्त आख्या/संस्तुति के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ग्रामों के व्यक्तियों को विवेकाधीन कोष से चिकित्सा कराये जाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

43-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ निवासी बाबू लाल ग्राम सरसतपुर, श्री राधेश्याम सिंह ग्राम सालहीपुर कंजास, श्री शिव प्रताप सिंह ग्राम अन्तपुर श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम पूरब, श्रीमती नीतू सरोज निवासी ग्राम वारी कलाँ पट्टी, सुश्री संगीता वर्मा निवासी ग्राम जयतापुर, श्री महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव गौरा सैफाबाद, श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव

निवासी ग्राम रामपुर बेला के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क्रमशः 772/09, दि0 17-3-09, 797/09, दि0 17-3-09, 799/09, दि0 17-3-09, 798/09, दि0 17-3-09, 836/09, दि0 26-3-09, 841/09, दि0 26-3-09, 857/09, दि0 26-3-09, एवं 858/09, दि0 26-3-09, जो विवेकाधीन कोष से चिकित्सा कराये जाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

(अनिल कुमार सिंह को छोड़कर)

कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ 91/मुमका-4/09, दिनांक 9-12-09 द्वारा श्रीमती संगीता वर्मा पत्नी श्री संत प्रसाद को रु0 60,000/- (साठ हजार) एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ-66/मुमका-4/09, दिनांक 6-10-09 द्वारा श्रीमती रेखा श्रीवास्तव पत्नी श्री महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को रु0 40,000/-(चालीस हजार) तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ-15-मुमका-4/10, दिनांक 3-5-10 द्वारा श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री माता प्रसाद श्रीवास्तव को रु0 5,000 (पांच हजार) की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री बाबू लाल ग्राम सरसतपुर व श्री राधेश्याम सिंह ग्राम सालहीपुर कंजास एवं शिव प्रताप सिंह ग्राम अंतपुर तथा श्रीमती नीतू सरोज ग्राम वारीकलांपट्टी के मामले में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से प्राप्त आख्या/संस्तुति के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

44-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम छतौना, सुरेश सिंह छतौना, पट्टी, बृजेश प्रताप सिंह ग्राम करमाही पट्टी तथा ग्राम कोहरांव तहसील पट्टी, श्रीमती सुनीता तथा जगदीश प्रसाद, निवासी ग्राम नगर पट्टी एवं श्री रामगोपाल गुप्ता निवासी पूरे पाण्डेय पट्टी प्रतापगढ़ एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्ताव ग्राम रूपनगर पट्टी प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 214/आ0सं0/08, दिनांक 21-8-2008, 1094/09, दिनांक 4-8-2009, 142/08, दिनांक 6-8-2008, 236/2008, दिनांक 26-8-2008, 800/09, दिनांक 17-3-09, 836/09, दिनांक 26-3-2009, 769/09, दिनांक 17-3-09, जो विवेकाधीन कोष से चिकित्सा कराये जाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ की आख्या/संस्तुति के आधार पर श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम छतौना, श्री सुरेश सिंह निवासी ग्राम-छतौना पट्टी तथा श्री राम गोपाल गुप्ता निवासी पूरे पाण्डेय

तथा श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पत्नी श्रीमती अम्बालिका श्रीवास्तव व सुनीता निवासी ग्राम नगर पट्टी तहसील पट्टी को विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री बृजेश प्रताप सिंह ग्राम करमाही पट्टी को विवेकाधीन कोष नियमावली में निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद इलाहाबाद में सुधार हेतु चयनित मलिन बस्तियां

45-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में विभाग द्वारा मलिन बस्ती एवं पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में कौन-कौन सी मलिन बस्तियां सुधार हेतु चयनित की गई ? उन बस्तियों में अब तक क्या-क्या सुधार कार्य कराये गये ? शेष बस्तियों में कब तक निर्माण/सुधार कार्य पूर्ण कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 यशवंत सिंह)-

इलाहाबाद में विभाग द्वारा मलिन बस्ती एवं पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में विद्युत शवदाह गृह के सामने दारागंज, रेलवे स्टेशन दारागंज के सामने, गल्ला मंडी दारागंज में परेड मार्ग तिराहा पर, बैरहना चौराहा पर, लवकुश चौराहा करेली, इलाहाबाद बैंक चौराहा अलोपी बाग, रेलवे क्रासिंग (अर्द्धकुम्भ मेला घुड़सवार पुलिस कैम्प) के पास, नेता चौराहा अल्लापुर, पुलिस चौकी तिराहा नैनी, बक्शी बांध क्रासिंग के पूर्व ढालूदार तिराहे पर, प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरा कैम्प दारागंज, दुर्गा मन्दिर के निकट अलोपी बाग, दशासुमेर मन्दिर के निकट दारागंज, नागबासुकी मन्दिर मुख्य द्वार पर दारागंज, बक्शी बांध सामुदायिक केन्द्र के पास दारागंज, बोट क्लब के पास यमुना बैंक रोड कीडगंज, सत्तीशाह चौराहा कीडगंज, सत्तीचौरा तिराहा मालवीय नगर मुट्ठीगंज, पुलिस चौकी चौराहा खुल्दाबाद, बक्शीखुर्द तिराहा दारागंज, गंगाभवन चौराहा दारागंज, ए0 डी0 सी0 तिराहे पर चौखण्डी कीडगंज, गीता निकेतन मन्दिर तिराहे पर अलोपीबाग, कब्रिस्तान तिराहे पर अल्लापुर, मेहदौरी पसियाना, मेहदौरी होलीपार, रसूलाबाद, शिलाखाना तेलियरगंज, सलोरी पसियाना एवं मल्होरी, बाबा जी का बाग, गंगानगर, भुलई का पुरा, जहांगीराबाद नैनी, पूरा फतेहमोहम्मद, नैनी, सदियापुर, भागलपुर, ग्यासउद्दीनपुर, चकभटाई, खरकोनी, जहांगीराबाद, करेलाबाग, महरा का पुरवा, पूरा फतेह मोहम्मद, फाफामऊ गांव, मातादीन का पुरवा, एवं अम्बेदकर नगर मलिन बस्तियां सुधार हेतु चिन्हित/चयनित की गई है।

उक्त बस्तियों में अब तक विभिन्न स्थलों पर 24 नग सेमीहाईमास्ट लाइट की स्थापना, इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण, तीन सामुदायिक शौचालय तथा धोबीघाट निर्मित किये गये। मलिन बस्तियों में विकास कार्य आवश्यकता व बजट आधारित सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के तेलीबाग स्थित राम भरोसे मैकू लाल इण्टर कालेज के रास्ते पर नाली व रोड का कार्य कराये जाने की मांग

46-श्री उदयराज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के तेलीबाग स्थित राम भरोसे मैकू लाल इण्टर कालेज जाने के रास्ते में नाली का पानी भरा रहता

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड को ठीक करा कर गन्दे पानी के निकासी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। वर्षा काल में रास्ते में पानी भर जाता है।

उक्त रोड व नाली को ठीक कराने का कार्य अवस्थापना निधि के अन्तर्गत आवास विकास परिषद् द्वारा प्रस्तावित है।

प्रस्ताव स्वीकृत है। आवास विकास परिषद् द्वारा शीघ्र ही कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राम भरोसे मैकू लाल इण्टर कालेज तेलीबाग स्थित तालाब के गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था

47-श्री उदयराज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम भरोसे मैकू लाल इण्टर कालेज, तेलीबाग रायबरेली रोड, लखनऊ स्थित तालाब में वहां के मोहल्ले भर का नाली व सीवर का गन्दा पानी जमा होता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस गन्दे पानी की निकासी हेतु स्थायी व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। केवल नाली का गन्दा पानी जमा होता है।

जल निकासी की स्थायी व्यवस्था हेतु जे0एन0एन0यू0आर0 एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नाला निर्माण प्रस्तावित है। पूरी योजना को मार्च, 2011 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के तेलीबाग के कतिपय मोहल्लों में पुलिस गश्त की व्यवस्था

48-श्री उदयराज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के तेलीबाग, खरिका, लौंगा खेड़ा रोड, नेपालगंज, सुभानी खेड़ा तथा पुराना लखनऊ में रात्रि पुलिस द्वारा निरन्तर गश्त की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थानों पर रात्रि पुलिस गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के तेलीबाग, खरिका, लौंगा खेड़ा रोड, नेपालगंज, सुभानी खेड़ा तथा पुराना लखनऊ में रात्रि पुलिस गश्त की व्यवस्था है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

सचिवालय के स्टेट बैंक के बगल में बन्द जीने को पुनः खोले जाने की मांग

49-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा के दृष्टिगत गेट नम्बर 9 के पास से मुख्य भवन के दक्षिण में लिफ्ट का निर्माण एवं स्टेट बैंक के बगल में बन्द जीने को पुनः खोले जाने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

गेट नम्बर-9 के पास से मुख्य भवन के दक्षिण में लिफ्ट का निर्माण एवं स्टेट बैंक के बगल में बन्द जीने को पुनः खोला जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।

जनपद जौनपुर के तेजी बाजार से मितावां वाया अटरा टूटी सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

50-श्री उदयराज-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में ब्लाक बक्शा के तेजी बाजार से मितावां वाया अटरा सड़क टूट कर खराब हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार तेजी बाजार से मितावां तक लेपन स्तर तक का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद जौनपुर के कोर नेटवर्क के अनुसार उक्त मार्ग थ्रूरूट्स की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है, अपितु एम0आर0एल0 (मेजर रूलर लिंक्स) के अन्तर्गत वर्गीकृत है। वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मात्र थ्रूरूट्स के ही उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है। अतः वर्तमान में एम0 आर0 एल0 (मेजर रूलर लिंक्स) के अन्तर्गत वर्गीकृत प्रश्नगत मार्ग के उच्चीकरण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद महामायानगर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ में निर्मित पानी की टंकी को चालू कराये जाने की मांग

51-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर में वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा उनमें से कितनी टंकियों को चालू कर दिया गया है एवं शेष को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में ग्राम कचौरा, बरतरखास, नौर्था ईसेपुर, खिजरपुर कस्बा, अरनियां तलेसरा, रामपुर, न0 चटोल एवं श्रीनगर में तथा वर्ष 2009-10 में ग्राम पाइन्दापुर में पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया था। सभी टंकियों को चालू कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के कतिपय ब्लाकों में गत वर्ष स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का भौतिक सत्यापन कराये जाने की मांग

52-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक हंसायन व सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर में वित्तीय वर्ष 2009-10 में कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा उनका भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विकास खण्ड-हंसायन व सिकन्दराराऊ में वित्तीय वर्ष 2009-10 में क्रमशः 114 व 13 हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में पीने के पानी की कमी के निराकरण हेतु अतिरिक्त इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने की मांग

53-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद-फतेहपुर में जनता को पीने के पानी की गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में प्रति 66 व्यक्ति पर एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस प्रकार फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र निर्धारित मानकों के अनुसार हैण्डपम्प से संतृप्त है।

विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ में हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराये जाने का प्रकरण

54-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ में रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों को चिन्हित कर वर्ष 2009-2010 में लक्ष्य के अनुरूप रि-बोर करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के गेटों के बाहर फूड प्लाजा का निर्माण कराये जाने की मांग

55-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय मुख्य भवन के चारों तरफ लगने वाले ठेलों व दुकानों को हटाये जाने से सचिवालय आने-जाने वालों को खान-पान की असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गेट नम्बर 5, 9 या 10 के पास आगन्तुकों की सुविधा हेतु फूड प्लाजा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रत्येक भवन में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की कैफेटेरिया मौजूद है जहां पर खाने पीने की समस्त सामग्री उपलब्ध रहती है।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स बनवाने की समयबद्ध नीति निर्धारण की मांग

56-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद स्तर पर शस्त्र लाइसेंस के प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने के उपरान्त पुलिस रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट एक माह के अन्दर स्वयं सरकार द्वारा पूर्ण कराकर तथा उस प्रार्थना-पत्र का निस्तारण अधिकतम 3 माह में किये जाने तथा समयबद्ध तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाने हेतु नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 1962 केन्द्रीय विधान है, जिसके सम्बन्ध में नीति निर्धारण गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के तहसील व थाना निघासन में भूख से मरने वाले मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता

57-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कमलेश पुत्र श्री बराती लाल रैदास उम्र 22 साल व उसके परिवार ने तहसील व थाना निघासन जनपद खीरी, तीन दिन से भूख से तड़प कर दिनांक 27/28-11-08 की रात्रि को आत्महत्या कर ली ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी भूख से मरने वाले कमलेश के आश्रित को अपने विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

श्री कमलेश द्वारा दिनांक 27/28-11-08 की रात में आत्महत्या कर ली गयी थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण भूख नहीं थी। फिर भी कमलेश के आश्रित की

आर्थिक स्थिति को देखते हुये जिलाधिकारी खीरी की संस्तुति के आधार पर विवेकाधीन कोष से रु0 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता दी गयी है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद वाराणसी में काशीराम आवासीय योजना के अन्तर्गत बने आवासों की गुणवत्ता की जांच

58-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीराम आवासीय योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए वाराणसी में सेन्ट्रल जेल के पास बने लगभग 1500 तथा उक्त योजनान्तर्गत जो भी आवास बनाये जा रहे हैं, उनको आवंटित करने के पहले गुणवत्ता के विषय में सरकार द्वारा कोई जांच प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण के तहत जनपद वाराणसी में 1500 भवनों के लक्ष्य के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा भवनों का निर्माण कार्य सम्पादित कराया गया है। भवनों के निर्माण के दौरान तथा आवश्यकतानुसार मृदा का परीक्षण, नींव की डिजाईन व ईंटों का परीक्षण सिविल विभाग आई0 टी0 बी0 एच0 यू0 से कराया गया। इसके अतिरिक्त आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी, जिलाधिकारी वाराणसी, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, सचिव विकास प्राधिकरण एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा निर्माण अवधि में समय-समय पर स्थल का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच की गयी। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य की गुणवत्ता व स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की जांच विभागाध्यक्ष (सिविल) प्रौद्योगिकी संस्थान बी0 एच0 यू0 वाराणसी से करायी गयी जिसमें निर्माण की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम व पोस्ट लोदीपुर निवादा के कौशल किशोर पुत्र उमा शंकर के विरुद्ध दर्ज अभियोग में अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग

59-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 181/2010 धारा 420/468/471 आई0पी0सी0 कौशल किशोर पुत्र उमा शंकर निवासी ग्राम पोस्ट लोदीपुर निवादा, थाना बिवांर, जिला हमीरपुर के विरुद्ध दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

इस अभियोग में प्रतिवादी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया है।

जनपद फतेहपुर के थाना जाफरगंज में दर्ज अभियोग में बलात्कारी व हत्या के अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही

60-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के थाना जाफरगंज में कु0 सोनी, उम्र 10 वर्ष की बलात्कार कर हत्या की गयी थी जिसमें मु0अ0 सं0-28/10 धारा 376, 302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

वादी श्री रामकरन, निवासी-ग्राम कोरवल, थाना जाफरगंज, जनपद-फतेहपुर की सूचना पर थाना जाफरगंज पर मु0अ0सं0-28/10 धारा 302/376 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्तगण निखिल यादव पुत्र राजनरायन तथा लक्ष्मी केवट पुत्र झल्लू केवट उर्फ ननका निवासीगण ग्राम गजईपुर थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर के नाम प्रकाश में आये। साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त निखिल यादव को दिनांक 19-04-10 को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त लक्ष्मी केवट दिनांक 11-06-10 को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया। दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर अभियुक्त का चालान द्वारा आरोप पत्र दिनांक 18-06-10 को न्यायालय किया गया। अभियोग में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में गत वर्षों में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण सम्बन्धी जानकारी

61-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में किन-किन ग्रामों का चयन डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत हुआ है ? क्या उक्त सभी ग्रामों तथा उनके मजरों का संतृप्तीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत जनपद बांदा में वर्ष 2007-08 में 20 ग्राम सभाओं-सिंहपुर, ओरन ग्रामीण, कोर्रही, कोनी, मुरवल, बघैला, अलिहा, कुचौली, तिन्दवारा, चिल्ली, उजरेहटा, सेमरा, पनगरा, गिरवां, तरहटी कालिंजर, कनाय, रामनगर निस्फ, सिंघनकला, जौहरपुर एवं परसौडा का चयन किया गया है।

वर्ष 2008-09 में 39 ग्राम सभाओं-लोहरा, पछौहा, रानीपुर, सिमौनी, चकरेही, थरथुआ, बछौधासानी, अनौसा, सुनहुला, लाखीपुर, खुरहण्ड, भवानीपुरवा, शिव, हथौड़ा, जौहरी, बरौलीआजम, कोर्राखुर्द, लमेहटा, सरस्वाह, कुरौली, सढ़ा, चन्दौर, मोतियारी, नौगवां, हड़हा, गोरेमऊकला, रेहुची, मऊगिरवा, कोलावलरायपुर, अमारा, अमलोर, भुरेडी, पलरा, चहितारा, गजनी, सिंधौली, गौरीखुर्द, मौदहा व महुई का चयन किया गया है।

वर्ष 2009-10 में चयनित 15 डा0 अम्बेडकर ग्राम-कोर्रा बुजुर्ग, नगनेधी, घुरौडा, बरसडाबुजुर्ग बरसडाखुर्द, सेमरिया मिर्दहा, डोंगरी, बडेहा स्योढ़ा, खोही, जमनीपुर, मसनी, कनाय, मडोलीखुर्द, पपरेंदा एवं कैरी का चयन किया गया है।

वर्ष 2007-08 व 2008-09 में जनपद बांदा में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं को योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में से सी0 सी0 रोड/के0 सी0 ड्रेन को छोड़कर शेष कार्यक्रमों से संतृप्त कर दिया गया है। सी0 सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लक्षित 04 ग्राम सभाओं एवं वर्ष 2008-09 में लक्षित 13 ग्राम सभाओं को उपलब्ध धनराशि के अनुसार संतृप्त किया जा चुका है।

वर्ष 2009-10 में चयनित समस्त ग्रामों में योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में लक्ष्य के अनुसार संतृप्तीकरण पूर्ण कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के ग्राम विसावर में पानी की टंकी की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों की मरम्मत कराये जाने की मांग

62-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-बिसावर विकास खण्ड सादाबाद, जनपद-महामायानगर में पानी की टंकी एवं उसकी सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र तेलीबाग लखनऊ में पेयजल योजनान्तर्गत लगी पानी की टंकी से सप्लाई चालू कराये जाने की मांग

63-श्री उदयराज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के तेलीबाग, लखनऊ के निवासियों के पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बोरिंग कराकर पाइप बिछाने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो पानी की आपूर्ति कब तक चालू करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

तेलीबाग क्षेत्र में खरिका वार्ड पेयजल योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत आंशिक क्षेत्र में पानी की आपूर्ति चालू करा दी गयी है।

तेलीबाग के शेष क्षेत्र हेतु योजना विरचित की जा रही है।

प्रदेश सचिवालय के समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारियों के वेतनमान व ग्रेड वेतन के संशोधित शासनादेश जारी करने की मांग

64-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों का वेतनमान जनवरी, 2006 से 6500-10500 तथा सहायक समीक्षा अधिकारियों का वेतनमान दिनांक 27 नवम्बर, 2009 से 5000-8000 किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार समीक्षा अधिकारियों/सहायक समीक्षा अधिकारियों के वेतनमान में वर्ष 01-01-2006 से पूर्व एवं वर्तमान में आये अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए सहायक समीक्षा अधिकारियों को जनवरी, 2006 से ही वेतनमान रु0 5000-8000 ग्रेड वेतन 4200 करते हुए संशोधित शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं। उ0 प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के पदों पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वेतन समिति/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार रु0 6500-10500 का उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 26 जून, 2007 से अनुमन्य कराया गया।

उ0 प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 27 नवम्बर, 2009 से रु0 5000-8000 का संशोधित वेतनमान अनुमन्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर उ0 प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत ग्रेड वेतन रु0 4600/- केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराया गया है।

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर उ0 प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी जिनके समकक्ष पद केन्द्र सरकार में उपलब्ध नहीं है, के पदों पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन का लाभ केन्द्रीय समकक्षता के सिद्धान्त से हटकर पदों की प्रास्थिति के आधार पर अनुमन्य कराया गया है।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत ग्रेड वेतन की अनुमन्यता के सम्बन्ध में यह सामान्य सिद्धान्त अपनाया गया है कि जिन मामलों में केन्द्र सरकार के समकक्ष पदों से समकक्षता के आधार पर उच्चीकरण नहीं होता उन मामलों में शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से ही उच्चीकृत वेतनमान स्वीकृत किये जाते है।

65-श्री उदयभान करवरिया-

[पहले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन एवं देयकों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

66-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन का निर्धारण व देयकों आदि का भुगतान तथा मृतक आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरणों का विभागीय स्तर पर ही समयबद्ध निस्तारण करने हेतु सरकार कोई नीति बनाने एवं उसे लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रदेश में सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों की मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन का निर्धारण व देयकों आदि का भुगतान सम्बन्धी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने हेतु ''उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995'' लागू की जा चुकी है। नियमावली में किये गये प्राविधान स्वतः स्पष्ट है। अतः प्रथक से कोई नीति बनाने एवं उसे लागू करने का औचित्य नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के लिए ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है। नियमावली में नियुक्ति प्रदान करने के लिए किये गये प्राविधान स्वतः स्पष्ट है। नियमावली में मृतक आश्रित द्वारा वांछित विवरण सहित आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी को दिये जाने पर अविलम्ब और यथाशक्य उसकी विभाग में सेवायोजन दिये जाने की व्यवस्था पहले से है। अतएव अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरणों का विभागीय स्तर पर निस्तारण करने हेतु अलग से कोई नीति बनाये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन का निर्धारण व देयकों आदि का भुगतान तथा मृतक आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु क्रमशः ''उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 तथा ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' (यथासंशोधित) लागू होने के कारण विभागीय स्तर पर निस्तारण करने हेतु पृथक से कोई नीति बनाने एवं उसे लागू करने का औचित्य नहीं है।

जनपद-सीतापुर व नगरीय क्षेत्र महमूदाबाद के गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु वाटर सप्लाई की व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

67-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्र महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर में सम्मिलित गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या पेयजल हेतु ओवर हेड टैंक की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगरीय क्षेत्र महमूदाबाद में सम्मिलित 16 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं। सम्मिलित ग्रामों में वर्तमान में पेयजलापूर्ति हेतु पाइप लाइन से वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं है।

जी हां। जिला योजना नगरीय के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों में आंशिक रूप से जलापूर्ति हेतु 01 नलकूप एवं शिरोपरि जलाशय तथा 04 कि0मी0 वितरण प्रणाली का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्त तक प्रस्तावित नलकूप एवं शिरोपरि जलाशय से सम्मिलित ग्रामों के आंशिक भाग में जलापूर्ति सुनिश्चित करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मुंसिफ कोर्ट के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग

68-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर में मुंसिफ कोर्ट के भवन निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

लखनऊ के शिवानी विहार कल्याणपुर में पानी की सप्लाई दो बार करने व अवैध कनेक्शनों को वैध करने की मांग

69-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवानी विहार कल्याणपुर, लखनऊ के निवासियों को कल्याणपुर में स्थित ओवर हैड टैंक से जलापूर्ति दिन में मात्र एक बार ही की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि शिवानी विहार के ऊंचाई वाले भाग में अक्सर पानी नहीं पहुंच पाता है ? क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों की संख्या वैध कनेक्शनों से कई गुना अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के अवैध (संयोजन) कनेक्शनों को नियमित कराते हुए शिवानी विहार कल्याणपुर को कम से कम दो बार प्रतिदिन जलापूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अवैध कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

ग्रीष्म ऋतु में सोर्स कम होने के कारण मात्र 2 माह के लिए एक बार ही जलापूर्ति की जाती है। जुलाई माह से सामान्य स्थिति में शिवानी विहार व कल्याणपुर क्षेत्र में प्रतिदिन दो बार पेयजलापूर्ति की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

सही नहीं है। पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कल्याणपुर व शिवानी विहार क्षेत्र में दिनांक 29-07-2010 से दो समय जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

70-श्री प्रदीप माथुर-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद-बहराइच की ग्राम सभा प्यारेपुर के विकास खण्ड फखरपुर में नरेगा योजना की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही किये जाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

71-श्री प्रदीप माथुर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, ग्राम विकास अनुभाग-7 का पत्र सं0-3980/ 38-7-2009-06 (जांच)/09, दिनांक 25 नवम्बर, 2009 जो ग्राम सभा प्यारेपुर वि0 खं0 फखरपुर, जनपद-बहराइच में नरेगा योजना में श्री विनोद शंकर चौबे, स0मु0 मानीटर की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही किये जाने विषयक है, जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जनपद स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में आयुक्त नरेगा/ग्राम्य विकास का भी कोई निदेश इससे पूर्व इसी विषय पर प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जांच रिपोर्ट में मुख्य विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही संस्तुत थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां। जांच रिपोर्ट में की गयी संस्तुति के आधार पर श्रीमती लखपता, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत-प्यारेपुर से रु0 21,300.00, श्री जय शंकर त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी से मु0 35,000.00 व श्री एस0 पी0 मिश्रा, अवर अभियन्ता से मु0 15,000.00 की वसूली का आदेश जारी किया गया तथा ग्राम प्रधान, श्रीमती लखपता के विरुद्ध उ0 प्र0 पंचायत राज एक्ट की धारा-95(1) छः के अन्तर्गत ''कारण बताओ नोटिस'' जारी करते हुए उक्त एक्ट के अन्तर्गत ग्राम प्रधान, प्यारेपुर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाकर ग्राम पंचायत प्यारेपुर के खातों के संचालन हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में श्री जय शंकर त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बित करने की संस्तुति की गयी है, जिन्हें तत्समय ही राज्य गुणवत्ता मानीटर की जांच पूरी होने के तत्काल बाद दिनांक 24 जून, 2009 को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी गयी तथा पूरक आरोप-पत्र निर्गत किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जांच रिपोर्ट में की गयी संस्तुति के आधार पर श्रीमती लखपता, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत-प्यारेपुर से रु0 21,300.00 श्री जय शंकर त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी से मु0 35,000.00 व श्री एस0 पी0 मिश्रा, अवर अभियन्ता से मु0 15,000.00 की वसूली का आदेश जारी किया गया तथा ग्राम प्रधान, श्रीमती लखपता के विरुद्ध उ0 प्र0 पंचायत राज एक्ट की धारा-95(1) छः के अन्तर्गत ''कारण बताओ नोटिस'' जारी करते हुए उक्त एक्ट के अन्तर्गत ग्राम प्रधान, प्यारेपुर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाकर ग्राम पंचायत प्यारेपुर के खातों के संचालन हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में श्री जय शंकर त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बित करने की संस्तुति की गयी है, जिन्हें तत्समय ही राज्य गुणवत्ता मानीटर की जांच पूरी होने के तत्काल बाद दिनांक 24 जून, 2009 को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी गयी तथा पूरक आरोप-पत्र निर्गत किया गया।

जांच रिपोर्ट में तत्समय तैनात मुख्य विकास अधिकारी श्री लाल बिहारी पाण्डेय के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कोई संस्तुति नहीं की गयी थी, अपितु उनके सम्बन्ध में टिप्पणी मात्र दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी फखरपुर श्री आर0 चन्द्रा को मुख्यालय, लखनऊ में नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

आयुक्त, ग्राम्य विकास से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को नियमित सेवा के स्थान पर पूर्व के ए0सी0पी0 आदेश जारी करने की मांग

72-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को ए0सी0पी0 दिये जाने का शासनादेश निर्गत कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रदेश के कुछ विभागों एवं सचिवालय में केन्द्रीय विभागों की सेवाओं में भिन्नता है तथा इन विभागों में निरन्तर सेवा कई वर्षों तक चलने के बाद कर्मचारी के नियमितीकरण के आदेश जारी होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ए0सी0पी0 के शासनादेश में उल्लिखित ''नियमित सेवा'' के स्थान पर पूर्व के ए0सी0पी0 के आदेश की भांति निरन्तर सेवा की प्रारम्भ तिथि से किये जाने हेतु संशोधन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं। केन्द्रीय कर्मचरियों के लिये लागू की गई ए0सी0पी0 की व्यवस्था को संज्ञान में रखते हुये 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की सेवा पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था शासनादेश दिनांक 4-5-2010 द्वारा लागू की गई है।

जी हां, कर्मचारी के नियमितीकरण के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों में स्थिति भिन्न-भिन्न हो सकती है।

जी नहीं। पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने के पूर्व ए0सी0पी0 की व्यवस्था राज्य में लागू नहीं थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सचिवालय में एल0 आई0 यू0 विभाग के लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था

73-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के सचिवालय में स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या उनके बैठने एवं कक्ष की उचित व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके बैठने एवं कक्ष की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उ0 प्र0 सचिवालय हेतु स्थानीय अभिसूचना विभाग से निरीक्षक-01, उप निरीक्षक-03 एवं आरक्षी-31 का नियतन स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त 01 आरक्षी एल0 आई0 यू0 लखनऊ से सम्बद्ध है।

प्रदेश सचिवालय में नियुक्त सुरक्षा स्टाफ एवं एल0 आई0 यू0 से सम्बद्ध आरक्षी के बैठने हेतु 03 कक्ष आवंटित है। इस प्रकार उनके बैठने की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के दौलतपुर ग्राम में खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्प को ठीक कराये जाने की मांग

74-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के दौलतपुर ग्राम में हाल ही में 2 नल रि-बोर कराने के बाद भी उनमें पानी ठीक से नहीं आ रहा है तथा 3 इण्डिया मार्का द्वितीय हैण्डपम्प खराब हैं ? यदि हां, तो उक्त हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत दोनों हैण्डपम्प को ठीक कराकर चालू करा दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त खराब 03 हैण्डपम्प में से 02 हैण्डपम्प को रि-बोर कराकर तथा 01 हैण्डपम्प की सामान्य मरम्मत कराकर चालू करा दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में गत वर्ष राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना में प्राप्त धनराशि का विवरण

75-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा कितनी धनराशि में

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मजदूरी के अलावा अन्य सामग्री मेज, कुर्सी आलमारी आदि क्रय में खर्च किया गया है ? क्या राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में मेज, कुर्सी, आलमारी साज-सज्जा खरीदने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-बांदा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में कुल 7850.74 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। जनपद-बांदा में मेज, कुर्सी, आलमारी क्रय नहीं किया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में राम गंगा कमाण्ड परियोजना की कतिपय योजनाओं में गत वर्षों में प्राप्त धनराशि व व्यय का विवरण

76-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में राम गंगा कमान्ड परियोजना की भूमि संरक्षण इकाइयों को वर्ष 2008-09 व 2009-10 में जल संग्रह विकास परियोजना एवं हरियाली योजना तथा आई0डब्लू0एम0पी0 के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि परियोजनावार तथा ब्लाकवार प्राप्त हुई है ? क्या भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर फर्जी जल प्रबन्धन समितियों का गठन कराकर 10% अंशदान जमा न कराकर पुराने कार्यों को नया कार्य दिखाकर फर्जी मस्टर रोल तैयार कराकर लाखों रुपये की धनराशि का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)-

1-वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में बांदा जनपद में हरियाली योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि रु0 811.27 लाख प्राप्त हुई है जिसकी विकास खण्ड परियोजनावार सूची पटल कार्यालय में उपलब्ध है।

2-आई0 डब्लू0 एम0 पी0 के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2009-10 (मार्च, 2010) में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हुई थी, परन्तु इकाइयों को वर्ष 2010-11 में अवमुक्त हुई है।

इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

शिकायत होने पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा में भूमि संरक्षण इकाइयों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अन्तर्गत विकास खण्डवार आवंटित धनराशि एवं मजदूरी भुगतान का विवरण

77-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2009-10 में भूमि संरक्षण इकाइयों को जल संचयन एवं अन्य कार्य हेतु राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत

ब्लाकवार कितनी धनराशि प्रदान की गयी तथा कितने मजदूरों की मजदूरी का भुगतान जाब कार्डों के माध्यम से बैंक द्वारा खाता खोलकर किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि नरेगा की धनराशि का भारी दुरुपयोग भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 2009-10 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण इकाइयों को विकास खण्डवार आवंटित धनराशि एवं मजदूरों के मजदूरी के भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0सं0	इकाई का नाम	विकास खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	मजदूरों की संख्या
1	भू0सं0इ0 मैदानी द्वितीय बांदा	नरैनी	16.57	362
2	भू0सं0इ0 मैदानी रा0ज0, बांदा	नरैनी	12.20	529
3	भू0सं0इ0 मैदानी रा0ज0, बांदा	बबेरू	2.20	137
4	भू0सं0इ0 मैदानी प्रथम, बांदा	बबेरू	2.50	148
5	भू0सं0इ0 मैदानी प्रथम बांदा	तिन्दवारी	3.70	156
6	भू0सं0इ0 मैदानी प्रथम बांदा	जसपुरा	2.00	76
7	भू0सं0इ0 मैदानी प्रथम बांदा	बड़ोखर	1.00	26
		योग-	40.17	1434

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य तकनीकी विशिष्टियों एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की गाइड लाइन के अनुसार नियमानुसार एवं गुणवत्तायुक्त कराया गया है जिसमें किसी प्रकार के धनराशि के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

78-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

79-डा0 अनिल चौधरी-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा स्थित फ्रिगो शिफ्को एलाना लि0 मुम्बई द्वारा पशु वधशाला में मानकों का पालन होने के सम्बन्ध में जानकारी

80-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ्रिगो रिफ्को एलाना लि0 मुम्बई द्वारा आगरा स्थित पशु वधशाला में मानकों का पालन किया जा रहा है ? क्या मण्डलायुक्त, आगरा द्वारा जिलाधिकारी, आगरा को सम्बोधित पत्र सं0-128/तेईस-1 (08-09) दिनांक 1-1-2010 के अनुरूप आगरा स्थित पशु वधशाला में मानकों का पालन सुनिश्चित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में गत वर्षों में विकलांग व्यक्तियों को पेंशन

81-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने के कितने मामले लम्बित हैं ? लम्बित प्रकरणों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने हेतु कोई भी आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में राम गंगा कमान्ड परियोजना में राजपत्रित एवं अराजपत्रित श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने का निर्णय

82-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम गंगा कमान्ड परियोजना, कानपुर उ0 प्र0 में राजपत्रित एवं अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के वर्तमान में कुल कितने पद किन-किन श्रेणी के रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कुमार दोहरे-

रामगंगा कमाण्ड परियोजना उ0 प्र0 में राजपत्रित श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं है।

अराजपत्रित श्रेणी के अन्तर्गत समूह ''ग'' में 156 पद तथा समूह ''घ'' में 53 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को कार्मिक विभाग की नीति के अनुसार भरे जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग की स्थापना एवं इसमें ग्रामों के चयन के सम्बन्ध में जानकारी

83-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गयी थी ? क्या इस योजना के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों का चयन समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग की स्थापना 12 अगस्त, 1995 को की गयी थी।

डा0 अम्बेडकर ग्राम समग्र विकास योजना के अन्तर्गत अब अम्बेकर ग्रामों का चयन नहीं किया जाता, अपितु डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता में विकास खण्ड का भवन निर्माण की मांग

84-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता का सृजन किया गया था किन्तु विकास खण्ड का भवन अब तक नहीं बन पाने से विकास कार्यों में बाधा आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अगौता विकास खण्ड के भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बुलन्दशहर में मनरेगा के अन्तर्गत तालाबों के निर्माण हेतु व्यय की गयी धनराशि का भौतिक सत्यापन व जांच

85-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर में कितने तालाबों के निर्माण हेतु मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण क्या है ? क्या सरकार सभी तालाबों के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन व उसमें खर्च की गयी धनराशि की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करोयगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-बुलन्दशहर में मनरेगा के अन्तर्गत तालाबों के निर्माण हेतु आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	वर्ष	पूर्ण तालाब की सं0	आवंटित/स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
1	2007-08	--	--	--
2	2008-09	111	71.571	71.571
3	2009-10	409	994.662	718.907

सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है, जो धनराशि वर्ष 2009-10 की अवशेष थी उसका व्यय भी इस वित्तीय वर्ष में कर लिया गया है। प्राप्त धनराशि उन्हीं तालाबों पर व्यय की गयी है, जिसके लिए अवमुक्त की गयी थी। जनपद में खण्ड विकास अधिकारियों/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा तालाबों का भौतिक सत्यापन किया गया है, कोई अनियमितता नहीं पायी गयी, इसलिए उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में सेन्ट्रल हिन्दू बालिका इण्टर कालेज को कोल्हुवा विनायका में स्थित प्राथमिक विद्यालय के गेट के बगल से कूड़ा घर का हटाया जाना

86-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सेन्ट्रल हिन्दू बालिका इण्टर कालेज की कोल्हुवा विनायका में स्थित प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट के बगल में स्थित कूड़ाखाना से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की दृष्टि से उक्त कूड़ा घर को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु विद्यालय की प्रधानाचार्या का शिकायती-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-11-09 नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम में पंजीकृत पत्र संख्या-43-वी0आई0पी0 दिनांक 14-12-09 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कूड़ाघर को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सेन्ट्रल हिन्दू बालिका इण्टर कालेज की कोल्हुवा विनायका में स्थित प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट के बगल में कूड़ा उठाने के लिए 02 डी0पी0 कन्टेनर रखे हुए थे, जिसमें आस-पास का कूड़ा एकत्र किया जाता था। प्रधानाचार्या सेन्ट्रल हिन्दू बालिका इण्टर कालेज का शिकायती-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 18-2-2010 से उक्त स्थल से डी0 पी0 कन्टेनर हटवा दिये गये हैं। कूड़ा अब रेवड़ी तालाब कूड़ा घर पर डाला जा रहा है।

प्रदेश में सीवर के पानी को मेम्ब्रेन टेक्नालाजी के माध्यम से परिष्कृत कर पेयजल के रूप में आपूर्ति करने के सम्बन्ध में जानकारी

87-श्री प्रदीप माथुर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन परियोजना में सीवर के पानी को मेम्ब्रेन टेक्नालाजी के माध्यम से परिष्कृत कर पेयजल के रूप में आपूर्ति किये जाने हेतु बंगलौर में स्थापित संयंत्र के अनुरूप किये जाने की व्यवस्था प्रदेश के सात शहरों में की जा रही है ? यदि हां, तो सीवर के परिष्करण से शुद्ध किये गये आपूर्ति होने वाले जल का कल्चर बंगलौर के संयंत्र से कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि सीवर के पानी को परिष्कृत कर पेयजल के रूप में आपूर्ति किये जाने योग्य बनाने की टेक्नालाजी अत्यधिक व्ययसाध्य है।

लखनऊ के उदयगंज रोड से अवैध कूड़ा पड़ाव हटवाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

88-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के उदयगंज रोड से अवैध कूड़ा पड़ाव हटाने सम्बन्धी शासन के पत्रांक 6173/नौ-7-05-104, दिनांक 9-1-2006 के अनुपालन में कूड़ा पड़ाव हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

उदयगंज रोड (बाबू बनारसी दास वार्ड) के मध्य मोड़ पर स्थित प्राइमरी पाठशाला के बगल में कोई अवैध कूड़ा पड़ाव नहीं बना है, जबकि पूर्व से ही नियमित कूड़ा पड़ाव स्थापित है। कूड़ा पड़ाव के आस-पास के क्षेत्र में कोई स्थल उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में प्रश्नगत कूड़ा पड़ाव को स्थानान्तरित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद इलाहाबाद नगर के मोहल्ला वैहराना में सीवर लाइन डालने हेतु प्राप्त धनराशि से कार्य प्रारम्भ कराने सम्बन्धी जानकारी

89-श्री सुधीर कुमार-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-69 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत विरचित सीवरेज योजना भाग-2 अनुमानित लागत रु0 402.57 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

इलाहाबाद नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज योजना रु0 355.98 करोड़ भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। अद्यतन भारत सरकार से प्राप्त अंश की प्रथम किश्त कुल रु0 44.05 करोड़ प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में परियोजना पर कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित कराये जाने की मांग

90-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जनपद-गोरखपुर में स्थापित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त खण्डपीठ की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

प्रदेश के थानों में पीड़ित की एफ0आई0आर0 दर्ज न करने वाले थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

91-श्री उदयराज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में पीड़ितों की एफ0आई0आर0 दर्ज न करने वाले थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कोई नियम/शासनादेश है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रदेश में ऐसे कितने थानों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं पुलिस रेगुलेशन के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि प्रत्येक पीड़ित की तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज की जाय। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता और कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही मानते हुए नियमानुसार जांच कराकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में दिनांक 1-6-2007 से दिनांक 25-7-2010 तक एफ0आई0आर0 दर्ज न करने वाले कर्मियों का विवरण मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में रेलगाड़ियों में जहरखुरानी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की योजना सम्बन्धी जानकारी

92-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक दिन राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न रेलगाड़ियों में जहरखुरानी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है ? क्या यह सही है कि दिनांक 30 मार्च, 2010 को दिल्ली से आ रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में अलीगढ़ कानपुर के बीच जहर मिला बिस्कुट खिलाकर दर्जनों यात्रियों को बेहोश कर सब कुछ लूट लिया और टिकट निरीक्षक द्वारा इलाहाबाद के पास में सूचना देने के बावजूद भी जी0आर0पी0 ने घटना का संज्ञान नहीं लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की दुःखद घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं सुरक्षित यात्रा हेतु कोई कार्य योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पिछले वर्ष की तुलना में कुछ वृद्धि परिलक्षित हुयी है। दिनांक 29-3-2010 को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन के कानपुर से चलने के पश्चात् जनरल कोच में 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा जहर मिला बिस्कुट खिलाकर 09 व्यक्तियों को बेहोश करना तथा उनको वाराणसी रेलवे स्टेशन पर जी0आर0पी0 द्वारा बेहोशी की हालत में उतारे जाने व उक्त घटना में सामान अटैची, बैग, कागजात, मोबाइल फोन व नगदी की चोरी के सम्बन्ध में दिनांक 30-3-2010 को मुकदमा अपराध संख्या-762/10 थाना जी0आर0पी0, वाराणसी (सम्बन्धित थाना जी0आर0पी0, कानपुर) में पंजीकृत किया गया है तथा प्रारम्भिक विवेचना के पश्चात् थाना जी0आर0पी0, वाराणसी से स्थानान्तरित कर थाना जी0आर0पी0, कानपुर पर मु0अ0सं0-191/10 पर लाया गया है।

जी0आर0पी0 द्वारा जहरखुरानी की घटनाओं को रोकने हेतु जी0आर0पी0 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ट्रेनों में सघन चेकिंग की जाती है। रेलवे के पी0ए0 सिस्टम व जी0आर0पी0 थानों पर उपलब्ध लाउडहेलर के माध्यम से उद्घोषणा कर यात्रियों को जहरखुरानों से सावधान रहने हेतु सचेत किया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रेनों/प्लेटफार्मों पर जहरखुरानों से सावधान रहने हेतु पम्पलेट/स्टीकर जी0आर0पी0 द्वारा चस्पा किये जाते हैं। जहरखुरानी के अपराधियों के फोटोग्राफ्स जी0आर0पी0 थानों के बाहर लगाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश में नालों की सिल्ट का उपयोग जैव उर्वरक बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

93-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों में नालों की सफाई से निकली सिल्ट का उपयोग जैव उर्वरक बनाने व किसानों को उपलब्ध कराने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

ड्रेन सिल्ट में जैविक अंश बहुत कम होता है।

प्रदेश के महानगरों के कूड़े के अवयव पालिथीन का उपयोग सड़क निर्माण में किये जाने की मांग

94-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में कूड़े के मुख्य अवयव पालिथीन का उपयोग सड़क निर्माण में किये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। वर्तमान में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कूड़े के मुख्य अवयव पालिथीन का उपयोग सड़क निर्माण में किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान अधिसूचित नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के ग्राम सहतपुर में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

95-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के ग्राम सहतपुर में लगे इण्डिया मार्का हैण्डपम्प कई महीनों से खराब हैं ? यदि हां, तो क्या ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उक्त खराब हैण्डपम्प ठीक कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम में स्थायी रूप से खराब दो हैण्डपम्प को रि-बोर कराकर तथा अस्थायी रूप से खराब एक हैण्डपम्प की मरम्मत कराकर क्रियाशील कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया द्वारा प्रदेश के राजकीय निजी मेडिकल कालेजों की एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री व मान्यता निरस्त किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को भेजी गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में जानकारी

96-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया ने प्रदेश के किन-किन राजकीय/निजी मेडिकल कालेजों की एम0बी0बी0एस0 की डिग्री की मान्यता निरस्त करने अथवा वहां एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई बन्द किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुतियां भेजी हैं ? एम0सी0आई0 की संस्तुतियों के सापेक्ष बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सम्बन्ध में एम0सी0आई0 द्वारा भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर की मान्यता वापस ले ली जाय एवं सत्र, 2010-11 से प्रवेश बन्द कर दिये जायें। जहां तक निजी मेडिकल कालेजों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा किसी भी निजी क्षेत्र के

मेडिकल कालेज की मान्यता निरस्त करने अथवा वहां एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई बन्द किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को संस्तुतियां नहीं भेजी गयी है।

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के बारे में एम0सी0आई0 द्वारा उठायी गयी आपत्तियों में अधिकांश आपत्तियां औचित्यपूर्ण नहीं थीं, जिसके सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 10-03-2010 को भारत सरकार को पत्र भेजा गया था। भारत सरकार द्वारा मेडिकल कालेज, गोरखपुर की मान्यता बनाये रखी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

97-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पट्टी के अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-606/अ0शा0/08, दिनांक 17-12-08 जो तहसील पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित किये जाने विषयक है, प्रमुख सचिव, न्याय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उक्त पत्र पर मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में गत वर्षों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों एवं इसमें स्वीकृत धनराशि का विवरण

98-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के वि0स0 क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2005 से 31 मार्च, 2010 तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुईं तथा उन पर कितना धन स्वीकृत किया गया ? क्या सभी स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2005 से 31 मार्च, 2010 तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें एवं स्वीकृत धनराशि के विवरण निम्नवत् हैं :-

क्र0सं0	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	वर्तमान स्थिति
1	यू0पी0 5714	छतौना से नरवारी मार्ग	71.48	कार्य पूर्ण

क्र0सं0	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	वर्तमान स्थिति
2	,,	अमरगढ़ राजा बाजार से उमापुर मार्ग	35.62	कार्य पूर्ण
3	,,	पट्टी बंधवा से बसार मार्ग	45.18	कार्य पूर्ण
4	,,	धरौली मरधापुर कनलपुर से रामगढ़ मार्ग	13.93	कार्य पूर्ण
5	यू0पी0 5715	पट्टी कौहडौर से दारीखुर्द मार्ग	32.21	कार्य पूर्ण
6	,,	आमापुर से धनीपुर मार्ग	35.48	कार्य पूर्ण
7	,,	अमरगढ़ से तेलियानी नहर से छिलवन मार्ग	27.90	कार्य पूर्ण
8	यू0पी0 5721	अकबरपुर कादीपुर चांदा पट्टी से जौनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से मरियमपुर सम्पर्क मार्ग	19.83	कार्य पूर्ण
9	,,	डी0आर0पी0के0 रोड से बसौली सम्पर्क मार्ग	22.07	कार्य पूर्ण
10	,,	बेल्हा पट्टी ढकवा से रामगंज से बरचौली सम्पर्क मार्ग	24.88	कार्य पूर्ण
11	,,	बेल्हा पट्टी ढकवा से गौहानी सम्पर्क मार्ग	22.37	कार्य पूर्ण
12	यू0पी0 5727	ढकवा हिम्मत पट्टी रोड से बनवीरपुर सम्पर्क मार्ग	23.60	कार्य पूर्ण
13	,,	बेल्हा पट्टी ढकवा से उमराडीह मार्ग	24.05	कार्य पूर्ण
14	,,	बेल्हा पट्टी ढकवा से धरौली डिस्ट्रीब्यूटरी से भीखमपुर सम्पर्क मार्ग	20.60	कार्य पूर्ण
15	,,	कोहडौर चन्दौका मार्ग से लाली पुख्त सम्पर्क मार्ग	19.00	कार्य पूर्ण
16	,,	डी0आर0पी0 से इटाहरा सम्पर्क मार्ग	47.46	कार्य पूर्ण
17	,,	डी0आर0पी0के0 से नरायनपुर गंगेहटी से सागर सराय मार्ग	21.37	कार्य पूर्ण
18	,,	बेल्हा पट्टी ढकवा से डेढुआ सम्पर्क मार्ग	13.70	अन्य संस्था द्वारा निर्मित

क्र0सं0	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	वर्तमान स्थिति
19	यू0 पी0 5735	डी0आर0पी0के0 से मिसरौली सम्पर्क मार्ग	23.83	कार्य पूर्ण
20	,,	डी0 एम0 मार्ग से कम्पाहारी सम्पर्क मार्ग	16.67	कार्य पूर्ण
21	,,	डी0आर0पी0के0 से रघुरामपुर सम्पर्क मार्ग	18.88	कार्य पूर्ण
22	,,	आर0 के0 मार्ग से इन्सानपुर कजरोटी सम्पर्क मार्ग	29.58	कार्य पूर्ण
23	,,	एन0एच0-96 छोलहा से परशुरामपुर सम्पर्क मार्ग	22.51	कार्य पूर्ण
24	,,	एन0एच0-96 कन्धारपुर से सूर्यगढ़ जगन्नाथ सम्पर्क मार्ग	15.90	कार्य पूर्ण
25	यू0पी0 5743	पट्टी से राजा बाजार मार्ग	187.87	कार्य पूर्ण
26	यू0पी0 5746	दिवानगंज मंगरौरा मार्ग	170.45	कार्य पूर्ण
27	,,	कोहडौर चन्दौका मार्ग	178.96	कार्य पूर्ण
28	यू0पी0 5747	पट्टी पटखौली मार्ग	462.86	कार्य प्रगति पर है
29	यू0पी0 5732	ए0के0सी0पी0 धरौली डिस्ट्रीब्यूटरी से लखनूडीह अहिरान मार्ग	40.64	अन्य संस्था द्वारा निर्मित
30	,,	नरायनपुर मुजही बाजार से रानीपुर मार्ग	36.05	कार्य प्रगति पर है
31	,,	ए0के0सी0पी0 मार्ग से लबेदा ठकुरान मार्ग	51.96	कार्य प्रगति पर है
32	,,	बी0पी0डी0 मार्ग से उदयशाहपुर मार्ग	30.87	कार्य पूर्ण
33	,,	बी0पी0डी0 मार्ग से पारा सम्पर्क मार्ग	74.96	कार्य प्रगति पर है
34	यू0पी0 5755	पट्टी चांदा से दाऊदपुर मार्ग	318.32	कार्य प्रगति पर है

क्र0सं0	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	वर्तमान स्थिति
35	यू0पी0 5768	रखहा बाजार से कोहडौर मार्ग	334.13	कार्य पूर्ण
36	यू0पी0 5769	हल्लपुर सी0एम0एस0 से अमरी मार्ग	334.13	कार्य पूर्ण

क्रम संख्या-18 एवं 29 पर स्थित मार्ग अन्य संस्था द्वारा पूर्ण कराया गया है। क्रम संख्या-28,30,31,33 एवं 34 पर स्थित मार्गों के कार्य प्रगति पर हैं, शेष मार्ग पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शस्त्र लाइसेन्सों में सीमा व प्रक्रिया सरल बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

99-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र लाइसेन्स का सीमा विस्तार उ0 प्र0 से सम्पूर्ण भारत में करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या सभी श्रेणी के शस्त्र लाइसेन्सों के सीमा विस्तार हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शस्त्र लाइसेन्सों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में आयुध अधिनियम, 1959/आयुध नियम-1962 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में स्वीकृत हैण्डपम्प के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

100-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा, बेल्खरनाथ धाम, पट्टी आसपुर देवसरा में हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम0/210482/2009, 210485, 210486, 210488 दिनांक 13-10-09 एवं पत्र संख्या-202644, 202645, 202646/2009, दिनांक 20-7-2009 एवं 202951/2009, दिनांक 23-7-09, 202961/10, दिनांक 29-3-2010 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

वर्ष 2009-10 में विकास खण्ड मंगरौरा में 68 नग, बाबा बेलखरनाथ धाम में 144 नग, पट्टी में 55 नग तथा आसपुर देवसरा में 73 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। उक्त विकास खण्ड निर्धारित मानकों के अनुसार हैण्डपम्प से संतृप्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने का विचाराधीन प्रकरण

101-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ग्राम चौकीदारों के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के कतिपय ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पों की चौकियां बनवाने की मांग

102-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम-श्रीनगर गूम, पिपरागूम आदि ग्राम पंचायतों में जल निगम द्वारा लगाये गये इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों के प्लेट फार्म (चौकियां) नहीं बनाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों की चौकियां (प्लेट फार्म) बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के विराम खण्ड-1 में पोलों पर ट्यूब लाइट की व्यवस्था

103-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गोमतीनगर, लखनऊ के विराम खण्ड-1 स्थित भवन संख्या-1/158 से लेकर 1/161 के सामने पोल संख्या-71 एवं 72 पर विगत कई माह से ट्यूब लाइट न होने के कारण वहां के निवासियों को रात्रि में आने-जाने में असुविधा होती है एवं अराजक तत्वों का भी भय बना रहता है ? यदि हां, तो उक्त पोलों पर ट्यूब लाइट कब तक लगा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं, उक्त पोलों पर ट्यूब लाइट लगी है तथा जल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्तकबीर नगर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मेंहदावल के चिकित्सालय भवन के किराये का भुगतान

104-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मेंहदावल, जिला-सन्तकबीर नगर के चिकित्सालय भवन का किराया कब से भुगतान नहीं किया गया है ? इसके क्या कारण हैं ? उक्त भवन के किराये का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मेंहदावल, जिला-संतकबीर नगर का माह 01-4-2006 से 31-3-2010 तक का भवन किराया रु0 1,00,320/-ट्रेजरी चेक संख्या-बी0वी0 649317, दिनांक 31-7-2010 एवं माह 01-04-2010 से 30-6-2010 तक भवन किराया रु0 6,270/- का ट्रेजरी चेक संख्या-00308, दिनांक 18-7-2010 द्वारा भवनपति को भुगतान कर दिया गया है।

दक्षिणी वाराणसी के कतिपय क्षेत्रों में समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग

105-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री के संज्ञान में है कि वाराणसी नगर में विशेषकर विधान सभा क्षेत्र दक्षिणी वाराणसी के ब्रम्हाघाट, गाय घाट, दूध विनायक, हाथी गली, संकठा मन्दिर, बी बी हटिया, शुग्गा गली, नन्दन शाहू लेन, राम घाट, गढ़वासी टोला, प्रहलाद घाट, लाल घाट तथा सिन्धिया घाट आदि दर्जनों मुहल्ले के लोगों को पेयजल का घोर अभाव हमेशा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जनता को समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने एवं लीकेज के कारण बर्बाद हो रहे पानी को बचाने एवं लीकेज को सही करने हेतु मशीन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

दक्षिणी वाराणसी के ब्रह्मघाट, गाय घाट, दूध विनायक, हाथी गली, संकठा मन्दिर, श्री बी. हटिया, सुग्गा गली, नन्दन साहू लेन, रामघाट, गढ़वासी टोला, प्रहलाद घाट, लाल घाट तथा सिन्धिया घाट के क्षेत्र में मछोदरी बुस्टर से, नेहरू मार्केट नलकूप मैदागिन जोनल व प्रहलाद घाट नलकूप से जलापूर्ति की जाती है।

पुरानी लाइन होने के कारण लीकेज से पानी के अपव्यय को बचाने हेतु लीक डिटेक्शन इक्यूपमेन्ट क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है।

सितम्बर, 2011 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

106-श्री प्रदीप माथुर-

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ में स्थित शहीद स्थल रूरे एवं भाऊपुर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत योजनायें

107-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-33/अ0शा0/08, दिनांक 21-7-08, जो जनपद प्रतापगढ़ में स्थित शहीद स्थल, रूरे एवं भाऊपुर के स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, पर्यटन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

जी हां। पत्र प्राप्त हुआ है।

जिला योजना वर्ष 1998-99 में शहीद स्थल रूरे के पर्यटन विकास हेतु रु0 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। वर्ष 1998-99 में जिला योजना के अन्तर्गत शहीद स्थल भाऊपुर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 10.00 लाख धनराशि की योजना स्वीकृत की गयी थी। उक्त योजनाओं में स्वीकृत धनराशि से पत्र में उल्लिखित कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पुलिस कर्मियों को अवकाश नगदीकरण लाभ देने की मांग

108-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस कर्मियों को अवकाश नगदीकरण का लाभ देने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश सरकार द्वारा अवकाश नकदीकरण की सुविधा शासनादेश सं0-स-4-251/दस-2000-200-88, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 द्वारा स्थगित की गई है जो वर्तमान में भी प्रभावी है। चूंकि पुलिस कार्मिकों को उक्त सुविधा राज्य के अन्य कर्मचारियों के समान प्रदान की गई थी अतः उनके सम्बन्ध में अलग से विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गुनिया जुड्डी, जनपद मुजफ्फरनगर में बनाये गये जॉब कार्ड की जांच

109-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-014/रालोद/स0वि0स0/010, दिनांक 22-1-10 जो ग्राम गुनिया जुड्डी विकास खण्ड चरथावल, जनपद-मुजफ्फरनगर में नरेगा से सम्बन्धित योजना में बनाये गये जॉब कार्डों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायत की जांच खण्ड विकास अधिकारी, चरथावल द्वारा स्वयं की गयी। जांच में ग्राम गुनिया जुड्डी में सभी इच्छुक व्यक्तियों के जॉब कार्ड बनाये गये हैं, जिनमें बी0पी0एल0 सहित सभी वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित है। जांच के समय किसी भी प्रकार की जॉब कार्ड से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

110-श्री अब्दुल वारिस खां-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बलात्कार, हत्या, लूट एवं अपहरण के पंजीकृत अभियोग

111-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008-09 से 31 मार्च, 2010 तक कितने मुकदमें बलात्कार, हत्या, लूट-अपहरण के दर्ज हुए हैं तथा कितने मुकदमों में पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है तथा कितने मामलों में अभियुक्तों को जेल भेजा गया है ? क्या सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु कोई नई नीति बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में बलात्कार, हत्या, लूट एवं अपहरण के वर्ष 2008, 2009 एवं दिनांक 1-1-2010 से 31-3-2010 की अवधि में कुल 31,931 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें 8,572 मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा 17,509 मुकदमों में अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त समाज की स्थापना के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्ध है तथा अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण शासन की प्रमुख वरीयताओं में है। वर्तमान सरकार द्वारा प्रारम्भ से ही अपराध नियंत्रण पर पूरा ध्यान दिया गया है। इस सम्बन्ध में अपराधों का सहज पंजीकरण एवं पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही समाज के संगठित अपराधियों, माफियाओं, गुण्डा तत्वों, कुख्यात पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की नीति अपनायी गयी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के 2008 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में अपराध दर के अनुसार 34वें स्थान पर है। यह स्थिति सरकार की अपराधों पर अंकुश लगाये जाने की दशा में विशेष संवेदनशीलता एवं कटिबद्धता तथा कठोर कार्यवाही के कारण ही संभव हो सकी है।

अपराध नियंत्रण हेतु समय-समय पर मा0 मुख्य मंत्री जी, प्रमुख सचिव, गृह, कैबिनेट सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के स्तर पर समीक्षा की जाती है।

समीक्षा के उपरान्त अपराधों के नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश समय-समय पर दिये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मुठभेड़ों में पुलिस द्वारा किये गये इन्काउन्टर

112-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में मुठभेड़ों में पुलिस द्वारा कितने इन्काउन्टर किये गये हैं ? क्या सरकार कारण बताते हुए सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पुलिस द्वारा अपराधियों का ''इन्काउन्टर'' नहीं किया जाता वरन अपराधियों के विरुद्ध विधि पूर्ण कार्यवाही की जाती है।

अपराधियों के विरुद्ध विधि पूर्ण कार्यवाही करते समय गिरफ्तारी का अवसर देने के उपरान्त भी कतिपय मामलों में पुलिस बल पर हमले की स्थिति में पुलिस द्वारा आत्म रक्षार्थ कार्यवाही की जाती है, जिसमें पुलिसजन एवं अपराधी के घायल होने अथवा मृत्यु की घटनाएं घटित हुई है।

दिनांक 1-4-2008 से 31-3-2009 के मध्य ऐसी घटनाएं, जिसमें अपराधियों की मृत्यु हुई हैं की संख्या 94 है। इन 94 घटनाओं में 123 अपराधियों की मृत्यु हुई है।

दिनांक 1-4-2009 से 31-3-2010 के मध्य ऐसी 53 घटनाएं हुई है, जिसमें 66 अपराधियों की मृत्यु हुई है।

वर्ष 2008-2009 एवं वर्ष 2009-10 में आत्मरक्षार्थ हुई मुठभेड़ों में मृत अपराधियों की सूची सदन के पटल पर तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सधिकारियों/कर्मचारियों को राजपत्रित एवं निर्बन्धित अवकाश की मांग

113-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में तैनात चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति राजपत्रित एवं निर्बन्धित अवकाशों की सुविधा अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो इसके बदले में कोई अन्य सुविधा दी जाती है ? यदि हां, तो वह सुविधा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें उक्त सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में तैनात चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति राजपत्रित अवकाश अनुमन्य नहीं है, परन्तु निर्बन्धित अवकाश की सुविधा अनुमन्य है।

अन्य राज्य कर्मचारियों की तुलना में राजकीय होम्योपेथिक चिकित्सालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य अवधि कम है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सालयों और कार्यालयों की स्थापना का उद्देश्य अलग-अलग है। अतः एक ही सुविधा के अन्तर्गत दोनों का सुसंचालन सम्भव नहीं है।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की अनुपस्थिति में भेषजिकों द्वारा रोगियों की चिकित्सा

114-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की अनुपस्थिति में भेषजिकों द्वारा रोगियों की चिकित्सा की जाती है ? यदि हां, तो यह केन्द्रीय होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् के नियमों के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस व्यवस्था में सुधार के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर नगर निगम को अवमुक्त धनराशि का विवरण

115-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0एस0एस0आई0एम0डी0टी0 योजना के अन्तर्गत गोरखपुर नगर निगम को वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में किन-किन योजनाओं के लिये कितना धन अवमुक्त किया गया है ? अवमुक्त धन के सापेक्ष कराये गये कार्यों की प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री नकुल दुबे-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यूआईडीएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में गोरखपुर नगर पेयजल योजना (स्तमपुर, महादेव झारखण्डी, नौसड़ एवं नन्दानगर जोन) हेतु क्रमशः रु0 799.43 लाख, 79.94 लाख तथा 688.83 लाख अर्थात् कुल रु0 1568.20 लाख अवमुक्त किया गया है।

अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति का विवरण निम्नलिखित हैः--

नलकूप	20 नग	
पंप हाउस	17 नग	100%
	2 नग	50%
पंपिंग प्लांट	20 नग	
पावर कनेक्शन	10 नग	
वितरण प्रणाली	70 कि0मी0	
राइजिंग मेन	6000 मीटर	
शिरोपरि जलाशय	3 नग	100%
	2 नग	40%
स्टाफ क्वार्टर	2 नग	100%
	1 नग	50%

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में एक स्थायी मंच के निर्माण एवं सांस्कृतिक महोत्सव के शुभारम्भ के सम्बन्ध में पत्र

116-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में एक स्थायी मंच के निर्माण एवं सांस्कृतिक महोत्सव के शुभारम्भ के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-312/08, दिनांक 12-9-2008, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति मंत्री (श्री सुभाष पाण्डेय)-

जी हां।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या-2647/ए0जी0सी0/एल0ए0सी0-10, दिनांक 29-7-2010 द्वारा अवगत कराया गया है कि पट्टी क्षेत्र में इतना भूखण्ड उपलब्ध नहीं है जिस पर एक स्थाई मंच का निर्माण किया जा सके और उसके आस-पास दर्शकों के बैठने व वाहन पार्किग हेतु खुला स्थान हो। सांस्कृतिक महोत्सव के शुभारम्भ के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के वार्षिक कलेण्डर में यह कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ के हनुमान मन्दिर पट्टी सहित कतिपय योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरूपयोग की जांच

117-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ के हनुमान मन्दिर पट्टी सहित अन्य कतिपय योजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि के दुरुपयोग की जांच के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यटन का पत्र संख्या-86 वी0आई0पी0/41-2008, दिनांक 30 जुलाई, 2008 आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को प्रेषित एवं महानिदेशक को पृष्ठांकित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

संदर्भित पत्र के क्रम में योजना के कार्यों की प्रारम्भिक जांच अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद वृत्त एवं अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व प्रतापगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से की गयी थी। तत्पश्चात योजनान्तर्गत कार्यो की जांच मुख्य महाप्रबन्धक प्रथम सी0एण्ड0 डी0एस0 जल निगम, लखनऊ द्वारा की गयी। योजना के क्रियान्वयन में दोषी पाये कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम दाउदपुर में स्थायी मंच एवं प्रेक्षागृह के निर्माण की मांग

118-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम दाउदपुर में स्थित दाउदपुर झील एवं कुण्डा धाम के पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता महोत्सव के आयोजन हेतु बजट व्यवस्था तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु एक

स्थायी मंच एवं एक प्रेक्षागृह का निर्माण सरकार द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

समस्त माननीय विधायकों को सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की मांग

119-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में कतिपय विधान सभा सदस्यों के अंगरक्षकों की संख्या एक से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त मा0 विधायकों को भी उनकी तरह ही सुरक्षा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुरूप जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर सम्बन्धित मा0 विधायक को एक से अधिक अंगरक्षक 10 प्रतिशत निजी व्यय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में निर्मित मुक्ताकाशी रंगमंच में चहारदीवारी, साउण्ड, लाइट एवं कैफेटेरिया के निर्माण कार्य की मांग

120-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में निर्मित मुक्ताकाशी रंग मंच में चाहरदीवारी, साउण्ड, लाईट एवं कैफेटेरिया का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो अधूरा कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय-

मूल योजना में यह कार्य प्रस्तावित नहीं हैं। मूल योजना का कार्य पूरा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना कांधला, जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज मु0अ0सं0-599/09 के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी

121-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-काधला, जनपद-मुजफ्फरनगर में दर्ज मु0अ0सं0-599/09 में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-021/रालोद/स0वि0स0/010, दिनांक 22-01-10, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो

प्रश्नगत मुकदमे में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मु0अ0सं0 599/09 में नामित 4 अभियुक्तों कृपाल पुत्र रणजीत, याकीब पुत्र बुद्धू, बाबू पुत्र तहबर, जहीर पुत्र अजीज निवासीगण ग्राम गुज्जरपुर थाना कांधला जनपद मुजफ्फरनगर में से अभियुक्त याकीब, बाबू तथा जहीर को विवेचना द्वारा दिनांक 22-10-09 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त कृपाल को दिनांक 9-1-2010 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

122-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

[पहले गुरुवार के अता0 प्रश्न सं0-119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर में नरेगा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत जॉब कार्ड

123-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर महोबा, फतेहपुर में वर्ष 2007-08 से 31-3-10 तक नरेगा योजना के अन्तर्गत कितने मजदूरों को जॉब कार्ड दिये गये हैं तथा प्रत्येक वर्ष में ब्लाकवार कितने मजदूरों को 90 दिन का रोजगार दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 से 31-3-10 तक जनपद हमीरपुर में 319109, बांदा में 161375, चित्रकूट में 100478, फतेहपुर में 209426, तथा महोबा में 68943 जॉब कार्ड बने है। पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों को 90 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये गये विकास खण्डवार सूचना संलग्नक-1 पर प्रस्तुत है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-141-142 पर)।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा की ग्राम पंचायत गड़रिया, सिन्धनकला, गाजीपुर तथा चंदवारा में जॉब कार्ड धारकों को दिया गया रोजगार

124-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के ब्लाक जसपुरा की ग्राम पंचायत गड़रिया व सिन्धनकला, गाजीपुर तथा चंदवारा में वर्ष 2008-09 व 2009-10 में कितने मजदूरों को राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 90 दिन का रोजगार दिया गया है तथा कितने ऐसे मजदूर हैं जिनके पास जॉब कार्ड है लेकिन मजदूरी नहीं दी गयी है ? इसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार मजदूरों का सत्यापन कराकर जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

विकास खण्ड जसपुरा की ग्राम पंचायत गड़रिया, विन्धनकला, गाजीपुर तथा चंदवारा में वर्ष 2008-09 व 2009-10 में क्रमशः 81 व 201 जॉब कार्ड धारकों को 90 दिवस का रोजगार दिया गया है।

वर्ष 2008-09 में कुल 1907 जॉब कार्ड धारकों के सापेक्ष 686 तथा वर्ष 2009-10 में 2023 जॉब कार्ड धारकों के सापेक्ष 851 जॉब कार्ड धारकों को उनकी मांग पर रोजगार उपलब्ध कराकर मजदूरी का भुगतान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना मानव श्रम मांग आधारित योजना है। रोजगार की मांग करने वाले सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा फागिंग कार्य हेतु व्यय की गयी धनराशि

125-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण हेतु नगर निगम, गोरखपुर ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 में इस मद में प्राप्त धनराशि को नगर निगम ने कहां-कहां तथा किन-किन मदों में व्यय किया है ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा महानगर के 70 वार्डों में कार्य योजना तैयार कराकर वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 (जून, 2010 तक) फागिंग कार्य में निम्न विवरण के अनुसार वर्षवार व्यय किया गया :-

वर्ष	पेट्रोल	डीजल	किंगफाल	सेड्रीला	आ0सी0 गैबरा/अवेट	कुल धनराशि
2006-07	15,294	54.498	-	-	-	69,792
2007-08	30,584	1,10,780	-	-	11,76,600	13,17,964
2008-09	1,37,870	4,90,770	8,07,680	2,16,640	6,42,530	19,54,890
2009-10	47,327	1,56,366	70,980	63,840	3,43,770	5,76,789
2010-11	25,195	93,075	42,250	38,000	62,160	2,60680
1 जून, 10 तक						

उस्मानी पब्लिक स्कूल महेवागंज, जनपद-लखीमपुर खीरी में हैण्डपम्प को रि-बोर कराकर चालू कराने की मांग

126-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के उस्मानी पब्लिक स्कूल महेवागंज में लगा इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प वर्ष 2008

से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्प को रि-बोर कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत हैण्डपम्प को रि-बोर कराकर चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के ग्राम जंगल मटेरा में अनुसूचित जाति की बस्तियों में हैण्डपम्प स्थापित किये जाने की मांग

127-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के ग्राम जंगल मटेरा में अनुसूचित जाति की बस्तियों में मानक के अनुसार इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्थापित नहीं है ? यदि हां, तो उक्त बस्तियों में मानक के अनुसार हैण्डपम्प कब स्थापित करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम का पेयजल आर्सेनिक प्रभावित है। अतः इस ग्राम में हैण्डपम्प के स्थान पर पाइप पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

जनपद-फर्रुखाबाद में मालखाने में रखी महामानव गौतमबुद्ध की मूर्ति को निकालकर संकिसा बौद्ध पर्यटक स्थल पर लगवाने की मांग

128-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फर्रुखाबाद (फतेहगढ़) में महामानव गौतमबुद्ध की मूर्ति (मालखाने) में रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मूर्ति को मालखाने से निकालकर सकिंसा बौद्ध पर्यटक स्थल पर लगवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय-

जी हां।

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। संकिसा बौद्ध पर्यटक स्थल की भूमि पर स्थित स्तूप (टोला) का विवाद जनपद फर्रुखाबाद के सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

129-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[पहले गुरुवार के अता0प्र0सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण में प्रयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच

130-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मैनपुरी में वर्तमान में कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत बन रहे आवासों में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा

है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी पाये जाने वाली एजेन्सी पर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण में प्रयोग में की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच निदेशक, गुण नियंत्रण, लखनऊ, अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त आगरा व उपनिदेशक, गुण नियंत्रण कोष्ठ कानपुर से, ईटों, कोर्स सेण्ड, सी0सी0 क्यूब आदि की नान गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी से, स्टील व सीमेन्ट की जाने श्री बाला जी टेस्ट हाउस कालिन्दी बिहार, आगरा की प्रयोगशाला से करायी गयी। सभी संस्थानों द्वारा परीक्षण में योजनान्तर्गत भवनों के निर्माण में प्रयोग की जा रही सामग्री को गुणवत्ता सही पायी गयी। आवासों में डब्लू0सी0सी0, जी0आई0 पाइप, सी0आई0 पाईप, पी0बी0सी0 पाईप, डोर शटर्स सभी आई0 एस0 आई0 मार्क के प्रयोग किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद में संकिसा बौद्ध स्तूप की मरम्मत कराने की मांग

131-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फर्रुखाबाद में सकिंसा, बौद्ध स्तूप की मरम्मत कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय-

जी नहीं।

यह स्मारक केन्द्र सरकार के संरक्षण में है और इसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली के द्वारा की जाती है।

जनपद महामायानगर में खराब रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या

132-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में वर्ष 2009-2010 में 31 दिसम्बर, 2009 तक कितने हैण्डपम्प लगवाये गये हैं तथा विकास खण्डवार कितने-कितने खराब हैण्डपम्प रि-बोर कराये गये हैं ? क्या सरकार सादाबाद एवं सहपऊ विकास खण्ड के शेष खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-महामायानगर में वर्ष 2009-10 में 31 दिसम्बर, 2009 तक 750 नग हैण्डपम्प लगवाये गये हैं। रि-बोर कराये गये हैण्डपम्प का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

ब्लाक का नाम	रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या
हाथरस	201
मुरसान	223

ब्लाक का नाम	रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या
सासनी	154
सिकन्दराराऊ	47
हंसायन	51
सादाबाद	369
सहपऊ	155
योग	1200

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को पूर्ण विकसित कराने की योजना

133-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ स्वीकृत क्षमतानुसार पूर्ण विकसित है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त अस्पताल की क्षमता को पूर्ण विकसित करने एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

शासन द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को पूर्ण विकसित होने की कोई क्षमता स्वीकृत नहीं की गई है।

संस्थान में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिवर्ष बजट के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

134-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[पहले गुरुवार के अता0 प्रश्न सं0-121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर निगम, गोरखपुर को ''बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड'' योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि

135-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड'' के तहत गोरखपुर नगर निगम को 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में किन-किन योजनाओं के लिए धन अवमुक्त किये गये तथा उनके सापेक्ष कराये गये कार्यों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ''बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड'' के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 हेतु कोई कार्य योजना प्रेषित नहीं की गयी है। वर्ष 2007-08 में प्रेषित योजनाओं के सापेक्ष रु0 310.84 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसके सापेक्ष †संलग्न विवरण के अनुसार कुल 21 कार्य सम्पादित कराये गये हैं।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-143-144 पर।)

वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 की योजनाओं के तहत अभी तक कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

136-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर स्थित महादेव झारखण्डी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की योजना

137-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित महादेव झारखण्डी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

गोरखपुर स्थित महादेव झारखण्डी मंदिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

138-श्री राजेश यादव-

[पहले बुधवार के अता0प्र0सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सिठौली (पानी की टंकी) से मलेथुआ गांव को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

139-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सिठौली (पानी की टंकी) से मलेथुआ गांव को जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

सिठौली (पानी की टंकी) से मलेथुआ गांव को जोड़ने वाला मार्ग जनपद के कोर नेटवर्क का भाग नहीं है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के सैदाबाद विकास खण्ड के उत्तरी क्षेत्र में एक नये विकास खण्ड के सृजन की मांग

140-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के सैदाबाद विकास खण्ड के उत्तरी क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया विकास खण्ड बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

भारत की जनगणना 2011 हेतु उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर पालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, तालुकों, परगनों और जिला आदि की प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं में दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है। अतः नये विकास खण्ड का सृजन संभव नहीं है।

प्रदेश में हैण्डपम्प लगाने एवं उनके अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य को ग्राम पंचायत जल प्रबन्धन समिति द्वारा कराये जाने की मांग

141-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 120 की आबादी पर हैण्डपम्प लगाने एवं उनके अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य ग्राम पंचायत जल प्रबन्धन समिति द्वारा कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जल प्रबन्धन समिति ग्राम पंचायत के अधीन होती है। अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्प का अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा तथा स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्प का रि-बोर उत्तर प्रदेश जल निगम तथा यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर के आबादी क्षेत्र को सुअरों से मुक्त कराने की मांग

142-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर के आबादी क्षेत्र में सुअर पालन का निषेध है ? यदि हां, तो क्या ओ0सी0आर0, डायमण्ड डेरी एवं उदयगंज रोड जैसे वी0आई0पी0 क्षेत्र में सुअर लगातार विचरण करते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों को सुअरों से मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं, लगातार विचरण नहीं करते हैं। जब कभी दिखायी देते हैं उन्हें पकड़वाया जाता है।

नगर निगम द्वारा पिग-कैनिंग का अभियान निरन्तर चलाया जाता है। उक्त अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कुल 417 सुअर पकड़वाकर कान्जी हाउस में बन्द करा दिया गया। ओ0सी0आर0 डायमण्ड डेरी एवं उदयगंज में दिनांक 11-4-2010 को 07 सुअर व दिनांक 18-4-2010 को 03 सुअर विचरण करते हुए पाये गये जिन्हें पकड़वाकर कान्जी हाउस में बन्द कराया गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित क्षेत्र के सुअर पालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम,

1959 की धारा 550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी। पूर्व में सुअर पालकों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया तथा मा0 न्यायालय में वाद भी दाखिल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

बहुखण्डीय मंत्री आवास डालीबाग, लखनऊ में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प ठीक कराने की मांग

143-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहुखण्डीय मंत्री आवास डालीबाग, लखनऊ में ''ए'' ब्लाक के पार्क के पास लगा इन्डिया मार्का हैण्ड पम्प पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से खराब है ? यदि हां, तो इस हैण्ड पम्प को ठीक न कराने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त हैण्ड पाइप कब तक ठीक करवाकर चालू करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नगत हैण्डपम्प को रि-बोर करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में ग्राम जैतीपुर ब्लाक से ग्रामीण बैंक जैतीपुर तक सड़क पर नाली के निर्माण की मांग

144-श्री राजेश यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र, तिलहर में ग्राम जैतीपुर ब्लाक से ग्रामीण बैंक, जैतीपुर तक सड़क पर पानी भर जाने से जनता को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी की निकासी हेतु उक्त सड़क पर नाली का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

पानी निकासी हेतु प्रस्ताव वर्ष 2011-12 की कार्य योजना में सम्मिलित कर नाली निर्माण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान मण्डल सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों में अधिष्ठापित किये गये हैण्डपम्प

145-श्री राजेश यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार वर्ष 2007-2008 में विधान सभा/विधान परिषद् के समस्त मा0 सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों में 225-225 हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत घोषणा के अनुसार वर्ष 2007-08 में मा0 विधान मण्डल सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु प्राप्त सूची के सापेक्ष जिनमें सहभागिता अंश की धनराशि प्राप्त हो गयी थी, उनमें से स्थल विवाद वाले हैण्डपम्प को छोड़कर अन्य हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

146-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[पहले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम खेतौसा में हैण्डपम्पों की स्थापना की मांग

147-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम खेतौसा में अनुसूचित जाति की बस्तियों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्थापना हेतु वर्ष 2009 में मुख्य विकास अधिकारी, खीरी को सूची प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सर्वे कराने के बाद भी अभी तक इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों की स्थापना न कराये जाने के क्या कारण हैं तथा हैण्डपम्पों की स्थापना कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

सर्वे के उपरान्त प्रश्नगत ग्राम में मानक के अन्तर्गत एक और हैण्डपम्प का अधिष्ठापन करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी, डा0 योगेश चन्द्र शर्मा की तैनाती व कार्यकाल की अवधि

148-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में वर्तमान समय में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर तैनात हैं ? यदि हां, तो उनके नाम व कार्यकाल की अवधि क्या है ? क्या सरकार एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की कमी को देखते हुए इन्हें अपने मूल विभाग वापस भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

डा0 योगेश चन्द्र शर्मा, एम0डी0 मेडिसिन (एलोपैथी) को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-यू0ओ0-301/चि0-3-2005, दिनांक 17 मार्च, 2006 द्वारा सेवा हस्तान्तरण के आधार पर 03 वर्ष के लिए राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में तैनात किया गया है।

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में सी0सी0आई0एम0 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आधुनिक विधा से सम्बन्धित विषयों को पढ़ाने हेतु डा0 योगेश चन्द्र शर्मा, एम0डी0 मेडिसिन (एलोपैथी) को सेवा हस्तान्तरण के आधार पर तैनात किया गया है। एलोपैथिक विधा के उपाधि धारक योग्य शिक्षक की, आधुनिक विधा का ज्ञान छात्रों को दिये जाने हेतु आवश्यकता है।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम-ज्ञानपुर से पड़रिया कलां तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण

149-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम-ज्ञानपुर से पड़रिया कलां तक सम्पर्क मार्ग लगभग 3 कि0मी0 का डामरीकण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत मार्ग के डामरीकरण का कार्य अप्रैल, 2010 में पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

150-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा की नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों द्वारा ठेके/वर्क आर्डर में आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के अनुपालन की मांग

151-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा की नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2008-09 से 31-3-10 तक कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को ठेके/वर्क आर्डर में आरक्षण का लाभ दिया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इससे सम्बन्धित शासनादेशों का उल्लंघन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद बांदा की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में शासनादेश संख्या-1506/9-9-09-69ज/09, दिनांक 27-7-2009 प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 31-3-2010 तक नगर पालिका परिषद् बांदा में 05, नगरपालिका परिषद् अतर्रा में 03, नगर पंचायत मटौध में 01 एवं नगर पंचायत बिसण्डा में 02 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ठेके में आरक्षण का लाभ दिया गया। नगर पंचायत बबेरू तथा तिन्दवारी में वर्ष 2009-10 में शासनादेश प्रभावी होने के उपरान्त 05 लाख रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये थे जिसमें आरक्षण प्रभावी नहीं था। नगर पंचायत नरैनी तथा नगर पंचायत ओरन में दिनांक 31-3-2010 तक कोई टेण्डर की कार्यवाही नहीं हुई है।

जी नहीं। उक्त निकायों में शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सन्दीप शर्मा निवासी कस्बा जलालाबाद जनपद मुजफ्फरनगर के परिवार को मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद प्रदान करने के सम्बन्ध में पत्र

152-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-0033/रालोद/स0वि0स0/10 दिनांकित 22-01-10 जो कि सन्दीप शर्मा निवासी कस्बा जलालाबाद जनपद-मुजफ्फरनगर के परिवार को मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद प्रदान करने के सम्बन्ध में था, क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद कितनी व कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से रु0 15,000/-की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में कार्यकाल पूरा कर चुके कार्यरत डी0जी0सी0, ए0डी0जी0सी0, फौजदारी, सिविल के अधिवक्ता

153-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत डी0जी0सी0, ए0डी0जी0सी0 फौजदारी, सिविल तथा अन्य जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, वे अभी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

शासनादेश सं0-डी0 897/सात-न्याय-3-2000, दिनांक 25 मार्च, 2000 में दी गयी व्यवस्था के आलोक में कार्यकाल के नवीनीकरण का निर्णय लिये जाने तक अथवा संशोधित विधि परामर्शी निर्देशिका में शासकीय अधिवक्ता की उसकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष तक कार्यरत रखा जायेगा।

जिलाधिकारी, कानपुर नगर के कार्यालय में पुलिस एवं राजस्व विभाग की सकारात्मक संस्तुति सहित लम्बित शस्त्र आवेदन-पत्र

154-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, कानपुर नगर के कार्यालय में 31 मार्च, 2009 से 31 मार्च, 2010 के मध्य पुलिस एवं राजस्व की सकारात्मक संस्तुतियों के साथ कितने शस्त्र आवेदन पत्र जिलाधिकारी के अन्तिम आदेशार्थ लम्बित हैं ? उक्त शस्त्र आवेदन-पत्रों का शासकीय नीति एवं आयुध अधिनियम तथा शस्त्र नियमावली के तहत समयबद्ध निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के कार्यालय में दिनांक 31 मार्च, 2009 से 31 मार्च, 2010 के मध्य पुलिस एवं राजस्व विभाग की सकारात्मक संस्तुति के साथ प्राप्त 489 आवेदन-पत्र निस्तारण हेतु लम्बित है।

उक्त 489 आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन

155-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007-08 से 31 मार्च, 2010 तक कितने ग्रामों का डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना तथा डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयन किया गया है तथा अब तक कितने ग्रामों को सभी कार्यक्रमों में संतृप्त कर दिया गया है ? शेष ग्रामों को कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

शासनादेश दिनांक 02-06-2008 द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना की संरचना एवं स्वरूप में व्यापक परिवर्तन करते हुए डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में 1887 तथा वर्ष 2008-09 में 3711 ग्राम सभाओं का चयन किया गया। वर्ष 2009-10 में वर्ष 1995-96 एवं 1997-98 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 2195 ग्रामों का चयन किया गया है।

वर्ष 2007-08 में लक्षित सभी ग्राम सभाओं को संतृप्तीकरण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार योजना के समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है। वर्ष 2008-09 में चयनित ग्राम सभाओं में से 02 ग्रामसभाओं में केवल सम्पर्क मार्ग निर्माण अवशेष है। अन्य सभी ग्राम सभाओं को निर्धारित मानक के अनुसार योजना के समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त कर दिया गया है। वर्ष 2009-10 में चयनित ग्रामों में से मजरों को जोड़ने से सम्बन्धित मार्गो के निर्माण में 32 ग्रामों, ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्राम के सभी मजरों का विद्युतीकरण कार्यक्रम में 05 ग्रामों में विद्युतीकरण कराया जाना अवशेष है तथा 10 ग्रामों में आवासहीन को आवास उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी संतृप्तीकरण का कार्यक्रम अवशेष है। अन्य सभी ग्रामों को संतृप्तीकरण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार योजना के समस्त विकास कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है।

अवशेष ग्रामों को यथाशीघ्र संतृप्त कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में जल संस्थान द्वारा ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी-बडोखर खुर्द में संचालित पेयजल योजनाएं

156-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में जल संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक जसपुरा तिन्दवारी, बडोखरखुर्द में कितनी पेयजल समूह योजनाएं संचालित है तथा किन-किन ग्रामों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है तथा कितने ग्रामों में सप्लाई बन्द हो जाने से पेयजल संकट पैदा हो गया है ? क्या सरकार सभी पेयजल समूह योजनाओं को सही कराकर पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान बांदा द्वारा जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में 01 तिन्दवारी में 04 तथा बड़ोखर खुर्द में 04 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं संचालित है। जसपुरा में 06 ग्राम, तिन्दवारी में 37 ग्राम तथा बड़ोखर खुर्द के 16 ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है।

जसपुरा के 06 ग्राम, तिन्दवारी के 35 ग्राम एवं बड़ोखर खुर्द के 15 ग्रामों में जलापूर्ति बन्द है। हैण्डपम्प से पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, पेयजल का संकट नहीं है।

जी हां।

धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत बन्द योजनाओं को समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, हमीरपुर, जलौन, झांसी, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत ग्राम सभाओं का चयन

157-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर में वर्ष 2008-09 व 2009-2010 में कितने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं का चयन किया गया है तथा उन ग्रामों के साथ कितने मजरों को योजना के पांच विभिन्न कार्यक्रमों से संतृप्त कर दिया गया है ? कितने ग्राम व मजरे शेष हैं ? उन्हें कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत 2008-09 में जनपद बांदा में 39, हमीरपुर में 28, जालौन में 40, झांसी में 30, चित्रकूट में 21, महोबा में 21 तथा फतेहपुर में 60 ग्राम सभाओं का चयन किया गया।

वर्ष 2009-10 में वर्ष 1995-96, 1997-98 के चयनित ग्रामों में से जनपद बांदा में 15, जालौन में 16, झांसी में 15, चित्रकूट में 15, महोबा में 17 तथा फतेहपुर में 20 डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है।

वर्ष 2008-09 की चयनित ग्राम सभाओं में से सम्पर्क मार्ग निर्माण को छोड़कर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार योजना के अन्य सभी कार्यक्रम से चयनित ग्राम सभाओं को तत्समय निर्धारित मानकों के अनुसार संतृप्त किया जा चुका है।

वर्ष 2009-10 हेतु चयनित 113 ग्रामों व उनके 129 मजरों को योजना के सभी कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है।

वर्ष 2008-09 हेतु चयनित ग्राम सभाओं में से जनपद हमीरपुर की 01 ग्राम सभा में सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य अवशेष है।

वर्ष 2008-09 हेतु चयनित ग्राम सभाओं में से सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यक्रम से अवशेष जनपद हमीरपुर की ग्राम सभा पतारा के राजस्व ग्राम नैठी डांडा में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर के ग्राम महाई में पेयजल आपूर्ति

158-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-3-2010 को प्रश्नकर्ता ने जनपद-उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर के ग्राम महाई में पेयजल हेतु टंकी निर्माण के बाद सप्लाई

चालू न होने से सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 16-3-2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त टंकी कब तक चालू करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं। प्रश्नगत पत्र मा0 नगर विकास मंत्री जी को प्राप्त हुआ है।

विद्युत तार चोरी होने/विद्युत प्रणाली के क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसे ठीक कराये जाने हेतु विद्युत विभाग से निरन्तर प्रयास/सम्पर्क किया जा रहा है। विद्युत विभाग द्वारा सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कराकर पेयजल की आपूर्ति शीघ्र करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आमी नदी में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु उपाय

159-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आमी नदी में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

आमी नदी में बढ़ते प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:--

(1) गीडा औद्योगिक क्षेत्र गोरखपुर में कॉमन इफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (सी0पी0टी0) स्थापित करने हेतु मेसर्स बंथर इण्डस्ट्रियल पाल्यूशन कन्ट्रोल कम्पनी के सी0ई0ओ0 डा0 एस0 अवस्थी को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने की स्वीकृति हेतु आयुक्त, गोरखपुर/ उपाध्यक्ष, गोरखपुर के पत्र संख्या-1339/अ0नि0-6/सी0ई0पी0टी0/209-10, दिनांक 1 दिसम्बर, 2009 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।

(2) नगर पालिका परिषद् खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर संतकबीर नगर से जनित सीवेज के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट की स्थापना के लिए उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस प्रेषित की गयी है।

(3) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, खलीलाबाद संतकबीर नगर के पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2009 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम, संतकबीर नगर को एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(4) खलीलाबाद, संतकबीर नगर में स्थित मेसर्स रैना पेपर बोर्ड इण्डस्ट्रीज (यूनिट-1) को उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2010 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत केमिकल पल्पिंग बन्द किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। उद्योग द्वारा प्रदूषणकारी प्रकृति के ब्लैक लीकर की मात्रा को कम करने हेतु स्क्रू प्रेस सिस्टम स्थापित कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त उद्योग से जनित होने वाले ब्लैक लीकर के शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु केमिकल रिकवरी प्लाण्ट स्थापित किये जाने की सूचना उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गयी है।

(5) गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) गोरखपुर में स्थापित मेसर्स अम्बे प्रोसेसर्स एवं मेसर्स बथवाल उद्योग प्रा0 लि0 नामक औद्योगिक इकाइयों से निस्तारित होने वाले शुद्धिकृत उत्प्रवाह में प्रदूषण की मात्रा में कमी लाने हेतु वर्तमान में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में सुदृढ़ीकरण किये जाने का प्रस्ताव उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त हुआ है। उद्योग से प्राप्त सूचना के अनुसार ई0टी0पी0 में सुदृढ़ीकरण का कार्य लगभग तीन माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

(6) गोरखपुर में स्थित मे0 इण्डिया ग्लाइकोल्स लि0 से निस्तारित किये जा रहे अल्प प्रदूषणकारी कूलिंग कन्डन्सेट वाटर के शुद्धिकरण हेतु साइड स्ट्रीम फिल्टर की स्थापना माह मई, 2010 में कर ली गयी है।

(7) अत्यधिक प्रदूषणकारी उत्प्रवाह (स्पेन्टवॉश) को आधुनिक संयंत्र (पांच चरणीय फालिंग फिल्म टाइप एवापोरटर) स्थापित कर उत्प्रवाह का निस्तारण शून्य कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के करंजाकला विकास खण्ड में शुद्ध पेयजल हेतु अधिष्ठापित किये गये हैण्डपम्प

160-श्री जावेद अंसारी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के करंजाकलां विकास खण्ड में वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल हेतु कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाए गए हैं ? क्या सभी हैण्ड पम्प सुचारु रूप से चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराते हुए उक्त ब्लाक में लगाये जाने वाले शेष हैण्डपम्पों को स्थापित करेगी, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-जौनपुर के करंजाकलां विकास खण्ड में शुद्ध पेयजल हेतु वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में क्रमशः 290, 395 तथा 230 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

जी हां।

प्रश्नगत विकास खण्ड में कुल 4046 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार यह विकास खण्ड मानकों के अनुसार हैण्डपम्प से संतृप्त है।

जल संस्थान, लखनऊ में कार्यरत श्री सलमान अंसारी की विधवा श्रीमती तसनीम फात्मा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

161-श्री जावेद अंसारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान, लखनऊ में कार्यरत श्री सलमान अंसारी की विधवा श्रीमती तसनीम फात्मा को पारिवारिक पेंशन का माह सितम्बर, 09 तक भुगतान किया गया है ? परन्तु बिना कारण बताये उक्त पेंशन का भुगतान रोक दिया गया

है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार मृतक आश्रित को सितम्बर, 2009 से आगे की पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

छठे वेतन आयोग के शासनादेश से कुछ भ्रान्तियां उत्पन्न हुयी थीं, जिसके कारण पारिवारिक पेंशन लम्बित रखी गयी। अब स्थिति स्पष्ट हो गयी है।

उपरोक्तानुसार।

स्थिति स्पष्ट हो जाने के फलस्वरूप पेंशन भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की नगर पंचायत मड़ियाहूं को आदर्श नगर पंचायत घोषित किये जाने पर विचार

162-श्री जावेद अंसारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर की नगर पंचायत मड़ियाहूं को आदर्श नगर पंचायत घोषित किये जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसकी घोषणा कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जनपद-जौनपुर की नगर पंचायत, मड़ियाहूं को आदर्श नगर योजना में सम्मिलित करने के लिये निकाय से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त निकाय को आदर्श नगर योजना में सम्मिलित करने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

163-डा0 अनिल चौधरी-

[पहले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-120 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रामाधीन सिंह रोड, संतोषी माता मन्दिर गली हसनगंज, डालीगंज में वाटर लाइन बिछाने की कार्यवाही

164-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रामाधीन सिंह रोड, संतोषी माता मन्दिर गली, हसनगंज, डालीगंज में वाटर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों का पत्र माह जुलाई, 2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

रामाधीन सिंह रोड, संतोषी माता मन्दिर गली, हसनगंज, डालीबाग में 60 मीटर लम्बाई में 90 एम0एम0 पी0वी0सी0 पाइप बिछाने की कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय ग्राम सभाओं को मिलाकर नगर पंचायत कन्धई मधुपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार

163-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा की ग्राम सभा अतरसण्ड, सरौली सालिपुर कंजास एवं कन्धई मधुपुर की भौगोलिक रूप से लगभग 10 हजार के ऊपर की आबादी है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम सभाओं को मिलाकर नगर पंचायत कन्धई मधुपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने पर सरकर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उक्त ग्राम सभाओं की आबादी मिलाकर 10 हजार के ऊपर है, किन्तु यह चारों ग्राम सभायें भौगोलिक रूप से एक इकाई नहीं है, बल्कि इन ग्राम सभाओं की आबादी के बीच में दो से तीन किलोमीटर से अधिक की दूरी है तथा इनके मध्य अधिकांश कृषि क्षेत्र है।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-6250/9.1.86-77सा/82, दिनांक 10 सितम्बर, 1986 में निहित मानक पूर्ण न होने के कारण उक्त ग्राम सभाओं को मिलाकर नगर पंचायत बनाने का औचित्य नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, बाबा बेलखरनाथ धाम, मंगरौरा में अधिष्ठापित किये गये हैण्डपम्प

166-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, बाबा बेलखरनाथ धाम पट्टी मंगरौरा में पेयजल आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम0/191556/08, दिनांक 14-11-2008 सहित प्रमुख सचिव, ग्राम विकास को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

वर्ष 2008-09 में विकास खण्ड आसपुर देवसरा में 154, बाबा बेलखरनाथ धाम में 122, पट्टी में 84 तथा मंगरौरा में 128 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। उक्त विकास खण्ड निर्धारित मानकों के अनुसार हैण्डपम्प से संतृप्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

167-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[विस्तीर्णता एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की योजना

168-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

वर्तमान प्रणाली ही उपयुक्त है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा पंजीकृत मुकदमों की विवेचना हेतु अलग-अलग पुलिस बल की व्यवस्था पर विचार

169-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा पंजीकृत मुकदमों की विवेचना हेतु अलग-अलग पुलिस बल की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासनादेश संख्या 260(1)/छः-पु-09-2007, दिनांक 7 सितम्बर, 2007 के अनुक्रम में प्रारम्भिक चरण में प्रदेश के 11 जनपदों में प्रत्येक में एक-एक थाने पर अपराधों की विवेचना के कार्य को कानून व्यवस्था के कार्य से पृथक किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर में संचालित तारामण्डल में कैन्टीन व लेक्चर थियेटर हेतु आवंटित धनराशि

170-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में संचालित तारामण्डल में कैन्टीन लेक्चर थियेटर तथा टेलीस्कोप स्थापना हेतु सरकार द्वारा धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल मन्नान-

गोरखपुर में संचालित तारामण्डल में कैन्टीन व लेक्चर थियेटर हेतु धनराशि निर्गत कर दी गयी है। टेलीस्कोप स्थापना हेतु बजट व्यवस्था नहीं की गयी है।

कार्य प्रगति पर है तथा उक्त कार्य लगभग 6-8 माह में पूर्ण कर लिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के ब्लाक फूलबेहड़ के कतिपय ग्रामों में पेयजल कार्यों की गुणवत्ता की जांच

171-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के ब्लाक फूलबेहड़ के ग्राम बेलिहान व ग्राम सभा सुन्दरवल तथा ब्लाक नकहा की ग्राम सभा मझरा व लखीमपुर ब्लाक के ग्राम रमुआपुर व लकेशर, ब्लाक रमियाबेहड़ के ग्राम सेमरी व धौरहरा ब्लाक के कलुआपुर तथा सिसैया कलां में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत किसानों को शुद्ध पेयजल हेतु 6" की बोरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी कार्यों की जांच टी0ए0सी0 से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाने की योजना

172-श्री जावेद अंसारी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण पानी का जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण पूरे प्रदेश और खास तौर से पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाने के कारण सभी विधान सभा क्षेत्रों में अति गम्भीर स्थिति वाले गांवों, कस्बों, शहरों में हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु सरकार त्वरित कार्य योजना बनाकर सभी माननीय विधायकों को इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

भारत सरकार के ग्रामीण पेयजल योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में माननीय विधान मण्डल के सदस्यों का पृथक कोई से कोटा निर्धारित नहीं है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शासनादेश संख्या 1167/अड़तीस-5-09-67 सम/07 टी0सी0, दिनांक 17 जुलाई, 2009 तथा शासनादेश संख्याः 2202/66-1-09-40/09, दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार हैण्डपम्प का अधिष्ठापन किया जा रहा है।

जनपद जौनपुर की ग्राम पंचायत सिधवन में मानक के अनुसार कार्य न कराये जाने की जांच

173-श्री सर्वेश कुमार सिंह ''सीपू''-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर की ग्राम पंचायत सिधवन, विकास खण्ड रामपुर के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत में मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने, शासकीय धन का फर्जी भुगतान विषयक श्री दशरथ कुमार ''बबलू'' के शिकायती-पत्र के साथ विधायक मधुवाला पासी के पत्र के साथ संलग्नक सहित अप्रैल, 2010 में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

विभाग के नियंत्रणाधीन(टी0ए0सी0) टेक्निकल आडिट सेल से करायी गयी। टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 20-07-2010 को प्राप्त हो गयी, जिसमें कतिपय कार्मिक दोषी पाये गये हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर तथा गोरखपुर जनपद में अग्निशमन विभाग में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी

174-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर तथा गोरखपुर जनपद में अग्निशमन विभाग में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? क्या सरकार उक्त अग्निशमन केन्द्र में मानक के अनुसार सभी उपकरण तथा संसाधन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

गोरखपुर महानगर क्षेत्र में 02 अग्निशमन केन्द्र सहित जनपद गोरखपुर में कुल 03 अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत है। उपरोक्त अग्निशमन केन्द्रों में वर्तमान में 05 वाटर टेण्डर, 01 वाटर बाउचर, 07 जीप/बुलैरो कम्पर, 07 पम्प की उपलब्धता विद्यमान है।

जनपद गोरखपुर में अग्निशमन केन्द्रों हेतु वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर उपकरणों व अन्य संसाधनों की व्यवस्था की गयी है।

175-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के कतिपय क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण कराने की मांग

176-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में कानाखेड़ा, जसपुरा खप्टिहाकला, निवाइच, तिन्दवारी, बरेठी कला, पेयजल में खन्डेय पेयजल समूह योजना जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण कराकर सभी ग्रामों को शुद्ध पेयजल कब तक उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत योजनाओं के पुनर्गठन का कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन करने की योजना

177-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत समग्र ग्रामों के चयन करने की योजना को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

वर्तमान में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता की सेवा अवधि का विवरण

178-श्री जावेद अंसारी-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इन पदों पर जनपद में तैनात अवर अभियन्ताओं एवं सहायक

अभियन्ताओं की उक्त जिले में सेवा अवधि कितनी-कितनी है ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के तहत उक्त अभियन्ताओं को स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह-

जनपद जौनपुर में अवर अभियन्ता के 43 पद तथा सहायक अभियन्ता के 05 पद स्वीकृत हैं।

जनपद में तैनात अवर अभियन्ताओं व सहायक अभियन्ताओं की सेवा अवधि का विवरण संलग्न हैं।*

स्थानान्तरण-सत्र 2010-11 में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य रूप से किसी भी संवर्ग में किसी भी श्रेणी के कार्मिक के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत सई नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु योजना

179-श्री जावेद अंसारी-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जौनपुर के अन्तर्गत सई नदी का पानी प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नदी को प्रदुषण मुक्त कराने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस द्वारा अपराधियों का इन्काउन्टर

180-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2009 से अब तक कितने अपराधियों का विभिन्न मुठभेड़ों में पुलिस द्वारा इन्काउन्टर किया गया है ? क्या सरकार उनके नाम व पते सहित विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पुलिस द्वारा अपराधियों का ''इन्काउन्टर'' नहीं किया जाता वरन अपराधियों के विरुद्ध विधि पूर्ण कार्यवाही की जाती है।

अपराधियों के विरुद्ध विधि पूर्ण कार्यवाही करते समय गिरफ्तारी का अवसर देने के उपरान्त भी कतिपय मामलों में पुलिस बल पर हमले की स्थिति में पुलिस द्वारा आत्म रक्षार्थ कार्यवाही की जाती है, जिसमें पुलिसजन एवं अपराधी के घायल होने अथवा मृत्यु की घटनाएं घटित हुई है।

(*देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ-145-146 पर)

दिनांक 1-1-2009 से दिनांक 15-7-2010 तक पुलिस द्वारा विभिन्न अवसरों पर आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 148 अपराधियों की मृत्यु हुई है जिनके नाम व पते का विवरण मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आधा हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों को बी0पी0एल0 सूची में जोड़ने की मांग

181-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आधा हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषक जिनकी आमदनी 16 हजार से 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम है ? उन्हें सरकार बी0पी0एल0 सूची में जोड़ने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की गणना के मापदण्ड का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क योजना के अन्तर्गत फैजाबाद-बाराबंकी मार्ग का उच्चीकरण व चौड़ीकरण की मांग

182-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क योजना के अन्तर्गत फैजाबाद-बाराबंकी मार्ग भिटरिया चौराहे से गनेशपुर बदोसराय, रामनगर, फतेहपुर, भगौली होकर मुण्डा गोपाल आश्रम, बाराबंकी सीमा तक की सड़क का उच्चीकरण व चौड़ीकरण का काम हो रहा है ? यदि हां, तो लखनऊ और बाराबंकी में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मुण्डा गोपाल आश्रम से महमूदाबाद होकर सिधौली एन0एच0 तक की सड़क का उच्चीकरण व चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। रामनगर से फतेहपुर वाया सुढ़िया मऊ एवं फतेहपुर से भगौली होकर मुण्डा गोपाल आश्रम, बाराबंकी सीमा तक के भाग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराया गया।

फैजाबाद-बाराबंकी मार्ग भिटरिया चौराहे से गणेशपुर बदोसराय, रामनगर तक के भाग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्य निधियों से पूर्ण कराया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0एम0जी0एस0वाई0 की गाईडलाइन्स के अनुसार मार्गों के उच्चीकरण हेतु प्राथमिकता का निर्धारण कोर नेटवर्क में सम्मिलित मार्गों के पी0सी0आई0 के आधार पर किया जाता है। प्रश्नगत मार्ग में सिधौली से महमूदाबाद तक का भाग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, लेपन स्तर तक पूर्ण है एवं उच्च पी0सी0आई0 का है। महमूदाबाद से मुण्डा गोपाल आश्रम (सीमा-जनपद सीतापुर) भाग भी लेपन स्तर तक पूर्ण है एवं कोर नेटवर्क में लिंक रूट के रूप में चिन्हित है। वर्तमान में

भारत निर्माण के अन्तर्गत थ्रू-रूट्स के ही उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है जबकि उक्त मार्ग का एक भाग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड व दूसरा भाग लिंक रूट है। अतः प्रश्नगत मार्ग भारत निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं से आच्छादित नहीं है और इस कारण जिला पंचायत द्वारा उच्चीकरण हेतु चयनित किये गये मार्गों की अनुमोदित प्राथमिकता सूची में सम्मिलित न होने के कारण उच्चीकरण/चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश में पशुओं के मांस/हड्डी/खाल इत्यादि अवयवों के निर्यात किये जाने की नीति

183-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशु वधशालाओं में बधित पशुओं के मांस/हड्डी/खाल इत्यादि अवयवों को दूसरे शहर/प्रदेश/राष्ट्र में निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में शासन की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगमों/स्थानीय निकायों के पशुवधशालाओं को पी0पी0पी0 माडल के आधार पर आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में पशुओं के मांस/हड्डी/खाल इत्यादि अवयवों के निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है।

एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट एथारिटी (एपेडा), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मास निर्यात के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं एवं निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है।

पशु मांस के निर्यात पर रोक

184-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पशु मांस के निर्यात पर रोक लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

मांस के निर्यात के सम्बन्ध में अनुमति एपेडा (एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट एथारटी), भारत सरकार द्वारा की जाती है।

185-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पहले गुरुवार के अता0 प्र0 सं-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

186-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

[पहले बुधवार के अता0 प्र0 सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील-सादाबाद, जनपद-महामायानगर के सादाबाद-पुरा मार्ग के चौड़ीकरण की योजना

187-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-सादाबाद, जनपद-महामायानगर के सादाबाद-पुरा मार्ग को 5.50 मीटर चौड़ाई में निर्मित करने हेतु पी0एम0जी0एस0आई0 खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस द्वारा क्या कोई योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। तहसील सादाबाद, जनपद महामायानगर के सादाबाद-पुरा मार्ग को 3.75 मीटर चौड़ाई में निर्मित करने हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में फेज-8 के अन्तर्गत कार्य योजना तैयार की गयी है, परन्तु उसकी स्वीकृति भारत सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा की तहसील मनकापुर के उप जिला अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में पत्र

188-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की तहसील मनकापुर के उप जिला अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये शिकायती-पत्र पर आप द्वारा दिनांक 15-7-08 को आयुक्त देवी पाटन मण्डल गोण्डा से जांच कराने हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के आधार पर उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेटर नोयडा में अनियंत्रित डम्परों से सड़कों, एक्सप्रेस-वे पर हुयी मृत्यु को रोकने हेतु नीति

189-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोयडा व ग्रेटर नोयडा में अनियंत्रित डम्परों से सड़कों, एक्सप्रेस-वे पर वर्ष 2008 से अब तक कितनी मौतें हुयी हैं ? क्या सरकार द्वारा भारी संख्या में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

कुल 73 मौतें हुईं हैं।

जी हां।

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने तथा सड़क सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि नियमावली, 2008 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें दुर्घटना से जन सामान्य की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की दर में अंकुश

लगाने हेतु सड़क सुरक्षा के उपाय किये गये हैं। यथा नियामक चेतावनी सड़क संकेत के बोर्ड, विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल आदि लगाये जाते हैं।

सड़क पर सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। समय-समय पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रदर्शनी लगाना, यातायात सप्ताह, यातायात माह, यातायात त्रैमास तथा अन्य कार्यक्रम जैसे यातायात सेमिनार, गोष्ठियां, रैली व अन्य तत्सम्बन्धी कार्यक्रम प्रदेश के जनपदों में आयोजित कराया जाता है। स्पीड रडार विद प्रिन्टर द्वारा तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चेकिंग करके कार्यवाही भी की जाती है।

प्रदेश में प्रदूषित भू-गर्भ जल रोकने के उपाय

190-श्री मदन चौहान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूगर्भ जल तेजी से प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो वह किन-किन जनपदों एवं स्थानों पर अधिक प्रदूषित हो रहा है ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश के कुछ स्थानों पर एकत्रित भू-गर्भ जल के नमूनों की विश्लेषण आख्या के अनुसार नमूने पेयजल हेतु निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम' (एन0डब्लू0एम0पी0) के अन्तर्गत प्रदेश के 10 जिलों गोरखपुर, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी एवं इलाहाबाद में 25 नमूना स्थलों पर भू-गर्भ जल गुणता का अनुश्रवण नियमित रूप से वर्ष में 2 बार (अप्रैल तथा अक्टूबर माह में) किया जाता है।

वर्ष 2009 (अप्रैल तथा अक्टूबर) तथा वर्ष 2010 (अप्रैल) के भू-गर्भ जल के अनुश्रवण के आंकड़ों के अनुसार सभी जिलों के भू-गर्भ जल में सल्फेट, पी0एच0 तथा नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

माह अप्रैल तथा अक्टूबर, 2009 एवं माह अप्रैल, 2010 में 5 स्थलों सरदार नगर गोरखपुर, अमीनसन्स उन्नाव, जाजमऊ औद्योगिक क्षेत्र, पनकी औद्योगिक क्षेत्र कानपुर, इफको फूलपुर इलाहाबाद पर क्लोराईड की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पायी गयी है। अप्रैल, 2009 में फ्लोराईड की मात्रा रायबरेली जिले के 2 स्थलों तथा मेरठ जिले के 2 स्थलों पर निर्धारित मानक से अधिक पायी गयी है। इसी प्रकार अप्रैल, 2010 में फ्लोराईड की मात्रा उन्नाव के 4 स्थलों, लखनऊ के 2 स्थलों, रायबरेली के 2 स्थलों, मेरठ के 2 स्थलों एवं इलाहाबाद के 4 स्थलों पर निर्धारित मानक से अधिक पायी गयी है। मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र एवं गाजियाबाद के भू-जल में वर्ष 2009 तथा वर्ष 2010 में क्रोमियम की मात्रा मानक से अधिक पायी गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2009 में लैड की मात्रा पिलखुवा औद्योगिक क्षेत्र में तथा वर्ष 2010 में बागपत शहर में निर्धारित मानक से अधिक पायी गयी है।

कानपुर देहात के कुछ क्षेत्रों जैसे ग्राम खानपुर तथा कानपुर में जूही बाबरिया, पनकी तथा नौरय्या खेड़ा में पूर्व में उद्योगों द्वारा अवैध रूप से फेके गये परिसंकटमय अपशिष्ट के कारण

भू-गर्भ जल में क्रोमियम की मात्रा आई0टी0आर0सी0 के माध्यम से करायी गयी जांच के अनुसार मानकों से अधिक पायी गयी।

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उन्नाव जिले के विभिन्न ग्रामों में भू-गर्भ जल में फलोराईड की मात्रा का अनुश्रवण किया गया है। अनुश्रवण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 3 ग्रामों के भू-गर्भ जल में फलोराईड की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पायी गयी है। इसी प्रकार बलिया जिले के तहसील सदर एवं बैरिया के विभिन्न गांवों में भू-गर्भ जल में आर्सेनिक की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पायी गयी है।

जल अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों में उपयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित करायी जाती है, जिससे इन इकाइयों द्वारा सरिता, भूमि पर निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। औद्योगिक इकाइयों से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सीधे भू-गर्भ जल में किया जाना अनुमन्य नहीं है।

औद्योगिक इकाइयों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण नियमानुसार टी0एस0डी0 (संयुक्त अपशिष्ट निस्तारण सुविधा) के माध्यम से कराया जाता है।

जिन क्षेत्रों में भू-गर्भ गुणता औद्योगिक गतिवधियों के कारण प्रभावित होती है, उन क्षेत्रों में चिन्हित दोषी उद्योग के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

जिन स्थलों पर नैसर्गिक कारणों से भूजल गुणता प्रभावित पायी जाती है, उन स्थलों पर जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाती है। जिन क्षेत्रों में भू-गर्भ जल गुणता औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रभावित होती है उन क्षेत्रों में चिन्हित दोषी उद्योगों के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही के साथ-साथ दोषी इकाइयों के अंशदान से जिला प्रशासन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाती है।

191-डा0 अनिल चौधरी-

[पहले बुधवार के अता0प्र0सं0-128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों हेतु ग्रीन कार्ड की व्यवस्था को पुनः बहाल करने की मांग

192-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों हेतु परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पुनः बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ग्रीन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में शासन का कोई आदेश नहीं है।

प्रदेश में ग्रीन कार्ड बनाये जाने का प्राविधान मोटर वाहन अधिनियम/किसी शासनादेश अथवा विभागीय आदेश/निर्देश में नहीं है। जनपदों के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों द्वारा ग्रीन कार्ड बनाये जाने अथवा न बनाये जाने का निर्णय अपने स्तर से लेकर स्थानीय स्तर पर कार्यवाही कराई जाती रही। ग्रीन कार्डों के दुरुपयोग की शिकायतों के कारण अधिकतर जनपदों द्वारा ग्रीन कार्ड बनाये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ग्रीन कार्ड बनाये जाने का प्राविधान मोटर वाहन अधिनियम/किसी शासनादेश अथवा विभागीय आदेश/निर्देश में नहीं है।

पारेल जी शुगर मिल पिपरसेंडी, जनपद बहराइच से उत्प्रवाह का निस्तारण

193-श्री प्रदीप माथुर-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारले जी शुगर मिल, पिपरसेंडी, जनपद बहराइच पर्यावरण के सम्पूर्ण मानक पूर्ण करती है ? क्या यह सत्य है कि मिल के बगल से बहने वाली वोटी नदी में मिल का उत्सर्जन बिना शोधित किये हुये डाले जाने से मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं तथा पानी जानवरों के पीने के लिये उपयुक्त नहीं रह गया है ? यदि हां, तो मिल के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं।

उद्योग के निकट झिंगरी नाला स्थित है परन्तु इस नाले में वर्तमान में उद्योग से कोई उत्प्रवाह निस्तारित नहीं हो रहा है। उद्योग ऑफ सीजन के कारण बन्द है। उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण की पूर्ण व्यवस्था स्थापित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि वह उत्प्रवाह का निस्तारण किसी नाले/नदी में न करे जिसका अनुपालन उद्योग द्वारा किया जा रहा है। अतः उद्योग के कारण मच्छर आदि के पनपने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। वर्तमान में उक्त नाले में बरसाती पानी भरा पाया गया जिसे जानवरों को पीने से कोई हानि नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

194-डा0 अनिल चौधरी-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना बनाने की नीति

195-श्री मदन चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना बनाने सम्बन्धी क्या नीति निर्धारित की गयी है ? क्या सभी गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदेश के समस्त बी0पी0एल0 परिवारों को दिये जाने की नीति है, जिसमें प्रत्येक बी0पी0एल0 परिवार के 05 सदस्य आच्छादित होंगे। प्रति लाभार्थी परिवार रु0 30/-पंजीकरण शुल्क देकर एक वर्ष के लिए स्मार्ट कार्ड प्राप्त कर योजनान्तर्गत सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पताल में 30,000/-तक का निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2002 की बी0पी0एल0 सूची के अनुसार केवल बी0पी0एल0 परिवार ही लाभान्वित होंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर में स्थापित अजवापुर शुगर मिल से प्रदूषण उत्सर्जन पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

196-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जनपद-लखीमपुर में स्थापित अजवापुर शुगर मिल लि0 का गन्दा पानी रिहायशी इलाके में बहता हुआ गोमती नदी में जाने के कारण गोमती नदी का जल प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रदूषण को रोकने हेतु शुगर मिल के प्रदूषण उत्सर्जन पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम अजवापुर में मे0 डी0एस0सी0एल0 शुगर की चीनी इकाई स्थापित है। इकाई की गन्ना पिराई क्षमता 11000 टन/दिन है। उद्योग का ऑफ सीजन होने के कारण उद्योग में गन्ना पिराई दिनांक 22-03-2010 से बन्द कर दी गई है एवं उद्योग वर्तमान में संचालित नहीं है।

उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया एवं प्लांट की वाशिंग आदि से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। उद्योग को राज्य बोर्ड से वर्ष 2010 हेतु जल सहमति प्राप्त है।

जनपद बांदा में निजामत पुरवा मजरा बिलगांव में सम्पर्क मार्ग निर्माण सम्बन्धी पत्र

197-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में निजामत पुरवा मजरा-बिलगांव में सम्पर्क मार्ग निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 04-01-10 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की पी0एम0जी0एस0वाई0 (विश्व बैंक) फेज-8 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। अभी भारत सरकार से प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री अशोक कुमार सिंह, प्रकाश नारायण अवस्थी, मोहम्मद हसन, अजीत सिंह सेठी, छोटे लाल, रामनाथ, शारदा नन्द अंचल, केशरी प्रसाद, श्रीराम द्विवेदी, दूधनाथ, मिठाई लाल शास्त्री, हुकुम सिंह, मुहम्मद अबरार अहमद, कपिल देव यादव, दुर्ग विजय सिंह, राधेश्याम शर्मा, राम सागर, अशोक कुमार तथा श्री लाल प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह का 23 फरवरी, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे।

श्री अशोक कुमार सिंह का जन्म 12 जनवरी, 1955 को रायबरेली में हुआ था। उन्होनें स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री अशोक कुमार सिंह वर्ष 1989 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली, जिला रायबरेली से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे ग्यारहवीं एवं बारहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री अशोक कुमार सिंह वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 में राजनीतिक आन्दोलन के दौरान रायबरेली कारागार तथा तिहाड़ जेल, दिल्ली में बन्दी रहे थे। वे जिला राष्ट्रीय छात्र संगठन (इ0) तथा युवक कांग्रेस (इ0), जिला रायबरेली के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस (इ0) के महामंत्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे थे। वे अमावां, रायबरेली के ब्लाक प्रमुख तथा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे थे। राजनीति, निर्बल एवं दुर्बल वर्गों का उत्थान एवं समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री अशोक कुमार सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रकाश नरायन अवस्थी का 24 फरवरी, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे।

श्री प्रकाश नरायन अवस्थी का जन्म 28 जुलाई, 1943 को ग्राम कापिल कलां, जिला फतेहपुर में हुआ था। उन्होंनें हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री प्रकाश नरायन अवस्थी वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद, जिला फतेहपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री प्रकाश नरायन अवस्थी श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिये जेल भरो आन्दोलन में वर्ष 1978 में फतेहपुर जिला कारागार में बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1974 से 1980 तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिघरूवा के प्रबन्धक तथा वर्ष 1980 से 1984 तक अपराध निरोधक समिति, फतेहपुर की कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। वे ग्राम पंचायत, कापिल के निर्विरोध सभापति, श्री नारायण पाण्डेय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौबेपुर के कार्यकारिणी सदस्य, श्री प्रयाग नारायण शिवाला, कानपुर के ट्रस्टी, भूमि विकास बैंक, फतेहपुर के उपाध्यक्ष, सहकारी किसान सेवा समिति, जहानाबाद के प्रशासक तथा जिला कांग्रेस कमेटी (आई0) फतेहपुर के महामंत्री रहे थे। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों, लोक-कला तथा पत्रकारिता में उनको विशेष रुचि थी।

श्री प्रकाश नरायन अवस्थी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहम्मद हसन का 9 मार्च, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे।

श्री मोहम्मद हसन का जन्म जनवरी, 1936 को ग्राम घाना खण्डी (हिराहेड़ी), जिला सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री मोहम्मद हसन वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र सरसावां, जिला सहारनपुर से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री मोहम्मद हसन वर्ष 1978 में जिला कारागार, सहारनपुर तथा तिहाड़ जेल, दिल्ली में कुल पन्द्रह दिन धारा 188 के अन्तर्गत बन्दी रहे थे। वे आसाम फ्लड रिलीफ फण्ड कमेटी, इस्लामियां गर्ल्स कालेज, सहारनपुर की प्रबन्धक समिति तथा नार्दन रेलवे यूसर कमेटी के सदस्य रहे थे। वे श्री फखरुद्दीन अली मेमोरियल कमेटी, उत्तर प्रदेश के चेयरमैन तथा जामा मस्जिद, सहारनपुर की प्रबन्ध समिति के सचिव रहे थे। राजनीति, साहित्य तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री मोहम्मद हसन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अजीत सिंह सेठी का 25 मार्च, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे।

श्री अजीत सिंह सेठी का जन्म 1 जुलाई, 1922 को निराली, जिला रावलपिण्डी (पाकिस्तान) में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री अजीत सिंह सेठी वर्ष 1974 तथा 1977 में निर्वाचन क्षेत्र मेरठ कैन्ट, जिला मेरठ से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1980 तथा 1985 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री अजीत सिंह सेठी ने वर्ष 1948 से विभिन्न सहकारी आन्दोलनों में भाग लिया था। वे वर्ष 1977 में धारा 144 तोड़ने पर मेरठ जिला जेल में 18 दिनों तक बन्दी रहे थे। वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमण्डल तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे मेरठ छावनी की उपभोक्ता समिति, केन्द्रीय उपभोक्ता समिति, मेरठ तथा उत्तर प्रदेश की आल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस शाखा के अध्यक्ष रहे थे। वे खालसा गर्ल्स स्कूल, मेरठ के सचिव रहे थे। श्री सेठी वर्ष 1984 में विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सभापति भी रहे थे। भजन और संगीत उन्हें पसंद था। सहकारिता, शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री अजीत सिंह सेठी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छोटे लाल का 17 अप्रैल, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे।

श्री छोटे लाल का जन्म 30 अगस्त, 1942 के हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री छोटे लाल वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र खागा, जिला फतेहपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री छोटे लाल वर्ष 1977 से 1979 तक श्री राम नरेश यादव मंत्रि-मण्डल में उप मन्त्री एवं राज्य मंत्री रहे थे। उनकी कृषि, शिक्षा तथा उद्योग सम्बन्धी कार्यो में विशेष रुचि थी। खेलकूद उन्हें पसन्द था।

श्री छोटे लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम नाथ का 20 अप्रैल, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष के थे।

श्री राम नाथ का जन्म 15 अगस्त, 1944 को ग्राम रैयापुर, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री राम नाथ वर्ष 1996 तथा 2002 में निर्वाचन क्षेत्र बिहार (अ0जा0), जिला प्रतापगढ़ से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री राम नाथ वर्ष 1987 से 1995 की अवधि में ग्राम प्रधान रहे थे। वे पूर्व सैनिक भी थे। जनसेवा एवं कृषि कार्यो में उनकी विशेष रुचि थी तथा कसरत करना और कबड्डी खेलना उन्हें प्रिय था।

श्री राम नाथ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शारदानन्द अंचल का 2 मई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 63 वर्ष के थे।

श्री शारदा नन्द अंचल का जन्म 19 जुलाई, 1947 को ग्राम पशुहारी, जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने स्नातक एवं विशारद की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री शारदा नन्द अंचल निर्वाचन क्षेत्र सीयर, जिला बलिया से वर्ष 1985 में लोक दल, वर्ष 1989 में जनता दल तथा वर्ष 1993 एवं 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री शारदा नन्द अंचल आपातकाल, छात्र और जन आन्दोलनों के दौरान अनेक बार जिला कारागार, बलिया और झंझनी जेल (राजस्थान) में बन्दी रहे थे। वे यूनाइटेड क्लब और शिवाजी क्लब, बिलथरा रोड, बलिया के संरक्षक, लोहिया अध्ययन संस्थान, बिल्थरा रोड और साहित्यकार लोक मंच, बलिया के अध्यक्ष, क्रान्तिकारी स्मारक समिति, बलिया और भोजपुरी साहित्यिक समाज, बिलथरा रोड के महामंत्री, भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद् उ0 प्र0, लखनऊ के मंत्री, गांधी विद्यापीठ पशुहारी, बलिया और शिव शंकर विद्यापीठ, तेलमा के संस्थापक सदस्य और पिछड़ा वर्ग संघ, उत्तर प्रदेश के सदस्य थे। वे वर्ष 1990-91, 1993-95 तथा वर्ष 2003-2007 में श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। कृषि, समाज सेवा, पत्रकारिता और साहित्य सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री शारदा नन्द अंचल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री केशरी प्रसाद का 22 मई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 94 वर्ष के थे।

श्री केशरी प्रसाद का जन्म 1 जुलाई, 1916 को गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने एम0 ए0 एवं एल0 एल0 बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री केशरी प्रसाद निर्वाचन क्षेत्र मछलीशहर, जिला जौनपुर से वर्ष 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा वर्ष 1980 एवं 1985 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री केशरी प्रसाद ने छात्र जीवन में वर्ष 1930 में तथा वर्ष 1942-45 में स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था। विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप वे वर्ष 1957, 1977 तथा 1978 में राजनीतिक बन्दी रहे थे। वे विधान सभा की आश्वासन समिति तथा प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति भी रह चुके थे। उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के संगठनों के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे साम्प्रदायिकता विरोधी समिति, राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ, इण्डो सोवियत सोसायटी, आचार्य नरेन्द्र देव अध्ययन मंडल, भटहट योजना, गोरखपुर, सहकारिता आन्दोलन, सर्वोदय इण्टर कालेज, हिन्दू इण्टर कालेज आदि में अध्यक्ष अथवा संयोजक के रूप में कार्य करते रहे थे। इतिहास, साहित्य का अध्ययन, राजनीतिक, सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री केशरी प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्रीराम द्विवेदी का 7 जून, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 64 वर्ष के थे।

श्री श्रीराम द्विवेदी का जन्म 15 जनवरी, 1946 को हुआ था। उन्होंने बी0 ए0 एवं एल-एल0 बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री श्रीराम द्विवेदी वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बीकापुर, जिला फैजाबाद से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री श्रीराम द्विवेदी ने छात्र जीवन से ही राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया था। राजनैतिक आन्दोलनों के सम्बन्ध में वे अनेक बार जेल जा चुके थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा शिक्षा के कार्यों में वे विशेष दिलचस्पी रखते थे।

श्री श्रीराम द्विवेदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दूध नाथ का 9 जून, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे।

श्री दूधनाथ का जन्म 5 सितम्बर, 1945 को मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री दूध नाथ वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र मड़ियाहूं, जिला जौनपुर से लोक दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री दूध नाथ को वर्ष 1984 में लोक दल द्वारा संचालित जेल भरो आन्दोलन में धारा-144 का उल्लंघन करने के कारण जिलाधिकारी, जौनपुर की अदालत में न्यायालय उठने तक की सजा हुई थी। समाज सेवा एवं खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री दूध नाथ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मिठाई लाल शास्त्री का 13 जून, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे।

श्री मिठाई लाल शास्त्री का जन्म 1 जुलाई, 1941 को ग्राम सिसई, जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने उत्तर मध्यमा एवं शास्त्री की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री मिठाई लाल शास्त्री वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव (अ0जा0), जिला गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री मिठाई लाल शास्त्री वर्ष 1984 में राजनीतिक आन्दोलन में पांच दिनों तक जिला कारागार, गोरखपुर में बन्दी रहे थे। जन सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा कुश्ती उनका प्रिय शौक था।

श्री मिठाई लाल शास्त्री के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हुकुम सिंह का 21 जून, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे।

श्री हुकुम सिंह का जन्म 12 मार्च, 1929 को ग्राम नगला परमाल, जिला आगरा में हुआ था। उन्होंने एम0 ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री हुकुम सिंह वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र आगरा पश्चिम, जिला आगरा से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री हुकुम सिंह जिला माध्यमिक व हायर सेकेन्डरी स्कूल, आगरा के जनरल सेक्रेटरी रहे थे। वे इतिहास के प्रवक्ता थे। वे एन0 सी0 सी0 के आफिसर तथा मण्डल कांग्रेस कमेटी के सभापति व मंत्री भी रहे थे।

श्री हुकुम सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहम्मद अबरार अहमद का 3 जुलाई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष के थे।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद का जन्म 3 मार्च, 1944 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0 (प्रथम वर्ष) एवं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र बिनावर, जिला बदायूं से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद वर्ष 1978 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में 15 दिन तक जिला जेल बदायूं में बन्दी रहे तथा उन्होंने एक सौ रुपया जुर्माना भी दिया था। वे आल इण्डिया मुस्लिम एजूकेशनल कांफ्रेस, मुस्लिम यूनीवर्सिटी ओल्ड ब्वायज एसोसियेशन तथा भारत कृषक समाज, लखनऊ व दिल्ली के आजीवन सदस्य रहे थे। वे अलीगढ़ यूनीवर्सिटी कोर्ट के सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी (आई0) अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राष्ट्र एकता निर्माण समिति, लखनऊ के सेक्रेटरी जनरल, सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य एवं रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, सीनेट के सदस्य भी रहे थे। व्यवसाय, राजनीति, फोटोग्राफी, बागवानी, टेबिल-टेनिस तथा पठन-पाठन में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कपिल देव यादव का 4 जुलाई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष के थे।

श्री कपिलदेव यादव का जन्म 20 अप्रैल, 1944 को ग्राम इन्दारा, जिला मऊ में हुआ था। उन्होंने एम0 ए0 एवं बी0 एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री कपिलदेव यादव वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र नत्थूपुर, जिला मऊ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री कपिल देव यादव वर्ष 1970 से 1995 तक इन्दारा ग्राम सभा के प्रधान रहे थे। वे मुहम्मद अली इण्टर कालेज, करीमाबाद, इन्दारा के प्रधानाचार्य एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, इन्दारा, जिला मऊ के प्रबन्धक रहे थे। फुटबाल एवं वालीबाल खेलना उन्हें प्रिय था।

श्री कपिल देव यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दुर्ग विजय सिंह का 6 जुलाई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे।

श्री दुर्ग विजय सिंह वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र अतरौलिया, जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री दुर्ग विजय सिंह अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी।

श्री दुर्ग विजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राधेश्याम शर्मा का 8 जुलाई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे।

श्री राधेश्याम शर्मा का जन्म 1 जनवरी, 1933 को जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री राधेश्याम शर्मा वर्ष 1962 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर एवं वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र मांट, जिला मथुरा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री राधेश्याम शर्मा सामाजिक एवं शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। वे वर्ष 1978 से 1979 तक विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सभापति रहे थे। कला, विज्ञान तथा लोक गीतों में उनकी रुचि थी।

श्री राधेश्याम शर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामसागर का 12 जुलाई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे।

श्री रामसागर का जन्म वर्ष 1938 में हुआ था। उन्होंने बी0 ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री रामसागर वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र केराकत (अ0जा0), जिला जौनपुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे छठी एवं नौवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री रामसागर जौनपुर जनसंघ के जिला संगठन मंत्री तथा जनसंघ विधान मण्डल दल के महामंत्री रहे थे। वे वर्ष 1970-71 में श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रिमण्डल में मंत्री भी रहे थे। वालीबाल तथा फुटबाल में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री रामसागर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अशोक कुमार का 23 जुलाई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 45 वर्ष के थे।

श्री अशोक कुमार का जन्म 20 जनवरी, 1965 को हमीरपुर में हुआ था। उन्होंने बी0 ए0 एवं एल-एल0 बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री अशोक कुमार वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र मलिहाबाद (अ0जा0), जिला लखनऊ से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य, निर्वाचित हुये थे।

श्री अशोक कुमार पासी महासभा के संयुक्त मंत्री तथा पासी जागृति मण्डल के संगठन मंत्री रहे थे। अध्ययन एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। पर्यटन, मनोविनोद एवं साथियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान उन्हें प्रिय था।

श्री अशोक कुमार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लाल प्रताप सिंह का 30 जुलाई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री लाल प्रताप सिंह का जन्म 25 अप्रैल, 1929 को जिला प्रतापगढ़ में हुआ था।

श्री लाल प्रताप सिंह वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री लाल प्रताप सिंह को धारा-144 के उल्लंघन के फलस्वरूप 15 दिन का कारावास सहन करना पड़ा था। छुआछूत तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिये वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे। पठन-पाठन में उनकी विशेष अभिरुचि थी।

श्री लाल प्रताप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

कृपया सभी माननीय सदस्य दो मिनट मौन के लिये खड़े हो जायें।

(सभी सदस्यों द्वारा दो मिनट का मौन रखा गया)

मा0 सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

इन सभी मा0 सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा शोकसंतप्त परिवारों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन की भावनाओं एवं संवेदनाओं को शोकसंतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति श्री भैरो सिंह शेखावत, नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा प्रसिद्ध समाजसेवी श्री नानाजी देशमुख के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति श्री भैरो सिंह शेखावत का 15 मई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे।

श्री भैरो सिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर, 1923 को ग्राम खाचरिवास, जिला सीकर (राजस्थान) में हुआ था। वह स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद पुलिस में भर्ती हो गये, परन्तु लोक सेवा की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने वर्ष 1948 में यह नौकरी छोड़ दी और सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी शुरू कर दी। श्री भैरो सिंह शेखावत वर्ष 1952 से 1972 तक तथा वर्ष 1977 से 2002 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे थे। वे 22 जून, 1977 से 16 फरवरी, 1980 में पहली बार 4 मार्च, 1990 से 15 दिसम्बर, 1992 तक दूसरी बार तथा 4 दिसम्बर, 1993 से 29 नवम्बर, 1998 तक तीसरी बार राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे। श्री शेखावत ने मुख्य मंत्री के रूप में राज्य के चतुर्वेदिक विकास को नये आयाम प्रदान किये । इस दौरान उन्होंने 'अन्त्योदय' और काम के बदले अनाज जैसी विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन किया। इन योजनाओं की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। वे 15 जुलाई, 1980 से 30 दिसम्बर, 1989 तथा 8 जनवरी, 1999 से 18 अगस्त, 2002 तक राजस्थान विधान सभा में नेता, विरोधी दल रहे थे। वे वर्ष 1974 से 1977 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री शेखावत 19 अगस्त, 2002 को भारत के 11वें उप राष्ट्रपति निर्वाचित हुये एवं राज्य सभा के पदेन सभापति हुए तथा 21 जुलाई, 2007 तक इन पदों पर रहे। श्री शेखावत एक कुशल नेता, प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे।

श्री भैरो सिंह शेखावत के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का 20 मार्च, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे।

श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का जन्म बिहार के सहरसा जिले में 20 फरवरी, 1925 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज से डिग्री ग्रहण की थी।

श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया था और इस दौरान वे जेल भी गये थे। उन्होंने वर्ष 1947-48 में अपने नेपाल के विराटनगर में जूट मिल के मजदूरों के हक के लिये जोरदार अभियान चलाकर अपने राजनैतिक सफर की शुरूआत की थी। उन्होंने वर्ष 1948 में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। वे वर्ष 1952 में नेपाली कांग्रेस के मोरांग जिला शाखा के अध्यक्ष बने थे। छः दशक के कैरियर में श्री कोइराला 26 मई, 1991 से 30 नवम्बर, 1994 तक, 15 अप्रैल, 1998 से 31 मई, 1999 तक, 22 मार्च, 2000 से 26 जुलाई, 2001 तक तथा 25 अप्रैल, 2006 से 18 अगस्त, 2008 तक चार बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। वे 15 जनवरी, 2007 से 23 जुलाई, 2008 तक नेपाल के कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत और नेपाल के बीच कई राजनीतिक एवं आर्थिक संधियों में प्रमुख भूमिका निभाई। श्री कोइराला ने जीवनपर्यन्त भारत के साथ मित्रवत् रिश्ते बनाये रखने की कोशिश की। नेपाल को माओवादी संघर्ष से निजात दिलाने और उन्हे राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें नेपाल का गांधी भी कहा जाता था।

श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के निधन से भारत ने दक्षिण एशिया के अपने एक मित्र एवं एक कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया।

प्रख्यात समाजसेवी एवं पूर्व सांसद श्री नानाजी देशमुख का 27 फरवरी, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 94 वर्ष के थे।

श्री नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर, 1916 को कडोली, जिला परभनी (महाराष्ट्र) में हुआ था।

श्री नानाजी देशमुख ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता देकर, चुनावी राजनीति से अलग रहकर समाज सुधार और रचनात्मक कार्यों द्वारा ग्रामीणों को स्वावलम्बी और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना संजोया था। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उन्होंने वर्ष 1978 में गोण्डा जिला के इटियाथोक थाना क्षेत्र में 50 एकड़ क्षेत्रफल में एक लघु भारत की कल्पना करते हुए जयप्रभा गांव की स्थापना की थी। वे छठी लोक सभा के सदस्य एवं राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री नानाजी देशमुख वर्ष 1928 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बद्ध थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। देश में सरस्वती शिशु मन्दिरों की स्थापना का श्रेय भी उन्हें जाता है। उन्होंने वर्ष 1969 में दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा वर्ष 1991 में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। श्री नानाजी देशमुख को पदम् विभूषण से सम्मानित किया गया था।

श्री नानाजी देशमुख के निधन से देश ने एक महान चिंतक, समाज सुधारक एवं प्रतिबद्ध समाजसेवी खो दिया।

इन महानुभावों के निधन से यह पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक-संवेदनाओं को मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्यों द्वारा सदन में 2 मिनट का मौन धारण किया गया)

कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हुकुम सिंह की पत्नी की नृशंस हत्या पर पीठ से शोक-संवेदना व्यक्त किये जाने का आग्रह

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप अपने ढंग से दुःख व्यक्त कर दें। मान्यवर, श्री हुकुम सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनकी धर्मपत्नी की नृशंस हत्या के संदर्भ में, मैं प्रस्ताव लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर अगर आप सदन की भावनाओं को समझते हुए आप दो-एक शब्द बोल देंगे वहां से तो यह उचित होगा। यह एक उचित परम्परा होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह व्यवस्था से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब बैठ जाएं, दूसरा विषय है, पहले दलीय नेता कुछ कहना चाहते हैं। बैठ जाएं आप सबकी बात सुनी जाती है। बैठ जाएं महाना साहब, आप भी बैठ जाएं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हम लोगों को समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाएं, समय देते हैं। अगर समय को आप लोग बचा देते हैं तो समय देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 के अन्तर्गत हमने एक सूचना दी है।

श्री सतीश महाना-

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी व्यवस्था कहां से आ गयी है मान्यवर, अभी तो शोक-संदेश पढ़ा है। इस बीच में व्यवस्था कहां से आ गई ? अभी तो कोई कार्यवाही भी नहीं चली कि व्यवस्था-दुर्व्यवस्था आ गयी। अभी तो मैंने केवल शोक-संदेश पढ़ा है, आपने मौन धारण किया है, इसमें कहां दुर्व्यवस्था आ गयी। आप बैठ जाइये, बाद में व्यवस्था उठा लीजिएगा। बैठ जाइए चौधरी साहब आप भी बैठ जाइये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 के अन्तर्गत कानून व्यवस्था की एक सूचना मान्यवर हमने दी है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी का जवाब तो आने दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी से आपने कह दिया है वह कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं उनके दुख संवेदना से अपने को भी जोड़ता हूं।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

*श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी नियम-311 के अन्तर्गत प्रदेश की कानून व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना हमने दी है और इस सूचना के सम्बन्ध में मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपना निवेदन करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आग्रह आप करें, क्यों नहीं सुनेंगे। आग्रह हम सुनेंगे। आपने जो सूचना दी है, मैं ग्राह्यता पर अभी सभी दलीय नेताओं को जो भी समय आप लोग दे देंगे, नेता प्रतिपक्ष जी को छोड़ करके कुछ समय निर्धारित कर लें, सभी दल के नेता ग्राह्यता पर बोल लें।

*संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आपने नियम-311 में तो ग्राह्यता पर सुनने के लिए स्वीकार किया नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उसको परिवर्तित किया है, नियम-56 में।

श्री लालजी वर्मा-

आपने उसको नियम-56 में परिवर्तित किया है तो हमारी यह इच्छा है कि जब नियम-56 की बारी आये, तब आप ग्राह्यता पर सुन लें। हम तब सबकी बात सुन लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सच है कि इस सरकार की सहिष्णुता इस मामले में शून्य इस कारण से है कि जो स्थिति है इस सरकार की उसे यह सरकार सुन नहीं सकती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह स्वयं कुछ सुनना नहीं चाहते हैं और मान्यवर, ये बार-बार एक ही बात को उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे नियम-56 में परिवर्तित कर ग्राह्यता पर सुन लूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

100 नहीं 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने तो अभी तक कोई बात भी नहीं कही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में ये लोग क्या बात करेंगे, जो कानून व्यवस्था को हमेशा रोकने का काम करते हैं, जिसका कानून के राज से कोई मतलब नहीं है। जो बार-बार कानून का उल्लंघन करता है, अपराधियों का संरक्षण करता है तथा जिसकी पार्टी गुण्डों की फौज से भरी हुई है, वह कानून व्यवस्था की बात करेगा, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(समाजवादी पार्टी व प्रतिपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े हो गये और नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया आसन ग्रहण करिये। उदयराज जी, बैठ जाइये। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप नियम-56 में ग्राह्यता पर अपनी बात कहिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन और इस सदन के माध्यम से पूरा प्रदेश यह देख रहा है कि आपके निर्देशों के बाद भी संसदीय कार्य मंत्री जी, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है श्रीमन् उस पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं।...

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं सदन में एक नई परम्परा देख रहा हूं, आपकी अनुमति से मा0 नेता प्रतिपक्ष जी बोलने के लिए खड़े हुये थे उनको अम्बिका चौधरी जी ने डांट कर बिठा दिया। ऐसा हमने कभी न देखा न सुना है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 लोक निर्माण मंत्री जी, कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य, कुछ बात कहना चाहते हैं हमने कह दिया है कि ग्राह्यता पर नियम-56 में सुनूंगा और उसमें नेता प्रतिपक्ष जी या अम्बिका चौधरी जी जो भी शुरू करें, उसके बाद अन्य दलों के नेता बोल लेंगे।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर शोर/व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था के सवाल पर यह सरकार चर्चा के लिए तैयार है या नहीं ? आप बताइये और चर्चा कराइये, हम तो चर्चा के लिए आये हुये हैं। बता दीजिए चर्चा होगी या नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा है कि आपने नियम-311 में सूचना दी है, उसको मैंने नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है ...

(समाजवादी पार्टी व प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर शोर/व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हर तरह के अपराधों में कमी आयी है और पूरे देश में 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो' के अनुसार अपराध दर में उत्तर प्रदेश 34वें स्थान पर है, केवल एक प्रदेश हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है यानि 33 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें अपराध हमसे ज्यादा है, हम 34वें स्थान पर है। मान्यवर, कुल 35 प्रदेश हैं, हम 34वें स्थान पर हैं, इतना कम

अपराध हैं, अपराध दर के आधार पर। केवल यह हमारी सूचना नहीं है, भारत सरकार की अधिकृत एजेन्सी है 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो', जिसके आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश 34वें स्थान पर है।

(इसी बीच समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के श्री सतीश महाना और उदयराज आदि सदस्य पेपर कटिंग लेकर नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गए और नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग अपने-अपने आसन पर चलिये।

(वेल में आये हुये सदस्यों के अपने-अपने आसन पर न जाने व नारे लगाते रहने पर)

मैं सदन को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 52 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 22 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 40 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 1 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 बजे मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होते ही विपक्षी सदस्य प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर खड़े हो गये और अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के श्री सतीश महाना वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय महाना साहब, सुन लें, आपकी बात मैं अवश्य सुन लेता, यदि नहीं सुनता तब आप यहां आते। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप ऐसा आचरण करेंगे तो क्या मैसेज जायेगा ?

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, हम सबेरे से अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह उचित प्रक्रिया नहीं है, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, हम आपकी बात सुन लेंगे, आप अपने स्थान पर चलें। अगर मैं सुनने में कहीं कोई कमी करता, तब आप कह सकते थे। नेता प्रतिपक्ष जी बोलने के लिए खड़े हैं।

(श्री सतीश महाना अपने स्थान पर चले गये)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अध्यक्ष जी, एक ही प्रश्न है, आप चर्चा करा दें। यदि कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है तो यह सरकार जवाब देने से क्यों भाग रही है ?

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार बचना चाह रही है और सबेरे से सदन का इतना समय बर्बाद किया है। मैं चाहता हूं, पूरा विपक्ष चाहता है कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो और आप चर्चा स्वीकार कर लें तो हम शुरू करें और इतने महत्वूपर्ण सवाल पर यह सरकार बचना चाह रही है, चर्चा नहीं कराना चाह रही है और सदन का इतना महत्वपूर्ण समय बर्बाद करना चाह रही है तो फिर ऐसे सत्र से फायदा भी क्या है ? इसलिए इस पर चर्चा आप स्वीकार करें और अगर चर्चा स्वीकार करते हैं तो मैं शुरू करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, हम कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के हालात आजादी के बाद सबसे ज्यादा खराब हैं, जंगलराज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था मान्यवर, बहुत खराब है।

श्री कौकब हमीद खां-

अध्यक्ष जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह सरकार चर्चा में भाग नहीं लेना चाहती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओम प्रकाश सिंह जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियम परम्पराओं का पालन करेंगे तो लोग आपसे सीखेंगे। हमारे सामने जब नियम-56 या नियम-311 में कोई प्रस्ताव आता है तो अगर नियम से चलेंगे तो प्रस्ताव को सुना जाता है अगर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो उस पर चर्चा होती है। आपने नियम-311 में सूचना दी मैंने कहा कि नियम-56 में ग्राह्यता पर सुन लूंगा। जो अब तक आप लोग करते रहे हैं। कई बार हमारे सामने दृष्टान्त आये कि नियम-311 में आप लोगों ने सूचना दिया और सहर्ष स्वीकार किया कि आप नियम-56 में परिवर्तित करके पहले ग्राह्यता पर सुन लें। जो निर्णय देंगे वह निर्णय माने या न मानें, वह सब आपके विवेक पर है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

चर्चा नहीं हो रही है, खन्ना साहब, ओम प्रकाश सिंह जी पहले कोई सोल्यूशन निकाल लें। आप अपना बोलिएगा लेकिन जैसे कि हमने कहा कि कोई सूचना अगर हमारे पास आती है, अगर नियम-परम्पराओं पर चलेंगे तो एक प्रस्ताव आता है प्रस्ताव को सुना जाता है उसके बाद प्रस्ताव के आधार पर चर्चा या जो भी स्वीकार करते हैं। हमने परम्पराओं से तो यही सीखा है कि नियम-311 में सूचनाएं दी गयी उसको इस पीठ से नियम-56 में परिवर्तित किया गया। परिवर्तित करने के बाद ग्राह्यता पर पूरे विपक्ष ने अपना तर्क रखा कि इस आधार पर यह हमारी नोटिस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राह्य होती है आप इस पर चर्चा स्वीकार करें। आप सीधे कह रहे हैं कि आप चर्चा स्वीकार करें। आप पहले ग्राह्यता पर लायें, सरकार भी अपना पक्ष रखे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। मान्यवर, यह लोग चर्चा से घबरा रहे हैं। पूरी तरह से कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है और मान्यवर, नियमावली देख लें। नियमावली में है कि प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्भर रहेगा। एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। जहां तक प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की बात है, मान्यवर, मेरे पास नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। पूरे देश में केन्द्र शासित प्रदेश मिलाकर 35 प्रदेश हैं और उन 35 प्रदेशों में अपराध दर के आधार पर हम 34वें स्थान पर हैं। मान्यवर, प्रदेश में कानून-व्यवस्था एकदम सुदृढ़ है। मान्यवर, जहां तक घटनाओं का जिक्र यह कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे)

(नारे व शोर-शराबे के मध्य)

मान्यवर, प्रदेश में सभी पार्टियों की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है। इनके समय में एम0एल0ए0 और सांसदों को मिलाकर 9 हत्यायें हुयी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज सबसे ज्यादा उछल रही है, इनके शासनकाल में थाने के अन्दर एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति की हत्या हुयी है। मान्यवर, हमारी सरकार की जो मुखिया है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम किया है। इतना ही नहीं उन्होंने अपराधी को जाति के आधार पर या राजनीतिक संरक्षण के आधार पर या पार्टी के आधार पर बख्शने का काम नहीं किया है। अपराधी को अपराधी समझने का काम किया है और किसी भी अपराधी को बख्शने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, इसका परिणाम है कि आज प्रदेश में कानून का राज है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें। कृपया बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठ जायें। सदन जब अव्यवस्थित है तो जो भी जहां मौका पायेगा वहां बोलेगा। माननीय चौधरी साहब, जब सदन अव्यवस्थित है तो जो भी जहां मौका पायेगा, सब लोग बोलेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोलेंगे, आप बोलेंगे, सभी माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक गम्भीर स्थिति है, जैसे पिछली बार आप पीठासीन हुए और आपने मुझे अनुमति दी तो माननीय मंत्री जी ने इतने गम्भीर, इतने ओछे, घटिया और अशोभनीय आक्षेप लगाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

ये बात बीत गयी, मान्यवर, पुनः आप आये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, [x x x] लोगों को हर बात [x x x] ही लगती है।

(तीव्र शोर)

[x x x] वे आज अपराध की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति को देखने का काम नहीं किया है। [x x x]

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इस सरकार के एक कबीना मंत्री पर हमला हुआ है और हमला एक तरह से सरकार पर हो रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारी भी बात आनी चाहिए कि अग्राह्य क्यों है ? अग्राह्य क्यों है हमारी भी बात आ जाये।

(भारतीय जनता पाटी के कुछ सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ सदन की वेल में आ गये और नारे लगाने लगे)

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

पहले उधर की बात आ जाने दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सदन व्यवस्थित करके ग्राह्यता पर बोल लें और ग्राह्य क्यों है, इस बात को कह लें, हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बीच-बीच में अपराध हो जा रहा है, तभी तो गड़बड़ हो रहा है न।

चौधरी साहब, खन्ना साहब, एक मिनट, यहां से बात नहीं सुनी जाती है, नहीं तो सब लोग यहीं से सुनाते, आप वहां से सुनाइए मैं सुन लूंगा। खन्ना साहब, चौधरी साहब जरा सा व्यवस्थित हो जाने दीजिये, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप वहां से सुनाइए न। यहां वेल में आकर सुनायेंगे, यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप वहां से सुनावें।

(वेल से) * श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो इस सरकार में इनकी पुलिस की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, हम तो वहीं से सुना रहे थे। मान्यवर, इस सरकार ने पुलिस को अपना दत्तक पुत्र बना लिया है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप पुत्र की चिन्ता करिये, दत्तक पुत्र कहां पायेंगे आप ? खन्ना साहब आप वहां से बताइये।

श्री उदयभान करवरिया-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जरा शांत रहिये। आप वहां से बताइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसा है कि इस सरकार की दो उपलब्धियां सबसे बड़ी हैं। एक तो मान्यवर, यह कि इन्होंने अपराधियों को खुली छूट दे दी पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा के एजेण्ट के रूप में वो जो चाहें सो करें और दूसरी उपलब्धि यह है कि इन्होंने पुलिस को दत्तक पुत्र बनाया है।

श्री अध्यक्ष-

दत्तक पुत्र तो आपको लेना चाहिए, इन्होंने गलत कर दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनके दत्तक पुत्र के कारनामे अभी हम इनके सामने सुनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

दत्तक पुत्र तो आप लोगों को बनाना चाहिये, ये लोग क्यों बना रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप चर्चा कराइये। मान्यवर, 30 जून, 2007 को पहली बार मुकुल गुप्ता नाम का लड़का बरेली में पुलिस एनकाउन्टर में मारा गया था। मान्यवर, 10 जुलाई, 2007 को मैंने इसी सदन में जब यह सरकार बनी थी, मैंने उसी वक्त सरकार को चेताया था कि सरकार को पुलिस को संरक्षण नहीं देना चाहिए। मैंने उसी वक्त इस सरकार को चेताया था कि पुलिस को इस प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

जब ग्राह्यता पर बोलेंगे, तब बोलियेगा। मा0 ओम प्रकाश सिंह साहब, आप बैठा लें इन लोगों को। आज ग्राह्यता पर मैंनें व्यवस्था दे दी है कि ग्राह्यता पर सुना लें। दलीय नेताओं के अनुरोध को भी मैं ग्राह्यता में लाया हूं। इसलिये मैंने ग्राह्यता पर एक व्यवस्था दी है नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित कर दिया हूं।

*श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों की कानून व्यवस्था पर बातें आनी चाहिए। सरकार इसका जवाब इसका उत्तर दे। इसमें मान्यवर, हम सरकार की आंखें खोल रहे हैं। इनके शासन में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुयी है। इसको ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(वेल से) *श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, न कोई सड़क पर सुरक्षित है और न कोई धरती पर सुरक्षित है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

हां चौधरी साहब, आप बतायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे।

श्री अध्यक्ष-

बीच-बीच में आप नोच लेते हैं तभी तो गड़बड़ हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

करवरिया जी, आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जायें और अपनी जगह पर से बोलें तो उचित रहेगा। कटियार साहब, आप वेल में आ गई हैं, यह बड़ा ताज्जुब लग रहा है। आप अपनी जगह पर चलें, आप जैसे वरिष्ठ लोग सदन की वेल में आ जाएं यह उचित नहीं है। हां चौधरी साहब, आप बतायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 में हमने नोटिस दी है, खाली नियम देख लें, सिर्फ नियम आपके सम्मुख रख रहे हैं मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ''कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय।'' मैं इतने पर ही रुकता हूं मान्यवर, और इसी प्राविधान के अन्तर्गत सम्पूर्ण विपक्ष ने आपसे एक अनुरोध करते हुए कि आज सदन के समस्त नियमों का निलम्बन करके एक ऐसी असाधारण स्थिति इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की है जिस पर सम्पूर्ण विपक्ष चर्चा करना चाहता है, इसलिये मान्यवर, आप सभी नियमों को निलम्बित करके इसको सुन लें। श्रीमन् सदन में हमने यह अनुरोध किया, नियमों में हमने आपको उसकी सूचना दी और आपके कक्ष में मान्यवर, एक बार नहीं आज प्रातःकाल से लेकरके इस समय तक जितने समय हम इस मण्डप में नहीं बैठे हैं, लगातार सम्पूर्ण विपक्ष के नेता एक अनुरोध मात्र आपसे कर रहे हैं कि इन असाधारण स्थितियों में जब कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है, प्रदेश की कानून व्यवस्था शून्य हो गई है और उस स्थिति में आप उस पर चर्चा करा लें। श्रीमन् आपके अधिकारों पर हम कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं आपका यह अधिकार है कि नियम-311 के अन्तर्गत आप निर्णय लेते हुए बाकी नियमों को निलम्बित करके इसको सुनें अगर संसदीय कार्य मंत्री जी विपक्ष के लोगों को [x x x]

श्री अध्यक्ष-

नहीं विपक्ष को कोई गाली नहीं दिया, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, आप इसको इंगित कर दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं इसको हम कार्यवाही से निकाल देते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, खारिज कर देंगे, मेरी आपसे विनती है श्रीमन् आपके निर्णय के बाद आपकी अवज्ञा करके बार-बार अगर इस चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं तो प्रदेश की जनता इस बात को साफ-साफ जानना चाहती है। आज की इस कार्यवाही से कि यह सरकार क्यों कानून व्यवस्था पर चर्चा से भाग रही है। हम यह चाहते हैं मान्यवर, कि आप नियम-311 के अन्तर्गत इसको स्वीकार कीजिए, सदन में विपक्ष की बात सुनी जाय और सरकार के पास कोई उत्तर हो तो उत्तर आ जाय। सरकार के पास इसका कोई उत्तर नहीं है मान्यवर, इसलिए वह चर्चा से भाग रही है। मान्यवर, आप आदेशित करें कि चर्चा मैंने स्वीकार कर ली, नियम-311 की नोटिस स्वीकार कर ली, हम अपने आप अपनी जगह पर चले जायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप कह दें कि हमने चर्चा स्वीकार कर ली तो हम लोग जाकर अपनी जगह पर बैठ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

* श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो अम्बिका चौधरी जी ने कहा है मैं उसी नियम का हवाला देते हुए आपसे यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आज के दिन सम्पूर्ण विपक्ष ने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा है, वह किसी को आरोपित नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ यह चाहते हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश में खराब है, इस पर चर्चा हो जाय। चर्चा कराने के लिए हमारे पास दो नियम हैं, मान्यवर, या तो आपको नियम-311 में सूचना दें या नियम-56 में दें, सम्पूर्ण विपक्ष ने नियम-311 में सूचना दे दी है मान्यवर, अब सरकार कहीं बीच में नहीं आती है नियम-311 में, यह सिर्फ आपका विवेक और आपका निर्णय है मान्यवर, अगर आप नियम-311 पढ़ लें तो उसमें कहीं सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है, उसमें प्रस्ताव पर अगर अध्यक्ष सम्मति दें तो मान्यवर, अध्यक्ष की सम्मति किन परिस्थितियों में होनी चाहिए। विषय गम्भीर होना चाहिए, कानून व्यवस्था से ज्यादा विषय गम्भीर नहीं हो सकता। विपक्ष चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो सब एक स्वर से कानून व्यवस्था पर चर्चा कराना चाहते हैं तो मान्यवर, इस समय आप सरकार को न सुनें, विपक्ष की आवाज आप तक पहुंच गई है आप अपने विवेक से निर्णय लें और इस पर चर्चा करायें। मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना चाहता हूं सिर्फ गम्भीरता के लिए मान्यवर, इस सदन का जवाबदेह कौन है, मंत्रि-परिषद् ? आज जब उत्तर प्रदेश में एक मंत्री अस्पताल में है तो सरकार को शर्म आनी चाहिए जो वह कह रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो फिर एक मंत्री अस्पताल में भर्ती क्यों हैं ? मान्यवर, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय नेता मा0 हुकुम सिंह जी की पत्नी की हत्या हुई है, मान्यवर, यह सरकार कैसे कहती है, कानून व्यवस्था ठीक है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जो प्रस्ताव विपक्ष ने रखा है उस पर आप अपना निर्णय दें। विपक्ष को भी आपके निर्णय का सम्मान करना चाहिए और विपक्ष को बोलना शुरू कर देना चाहिए। मान्यवर, इसमें सरकार कहीं से भी बीच में नहीं आती है। मान्यवर, यह विपक्ष और आपके बीच की बात है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसको देखा है। मैं आपको बता रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप नियम-314 देखने का कष्ट करें। इसमें है कि ''किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।''

मान्यवर, आपका एक विनिश्चय आ गया है कि आप इस पर नियम-56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनेंगे। आपके विनिश्चय के बाद यह बराबर प्रेशर डाल रहे हैं। यह इनको पता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ है। मान्यवर, यह नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो है इसकी रिपोर्ट है, यह भारत सरकार की अधिकृत एजेन्सी है। मान्यवर, देश में केन्द्र शासित प्रदेश और अन्य प्रदेशों को मिलाकर कुल 35 प्रदेश हैं जो अपराध दर है उसमें हमारा नम्बर 34वें नम्बर पर है। इस तरह से केवल एक ही प्रदेश है जहां पर हमसे अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, सम्पूर्ण विपक्ष ने नियम-311 के अन्तर्गत आपको एक नोटिस दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सरकार को क्या परेशानी है। जो नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की बात कही है और बताया है कि यह प्रदेश उसमें 34वें नम्बर पर है तो मान्यवर, वास्तविक स्थिति क्या है वह भी आप देखें। वह यह है कि यहां पर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। मान्यवर, 311 में बाकायदा पूरे विपक्ष ने इसकी सूचना दी है। आप उस पर चर्चा करा दें। कानून व्यवस्था पर आपको चर्चा करानी चाहिए, इसमें गवर्नमेन्ट का कोई रोल नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर हमारी आवाज नहीं सुननी है तो हमें आप यहां से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

हमें आपकी आवाज सुननी है, पूरी आवाज सुननी है। आपकी आवाज नहीं सुनता तो वेल में भी लोग बोल रहे हैं जबकि नहीं सुनना चाहिये, मैं सुन रहा हूं। मैं तो पूरी आवाज सुन रहा हूं आपकी। खन्ना साहब आप बतायें।

आप सुनाना ही नहीं चाह रहे हैं तो मैं क्या करूं ?

(इस बीच समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगाने लगे)

आप सुनाना नहीं चाह रहे हैं। मैं 311 में अग्राह्य कर चुका हूं। 311 की सूचना अग्राह्य कर रहा हूं। 56 में ग्राह्यता पर नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया है। इस पर मैं एक व्यवस्था दे चुका हूं। 56 में ग्राह्यता पर बुला लिया, नेता प्रतिपक्ष खड़े भी हो रहे थे लेकिन अब कहना पड़ रहा है कि आपने नेता प्रतिपक्ष जी को रोका है उनको बोलने तक नहीं दिया। मैंने एक व्यवस्था दे दी नियम-56 में।

(इस बीच समाजवादी पार्टी के सदस्य भी सदन की वेल में आ गये)

मैंने नियम-56 में व्यवस्था दे दी। आप गलत कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपके नेता प्रतिपक्ष जी को मैंने बुला लिया। मैं अग्राह्य कर रहा हूं 311 की सूचना को 56 में नेता विपक्ष और प्रतिपक्ष को मैंने आमंत्रित किया था यह नहीं बोल रहे हैं, जिसमें आपने मना कर दिया। यह मेरी एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के आधार पर मैंने विनिश्चय किया है। नियम-56 में मैंने एक व्यवस्था दे दी है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से बार-बार यह अनुरोध किया गया कि वह अपने स्थान पर जायें ताकि कार्य सूची की मदें ली जा सकें)

(सदस्यों के द्वारा अपने स्थान पर न जाने और लगातार व्यवधान की स्थिति बने रहने पर)

नियम-301 एवं नियम-300 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-301 एवं नियम-300 की सूचनाओं को निरस्त करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-4 लेता हूं।

दिनांक 21 जनवरी, 2010 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19 (8) के अन्तर्गत पढ़ कर सुनाता हूं। यह नत्थी (ग) पर है, जो निम्नवत् है :-

''प्रिय श्री राजभर जी,

दिनांक 21 जनवरी, 2010 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-806/अ0 वि0 स0/10, दिनांक 23 फरवरी, 2010 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इसके लिए मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।''

सादर।

भवदीय,

बी0 एल0 जोशी''

(घोर व्यवधान के मध्य)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश

श्री अध्यक्ष-

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007, जो दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया था तथा दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(1) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं -

बी0 एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राजभवन, लखनऊ-227132 दिनांक 18 मार्च, 2010 दण्ड प्रक्रिया संहिता ....

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

[(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया गया। जब यह विधेयक भारत सरकार के विचाराधीन था तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह अनुरोध किया गया कि चूंकि भारत सरकार द्वारा स्वयं दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन अधिनियम, 2008) के माध्यम से धारा 167 में अपेक्षित संशोधन कर दिये गये हैं, जिस कारण राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त संहिता की धारा 167 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस अनुरोध पर यह विधेयक भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को वापस कर दिया गया। तदोपरान्त 11 फरवरी, 2010 को प्रदेश की मंत्रि-परिषद् द्वारा इस विधेयक को वापस लेने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अतः मैं, बी0एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदनों को इस संदेश के साथ वापस करता हूं कि इस विधेयक को वापस लेने पर विचार किया जाये।

बी0 एल0 जोशी]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जी0 एल0 ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश

श्री अध्यक्ष-

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये जी0 एल0 ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो दिनांक 07 अगस्त, 2009 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 10 अगस्त, 2009 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया था तथा दिनांक 17 अगस्त, 2009 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(1) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं -

बी0 एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। राजभवन, लखनऊ-227132 दिनांक 3 जून, 2010, जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009....

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

[विधान सभा में दिनांक 07 अगस्त, 2009 तथा विधान परिषद् में दिनांक 10 अगस्त, 2009 में पारित होने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

इस विधेयक के परीक्षण की अवधि में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के छात्रों, अध्यापकों को ऐसा वातावरण तथा सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिससे पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना, अध्यापन तथा शिक्षण की नई पद्धतियों एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके एवं विश्वविद्यालयों में उपबन्धों में समरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन), विधेयक, 2010 उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 15 फरवरी, 2010 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में दिनांक 16 फरवरी, 2010 को पारित होने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

कालान्तर में राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया कि राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति ने निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के संचालन हेतु एक माडल ऐक्ट बनाये जाने के उद्देश्य से अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है। राज्य सरकार निजी निधिकृत विश्वविद्यालयों की स्थापना के विषय में विरचित किये जाने वाले विधेयक को लागू करने से पूर्व उक्त समिति की संस्तुतियों का अध्ययन करना चाहती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मंत्रि-परिषद् द्वारा दिनांक 28 मई, 2010 को उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन), विधेयक, 2010 को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा मंत्रि-परिषद् के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधेयक को दिनांक 02 जून, 2010 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदनों को इस संदेश के साथ वापस किया गया कि इस विधेयक को वापस लेने पर विचार किया जाये।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों को अध्ययन करने हेतु मंत्रि-परिषद् के उक्त विचार एवं निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मैं, बी0एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भारत का संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदनों को इस संदेश के साथ वापस करता हूं कि मंत्रि-परिषद् द्वारा निजी विश्वविद्यालयों के विषय में उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन), विधेयक, 2010 को वापस करने की मंशा के अनुरूप इस विधेयक पर भी विचार किया जाये।

बी0 एल0 जोशी]

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश

श्री अध्यक्ष-

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो दिनांक 07 अगस्त, 2009 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 10 अगस्त, 2009 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया था तथा दिनांक 17 अगस्त, 2009 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(1) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं।

बी0 एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। राजभवन, लखनऊ-227132 दिनांक 3 जून, 2010, इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009....

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

[विधान सभा में दिनांक 07 अगस्त, 2009 तथा विधान परिषद् में दिनांक 10 अगस्त, 2009 में पारित होने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

इस विधेयक के परीक्षण की अवधि में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के छात्रों, अध्यापकों को ऐसा वातावरण तथा सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिससे पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना, अध्यापन तथा शिक्षण की नई पद्धतियों एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके एवं विश्वविद्यालयों में उपबन्धों में समरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन), विधेयक, 2010 उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 15 फरवरी, 2010 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में दिनांक 16 फरवरी, 2010 को पारित होने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कालान्तर में राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया कि राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति ने निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के संचालन हेतु एक माडल ऐक्ट बनाये जाने के उद्देश्य से अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है। राज्य सरकार निजी निधिकृत विश्वविद्यालयों की स्थापना के विषय में विरचित किये जाने वाले विधेयक को लागू करने से पूर्व उक्त समिति की संस्तुतियों का अध्ययन करना चाहती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मंत्रि-परिषद् द्वारा दिनांक 28 मई, 2010 को उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन), विधेयक, 2010 को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा मंत्रि-परिषद् के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विधेयक को दिनांक 02 जून, 2010 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदनों को इस संदेश के साथ वापस किया गया कि इस विधेयक को वापस लेने पर विचार किया जाये।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों को अध्ययन करने हेतु मंत्रि-परिषद् के उक्त विचार एवं निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मैं, बी0एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भारत का संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदनों को इस संदेश के साथ वापस करता हूं कि मंत्रि-परिषद् द्वारा निजी विश्वविद्यालयों के विषय में उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन), विधेयक, 2010 को वापस करने की मंशा के अनुरूप इस विधेयक पर भी विचार किया जाये।

बी0 एल0 जोशी]

उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश

श्री अध्यक्ष-

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010, जो दिनांक 15 फरवरी, 2010 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ था तथा दिनांक 19 फरवरी, 2010 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(1) के अन्तर्गत पढ़ कर सुनाता हूं -

बी0 एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। राजभवन, लखनऊ-227132 दिनांक 2 जून, 2010, उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय...

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

[(स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2010 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को पारित करने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

कालान्तर में राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया कि राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति ने निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के संचालन हेतु एक माडल ऐक्ट बनाये जाने के उद्देश्य से अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है। राज्य सरकार निजी निधिकृत विश्वविद्यालयों की स्थापना के विषय में विरचित किये जाने वाले विधेयक को लागू करने से पूर्व उक्त समिति की संस्तुतियों का अध्ययन करना चाहती है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मंत्रि-परिषद् दिनांक 28 मई, 2010 को प्रस्ताव पारित कर उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 को वापस लेने का अनुरोध किया है।

मंत्रि-परिषद् के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मैं, बी0 एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, भारत का संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदनों को इस संदेश के साथ वापस करता हूं कि इस विधेयक को वापस लेने पर विचार किया जाये।

बी0 एल0 जोशी]

राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश

श्री अध्यक्ष-

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010, जो दिनांक 04 फरवरी, 2010 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 15 फरवरी, 2010 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया था तथा दिनांक 17 फरवरी, 2010 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(1) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं -

बी0 एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। राजभवन, लखनऊ-227132 दिनांक 2 जून, 2010, राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010...

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2010 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2010 को पारित करने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 में सीधी भर्ती के माध्यम से विशेष सुरक्षा बल का गठन प्रस्तावित था। राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगने की संभावना तथा उन्हें प्रशिक्षित करने में लम्बा समय लगने की आवश्यकता को देखते हुए सभी स्मारकों एवं महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र की सुरक्षा हेतु ''विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी'' का गठन उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित होमगार्ड से किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मंत्रि-परिषद् की दिनांक 28 मई, 2010 को परिवर्तित नीति के अनुसार प्रदेश के प्रशिक्षित होमगार्ड से ''विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी'' के गठन का निर्णय लेने के साथ-साथ राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रि-परिषद् के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मैं, बी0 एल0 जोशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, भारत का संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदनों को इस संदेश के साथ वापस करता हूं कि इस विधेयक को वापस लेने पर विचार किया जाये।

बी0 एल0 जोशी]

(घोर व्यवधान)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय द्वारा राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ आरक्षित कर लिया गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

जी0 एल0 ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से जी0 एल0 ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 17 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पर प्रतिशेध विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पर प्रतिषेध विधेयक, 2010 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 17 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 17 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 17 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 09 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 01 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 03 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का पांचवा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन), विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का नौवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 03 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे दिनांक 18 फरवरी, 2009 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद 197(1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 अगस्त, 2009 को उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2009 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 04 फरवरी, 2010 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश को तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था,

राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-17 एवं 18 में कुछ नहीं है।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 5 अगस्त, 2010 की बैठक में विधान सभा की दिनांक 6 अगस्त, 2010 से 13 अगस्त, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1-दिनांक 6 अगस्त, 2010 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं तथा प्रश्नकाल न हो और नियम 51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

2-दिनांक 9 अगस्त, 2010 को विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों एवं विशिष्ट महानुभावों के निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

3-दिनांक 9 अगस्त, 2010 को असरकारी दिवस (आधा दिन) न हो।

4-दिनांक 12 अगस्त, 2010 को असरकारी दिवस (आधा दिन) (दिनांक 13 अगस्त, 2010 के स्थान पर) हो।

5-दिनांक 6 अगस्त, 2010 से दिनांक 13 अगस्त, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

अगस्त, 2010

6 शुक्रवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।
7 शनिवार 8 रविवार	बैठक नहीं होगी।
9 सोमवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों। 3-अन्य कार्य, यदि कोई हो।
10 मंगलवार	1-**12.20 बजे अपराह्न** वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण। 2-विधायी कार्य।
11 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 2-विधायी कार्य।
12 गुरुवार	1-विधायी कार्य। 2-असरकारी दिवस (आधा दिन) 13 अगस्त, 2010 के स्थान पर।
13 शुक्रवार	विधायी कार्य।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य, वित्त एंव चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010[†]

संसदीय कार्य, वित्त एंव चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

[†] दिनांक 27-8-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त एंव चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010††

संसदीय कार्य, वित्त एंव चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 20-8-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 27-8-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त एंव चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त एंव चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त एंव चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† दिनांक 27-8-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

† दिनांक 27-8-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

† दिनांक 27-8-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

आई0 एफ0 टी0 एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त एंव चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आई0 एफ0 टी0 एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आई0 एफ0 टी0 एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आई0 एफ0 टी0 एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज कार्य-स्थगन की जो भी सूचनाएं थी, उन्हें निरस्त कर देता हूं।

(घोर व्यवधान)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09-08-2010 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी :-

पहली सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में मुन्सिफ न्यायालय परिसर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत नहरों को पूरी क्षमता से न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री उदयराज यादव, श्री लालजी यादव तथा श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की जनपद उन्नाव एवं सिद्धार्थनगर के विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी क्षेत्र के समान बिलों का भुगतान लिये जाने एवं विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

---

† दिनांक 20-8-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया :-

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा की तहसील महावन स्थित चिन्ताहरण महादेव मन्दिर की चहारदीवारी के निर्माण हेतु जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों को गेहूं भेजने से पहले गुणवत्ता परीक्षण कराने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना डा0 वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच स्थित परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में नवनियुक्त अध्यापकों के स्थानान्तरण में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है तथा,

चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर तेलियरगंज एवं फाफामऊ के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी :-

पहली सूचना डा0 अजय तोमर की बागपत में विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने हेतु 33/11, 132/11 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रदेश में सामान्य वर्ग, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति की आबादी निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत हैण्डपम्प न लगाये जाने से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री कुबेर सिंह की जनपद एटा स्थित जलेसर में अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत होने के बाद भी टंकक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति न दिये जाने के सम्बन्ध में है,

पांचवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर में तितावी शुगर मिल व खाईखेड़ी शुगर मिल द्वारा वर्ष 2009-10 के गन्ना किसानों को करोड़ों रुपये का भुगतान अभी तक न किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में 25 वर्षों से कार्यरत मस्टर रोल/दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है, तथा

सातवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में स्याना चौराहे एन0एच0-24 पर बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री महबूब अली,

2-श्री राधेश्याम गुप्ता,

3-श्री अशोक कंसल,
4-श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,
5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,
6-श्री इरफान सोलंकी,
7-श्री रामसेवक,
8-श्री जगदीश सोनकर,
9-श्री राज किशोर सिंह,
10-श्री जावेद अन्सारी,
11-श्री सर्वेश कुमार सिंह,
12-श्रीमती मधुबाला पासी,
13-श्री प्रजापाल वर्मा,
14-श्री उदयभान करवरिया,
15-डा0 आर0 ए0 उस्मानी,
16-श्री सतीश महाना
17-डा0 अनिल चौधरी,
18-श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप,
19-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
20-श्री संजय कपूर,
21-डा0 पी0 के0 राय,
22-श्री अनूप सण्डा,
23-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
24-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा,
25-श्री भोला पासवान,
26-श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू,
27-श्रीमती मिथिलेश पाल,
28-श्री जगन प्रसाद गर्ग,
29-श्री अनूप कुमार गुप्ता,
30-श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा
31-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एंव चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में लोक महत्व के .....

श्री अध्यक्ष-

वकतव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[अविलम्बनीय प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराया है कि ''प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त कई महाविद्यालय विभिन्न अंचलों में संचालित है जिनमें हजारों की संख्या में शिक्षक/प्रवक्ता विगत कई वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तथा इन महाविद्यालयों में लाखों की संख्या में छात्र एवं छात्रायें अध्ययनरत है। इन महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले प्रवक्ता-पूरी योग्यता एवं अर्हता रखते हुये निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे हैं। विगत लगभग 11 वर्षों से मानदेय पर विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे प्रवक्ताओं को अभी तक समायोजित/विनियमित नहीं किया गया है जबकि वर्ष 2006 में उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 में संशोधन कर धारा-31 ई लागू की गयी, जिसके तहत अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों को आमेलित किये जाने का प्राविधान किया गया है जो मानक के अनुरूप शैक्षिक योग्यता रखते हों, तथा शर्तों को पूर्ण करते हों। किन्तु अधिनियम, 2006 में वर्णित शर्तों को पूरा करने वाले हजारों शिक्षकों को अभी तक आमेलित/समायोजित/विनियमित नहीं किया गया है। इससे जहां इन अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है वहीं लाखों की संख्या में इन महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्र एवं छात्राओं का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों/प्रवक्ताओं को आमेलित/समायोजित/विनियमित न करने से जहां छात्रों एवं छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है वहीं शिक्षकों में एवं उनके परिजनों में कुण्ठा तथा क्षोभ व्याप्त है और वे अपने भविष्य के प्रति चिंतित है।''

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में नियमित प्रवक्ताओं की कमी एवं उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से उनके चयन में हो रहे विलम्ब को देखते हुए शासन द्वारा निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों को रखे जाने के लिए शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 1998 निर्गत किया गया, जिसमें प्रबन्धतन्त्र को यह अधिकार दिया गया कि ऐसे पद जिनकी रिक्तियों की सूचना विज्ञापन हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रेषित की जा चुकी हो परन्तु प्रवक्ता उपलब्ध न हो पाये हों तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर शिक्षण कार्य लिया जाय। इस व्यवस्था के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा किया जाना आवश्यक है एवं इस प्रकार की नियुक्ति मात्र एक शैक्षिक सत्र के लिए की जायेगी तथा नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के पूर्व यह शपथ-पत्र दिया जाना आवश्यक था कि वह (मानदेय प्रवक्ता) भविष्य में अपने नियमित नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-जहां तक उक्त मानदेय शिक्षकों को आमेलित/समायोजित/विनियमित करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा-31ङ में मानदेय अध्यापकों के आमेलन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान है :--

> ''(1) धारा-12 और 13 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन यदि कोई रिक्ति विद्यमान हैं, जिसे उक्त धाराओं के उपबन्धों के अधीन भरा नहीं जा सकता है तो मानदेय अध्यापक, जो सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्य कर रहा है, राज्य सरकार द्वारा अवधारित शैक्षिक अर्हता रखता है, जिसने तीन शैक्षिक सत्र की न्यूनतम अवधि में कार्य करते हुए मानदेय प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक कार्यरत हैं, की उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से आमेलित किया जाएगा।''

4-मानदेय शिक्षकों द्वारा आमेलन की मांग एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-31-ङ के अन्तर्गत मानदेय शिक्षकों के आमेलन पर विचार करते समय यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा-12 और 13 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन कोई रिक्ति ऐसी नहीं है जिसे धारा-12 और 13 के अन्तर्गत भरा नहीं जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मानदेय शिक्षकों के कारण आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की विज्ञापित पद पर नियुक्ति होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है एवं मानदेय के आधार पर कार्यरत शिक्षकों का आमेलन/समायोजन/विनियमितीकरण में आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता, जो संवैधानिक भावनाओं के विपरीत है। उक्त के दृष्टिगत प्रकरण में यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करते हुए उक्त धारा-31(ङ) को निकाल दिया जाय।

5-तत्क्रम में उक्त के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 विधान सभा से पारित होने के उपरान्त विधान परिषद् में प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत था, जो विधान परिषद् से बिना पारित हुए तीन माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर मूल रूप में पुनः पारण का प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा को संदर्भित है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 56 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 9 अगस्त, 2010

नत्थी ''क''

(देखिये अता0 प्रश्न सं0-123 का उत्तर पीछे पृष्ठ-71 पर।)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत पंजीकृत जॉब कार्ड धारक परिवारों को 90 दिन का रोजगार जनपद व विकास खण्डवार दिये जाने की सूचना-

क्रमांक	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
1	2	3	4	5	6
1	हमीरपुर	कुरारा	3427	7144	6568
2	,,	सुमेरपुर	9233	8840	10066
3	,,	मौदहा	7588	6625	9008
4	,,	मुस्करा	7324	7202	6317
5	,,	राठ	4386	5564	5592
6	,,	गोहण्ड	4750	5563	5380
7	,,	सरीला	3960	6349	5414
	जनपद का योग		**40668**	**47282**	**48345**
1	बांदा	बबेरू	569	1139	1945
2	,,	कमासिन	97	105	438
3	,,	जसपरा	101	297	1667
4	,,	महुआ	495	1581	2298
5	,,	तिन्दवारी	1023	3387	3696
6	,,	बड़ोखरखुर्द	385	1678	2145
7	,,	नरैनी	3660	3515	4225
8		बिसण्डा	3165	4652	4866
	जनपद का योग		**9495**	**16354**	**21280**
1	चित्रकूट	कर्वी	5753	3570	3350
2	,,	पहाड़ी	5860	6370	7350
3	,,	रामनगर	395	480	778
4	,,	मऊ	615	2860	3028
5	,,	मानिकपुर	6267	7783	9917
	जनपद का योग		**18890**	**21063**	**24423**
	फतेहपुर	अमौली	56	59	632

क्रमांक	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
1	,,	देवमई	35	50	893
2	,,	खजुहा	77	89	1081
3	,,	मलवां	2713	2863	2927
4	,,	तेलियानी	610	920	1095
5	,,	हसवा	60	56	878
6	,,	बहुआ	735	947	1098
7	,,	असोथर	129	476	943
8	,,	भिटौरा	975	1057	1201
9	,,	ऐरायां	1075	1831	1849
10	,,	हथगांम	1200	1290	1480
11	,,	विजयीपुर	1208	1761	1814
12	,,	धाता	712	1524	927
	जनपद का योग		**9582**	**12923**	**16818**
	महोबा	कबरई	2550	3885	3315
1	,,	चरखारी	2615	3742	3517
2	,,	जैतपुर	1859	6890	4277
3	,,	पनवाड़ी	2510	4295	2528
	जनपद का योग		**9534**	**18812**	**13637**

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75-76 पर)

नगर निगम, गोरखपुर

बी0 आर0 जी0 एफ0 योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3
1	चकसा हुसैन हुसैनाबाद में इ0 ला0 सड़क, नाली निर्माण पार्ट-2	16.63
2	चकसा हुसैन हुसैनाबाद में इ0 ला0 सड़क, नाली निर्माण पार्ट-13	18.12
3	चकसा हुसैन पचपेडवा आंशिक में इ0 ला0 सड़क, नाली पार्ट-14	18.14
4	चकसा हुसैन पचपेडवा आंशिक में इ0 ला0 सड़क, नाली पार्ट-15	17.16
5	चकसा हुसैन जमुनहिया बाग में इ0 ला0 सड़क, नाली पार्ट-16	13.19
6	चकसा हुसैन अहमदनगर में इ0 ला0 सड़क, नाली पार्ट-19	16.88
7	चकसा हुसैन अहमदनगर में इ0 ला0 सड़क, नाली पार्ट-20	19.31
8	चकसा हुसैन अहमदनगर में इ0 ला0 सड़क, नाली पार्ट-21	14.94
9	चकसा हुसैन अहमदनगर में इ0 ला0 सड़क, नाली पार्ट-23	12.58
10	चकसा हुसैन अहमदनगर में इ0 ला0 सड़क, नाली पार्ट-25	16.66
11	चकसा हुसैन अहमदनगर में इ0 ला0 सड़क, नाली पार्ट-26	9.40
12	माधोपुर में भाग 1/30 में नाली गली का निर्माण	11.74
13	माधोपुर में भाग 2/30 में नाली गली का निर्माण	15.03
14	माधोपुर में भाग 7/30 में नाली गली का निर्माण	14.87
15	माधोपुर में भाग 10/30 में नाली गली का निर्माण	13.48
16	माधोपुर में भाग 12/30 में नाली गली का निर्माण	17.54
17	माधोपुर बहरामपुर में भाग 20/30 नाली गली का निर्माण	11.54
18	माधोपुर बहरामपुर में भाग 22/30 नाली गली का निर्माण	5.71
19	माधोपुर बहरामपुर में भाग 23/30 नाली गली का निर्माण	13.11
20	माधोपुर बहरामपुर में भाग 24/30 नाली गली का निर्माण	11.38
21	माधोपुर बहरामपुर में भाग 30/30 नाली गली का निर्माण	13.22
22	चकसा हुसैन जमुनहिया में इ0 ला0 सड़क व नाली निर्माण पार्ट-17	18.77
23	माधोपुर में भाग 3/30 में नाली गली का निर्माण	7.24
24	माधोपुर में भाग 6/30 में नाली गली का निर्माण आंशिक	1.08
25	माधोपुर में भाग 8/30 में नाली गली का निर्माण	8.19
26	माधोपुर में भाग 21/20 में नाली निर्माण	11.72

उपरोक्त सूची में क्रमांक 22 से 26 तक अंकित कार्य मा0 जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर अन्य मद से नगर निगम, गोरखपुर द्वारा से सम्पादित करा दिया गया है। जिसके एवज में चार अन्य नये कार्य, माधेपुर में 26/30 भाग में नाली गली रु0 6.65 लाख, माधोपुर में 29/30 में नाली, गली रु0 13.98 लाख, माधोपुर बन्धे के किनारे शंकर से कंचन तक नाली सड़क निर्माण रु0 7.92 लाख तथा चकसा हुसैन पार्ट-10 में सड़क नाली निर्माण रु0 18.72 लाख के कार्य उक्त योजनान्तर्गत कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-178 का उत्तर पीछे पृष्ठ 90-91 पर)

जनपद जौनपुर में तैनात अवर अभियन्ताओं की सेवा अवधि का विवरण :-

क्र0सं0	अवर अभियन्ता का नाम	प्रखण्ड में कार्यरत तिथि	31-5-10 की कार्यकाल की अवधि
1	2	3	4
	सर्वश्री		वर्ष-माह-दिन
1	राजेश कुमार श्रीवास्तव	20-2-97	13-3-11
2	राम निवास पाण्डेय	08-03-02	08-2-23
3	चन्द्रभान राय	05-7-04	05-10-26
4	नागेश्वर त्रिपाठी	05-07-04	05-10-26
5	रमाकान्त पाठक	04-08-97	12-11-27
6	लालमणि सिंह	24-06-03	07-01-07
7	वीर बहादुर यादव	17-07-01	08-10-14
8	महमूद अहमद	23-07-04	05-10-26
9	ओ0 पी0 वर्मा	15-06-05	04-11-16
10	बृजेन्द्र प्रताप सिंह	13-06-08	01-11-18
11	मनोज कुमार मिश्र	04-06-08	01-11-27
12	आर0 पी0 यादव	11-07-08	01-10-20
13	दयानन्द	05-07-08	01-10-26
14	जयप्रकाश सिंह	03-07-08	01-10-28
15	विनोद कुमार मिश्र	04-04-09	01-01-27
16	राहुल प्रसाद जिज्ञासु	14-12-09	00-05-17
17	अनिल कुमार	15-12-09	00-05-16
18	वीरेन्द्र कुमार	17-12-09	00-05-14
19	विष्णु कुमार	22-12-09	00-05-09
20	अनिल कुमार सिंह	07-07-97	12-10-24
21	गजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	25-07-97	12-10-06
22	सच्चिदानन्द	01-09-98	11-08-03
23	सूर्यप्रकाश वर्मा	06-10-01	08-07-25
24	के0 एन0 गांधी	04-07-01	08-10-27
25	विजय शंकर सिंह	15-09-04	05-08-16
26	नवीन कुमार श्रीवास्तव	11-09-06	03-08-20
27	शैलेश कुमार सिंह	01-09-06	03-08-30
28	दिनेश कुमार सिंह	20-07-01	08-10-11
29	भैया लाल पटेल	20-08-07	02-09-11
30	राम कुमार पाण्डेय	21-08-07	02-09-10

क्र0सं0	अवर अभियन्ता का नाम	प्रखण्ड में कार्यरत तिथि	31-5-10 की कार्यकाल की अवधि
31	आर0 के0 उपाध्याय	19-10-09	00-07-12
32	श्याम सुन्दर	03-05-10	00-00-28
33	मुन्नी लाल	04-05-10	00-00-27
34	महेन्द्र कुमार	06-05-10	00-00-25
35	दीप नारायण सिंह	08-08-04	05-09-23
36	अमित कान्त पाण्डेय	15-07-04	05-10-16
37	राकेश सिंह	15-01-05	05-04-16
38	सुरेन्द्र प्रसाद	22-07-03	06-10-09
39	सुरेश कुमार सिंह	10-04-03	07-01-21
40	मुहीउद्दीन अंसारी	09-03-05	05-02-22
41	रामफेर प्रजापति	01-08-97	12-09-30
42	नरसिंह कुमार सिंह	15-06-05	04-11-16
43	जे0 एन0 दुबे	22-07-07	12-10-09
44	ओम प्रकाश जायसवाल	23-09-05	04-08-08
45	रमाशंकर	24-06-06	03-11-07
46	देवशरण प्रसाद	03-07-06	03-10-28
47	ज्ञान प्रकाश पाण्डेय	05-06-08	01-11-26

जनपद जौनपुर में तैनात सहायक अभियन्ताओं की सेवा अवधि का विवरण :-

क्र0सं0	अवर अभियन्ता का नाम	प्रखण्ड में कार्यरत तिथि	31-5-10 की कार्यकाल की अवधि
1	2	3	4
	सर्वश्री		वर्ष-माह-दिन
1	राजित राम	27-11-07	02-06-04
2	भरत प्रसाद	16-07-08	01-10-15
3	मानिक चन्द्र, प्र0 सहा0 अभि0	17-01-06	04-04-14
4	रामधनी राम, प्र0 सहा0 अभि0	16-07-08	01-10-15

पी0एस0यू0पी0-एल0 121 विधान सभा (237)-7-10-10-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।